महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 11 अक्तूबर, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

लश्कर के चार शीर्ष सरगना गिरफ्तार

लाहौर, 10 अक्तूबर (भाषा)।

एफएटीएफ की बैठक

पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजंसियों ने गुरुवार को आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपों में प्रतिबंधित लश्कर ए तैयबा/जमात उद दावा के शीर्ष चार नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई इन संगठनों के पूरे शीर्ष नेतृत्व को कठघरे में खड़ा करने वाली है। बताते चलें कि मुंबई हमले के बाद लश्कर ए तैयबा ने अपना नाम बदल कर जमात उद दावा कर लिया था। लश्कर ए तैयबा/जमात बाकी पेज 8 पर

'आतंकी संगठनों का वित्तपोषण बंद हो'

संयुक्त राष्ट्र, 10 अक्तूबर (भाषा)।

येड़ला उमाशंकर

भारत ने आतंकियों और आतंकी समूहों को कुछ देशों की ओर से प्रत्यक्ष या परोक्ष वित्त पोषण की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इन देशों की वजह से ही आतंकी अपनी गतिविधियों को अंजाम बाकी पेज 8 पर

जम्मू-कश्मीर में तीन नेताओं की रिहाई

श्रीनगर, 10 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से हिरासत में लिए गए तीन नेताओं को गुरुवार को रिहा कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यावर मीर, नूर मोहम्मद और शोएब लोन को विभिन्न आधारों पर रिहा किया गया है।

मीर राफियाबाद विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रह बाकी पेज 8 पर

150 ट्रेनें और 50 स्टेशन निजी हाथों में सौंपने की तैयारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

हवाई अड्डों की तर्ज पर होगा रेल सेवाओं का निजीकरण।
रेलवे बोर्ड की तरफ से नीति आयोग को भेजे गए मसविदे में बताई योजना।
इस कार्य के लिए जो टीम बनाई गई है, उसमें नीति आयोग, रेलवे बोर्ड सचिव, आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रालय के अधिकारी और आवास व शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे।

देश की पहली तेजस ट्रेन का संचालन निजी हाथों में देने के बाद अब रेल मंत्रालय ने 150 ट्रेन और 50 रेलवे स्टेशनों को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारियां तेज कर दी हैं। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए मंत्रालय ने एक विशेष टीम का गठन किया है। यह विशेष टीम देशभर के स्टेशन व ट्रेन चयनित करेगी। हवाई अड्डों की तर्ज यह निजीकरण होगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके. यादव ने यह जानकारी नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत को दी है।

विशेष दल का गठन

रेल मंत्री से हुई बैठक के बाद यह कार्य योजना तैयार की गई है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके. यादव की तरफ से भेजे गए पत्र में बताया गया है कि केंद्र सरकार देश के 400 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। मंत्रालय ने हाल ही में कुछ स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई है।

रेल मंत्री से हुई चर्चा का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि देश के कम से कम 50 स्टेशन को निजी कंपनियों की मदद से संवारा जाएगा और इसपर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। यह फैसला देश के हवाई अड्डों की बाकी पेज 8 पर

निजीकरण का कर्मचारियों ने किया विरोध

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर

रेलवे के निजीकरण, छंटनी व तमाम तरह के उपक्रमों को बंद किए जाने का रेल कर्मचारियों ने विरोध किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेंस (एनएफआइआर) के साथ बाकी पेज 8 पर

अखाड़ा परिषद ने चिन्मयानंद का समर्थन किया

जनसत्ता संवाददाता/भाषा
देहरादून/शाहजहांपुर, 10 अक्तूबर।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने यौन उत्पीड़न मामले में फंसे स्वामी चिन्मयानंद को क्लीन चिट दे दी है।

स्वामी चिन्मयानंद

परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि स्वामी चिन्मयानंद को झूठा फंसाया गया है।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की गुरुवार को कनखल स्थित बड़ा अखाड़ा उदासीन में संपन्न हुई महत्त्वपूर्ण बैठक में परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि स्वामी चिन्मयानंद को झूठा फंसाया गया है। कुछ लोग उन्हें ब्लैकमेल करने के इरादे से षड्यंत्र कर उन्हें फंसाने में जुटे हुए हैं। परिषद ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

महंत ने कहा कि जिस लड़की और तीन लड़कों ने स्वामी चिन्मयानंद की छवि खराब करने और उन्हें फंसाने का षड्यंत्र रचा है, उनको दंडित किया जाना चाहिए। गिरि ने कहा कि चिन्मयानंद के साथ अन्याय हो रहा है। हम उनके साथ खड़े हैं। देश में ऐसे कई गिरोह चल बाकी पेज 8 पर

पेज 14

सबसे सफल मुक्केबाज बनीं मैरी कॉम

फोर्टिस के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर सहित चार गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

आरएफएल के कोष में 2,397 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) ने गुरुवार को फोर्टिस हेल्थकेयर और रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह (44) और तीन अन्य लोगों को रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के कोष में 2,397 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कंपनी के पूर्व बाकी पेज 8 पर

सहयोग व साझेदारी के रास्ते तलाशेंगे मोदी-शी

मामल्लापुरम/बेजिंग, 10 अक्तूबर (भाषा)।

चीन के उप विदेश मंत्री लुओ झाओहुई ने शिखर वार्ता के बारे में मीडिया को बताया कि दोनों पक्षों के अधिकारियों ने शिखर वार्ता के लिए व्यापक तैयारियां की हैं।

शिखर वार्ता

कश्मीर मुद्दे पर भारत और चीन की कड़ी बयानबाजी से तनावपूर्ण हुए द्विपक्षीय संबंधों को पटरी पर लाने की कोशिश के बीच चीन ने कहा है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए किसी तरह का खतरा नहीं हैं।

भारत में चीनी राजदूत सुन वीदोंग ने कहा कि शुक्रवार से शुरू हो रही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय अनौपचारिक शिखर वार्ता से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विकास की दिशा पर दिशानिर्देशक सिद्धांत समेत नई आम-सहमतियां उभर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि आम-सहमतियों का नया ढांचा उभर सकता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बदलाव के लिए साझा दृष्टिकोण, क्षेत्रीय मामलों में चीन और भारत की साझा जिम्मेदारी एवं भूमिका तथा बाकी पेज 8 पर

नीट परीक्षा से जुड़ा कर चोरी का मामला

पूर्व उपमुख्यमंत्री के परिसरों पर आयकर छापे

बंगलुरु, 10 अक्तूबर (भाषा)।

आयकर विभाग के 300 से अधिक कर्मियों ने कर्नाटक में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं -पूर्व उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर और पूर्व सांसद आरएल जलप्पा के पुत्र राजेंद्र से जुड़े परिसरों पर छापे मारे। परमेश्वर का परिवार सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का संचालक है जिसकी स्थापना उनके पिता एचएम गंगाधरैया ने 58 साल पहले की थी।

आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि परमेश्वर से संबंधित कार्यालय, आवास और संस्थानों पर छापा मारने के साथ ही अधिकारियों ने उनके भाई जी शिवप्रसाद और निजी सहायक रमेश के आवास की भी तलाशी ली। राजेंद्र दोड्डाबल्लापुरा और कोलार में आरएल जलप्पा इंस्टीट्यूट चलाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि नीट परीक्षाओं से जुड़े मामले में करोड़ों रुपए की कर चोरी के संबंध में परमेश्वर और अन्य के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है।

कर्नाटक में विभिन्न स्थानों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कुल 30 परिसरों पर छापेमारी की जा रही है जिसमें 300 से अधिक आयकर अधिकारी शामिल हैं।

कर्नाटक

उन्होंने कहा कि कर्नाटक में विभिन्न स्थानों और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कुल 30 परिसरों पर छापेमारी की जा रही है जिसमें 300 से अधिक आयकर अधिकारी शामिल हैं। उनके साथ पुलिसकर्मी भी हैं। विभाग ने तुमकुर में एक न्यास के दो मेडिकल कॉलेजों में नीट की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के वास्ते अपनी जांच के तहत यह कदम उठाया है।

ओल्गा तोकार्चुक, पीटर हंडके को साहित्य का नोबेल

स्टाकहोम, 10 अक्तूबर (एएफपी)।

पोलैंड की लेखिका ओल्गा तोकार्चुक ने गुरुवार को वर्ष 2018 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। यौन उत्पीड़न विवाद के चलते इन पुरस्कारों की घोषणा में देरी हुई थी। साथ ही ऑस्ट्रियाई बाकी पेज 8 पर

गुप्ता परिवार पर अमेरिकी पाबंदी

वाशिंगटन, 10 अक्तूबर (भाषा)।

अजय, अतुल और राजेश गुप्ता

अमेरिका ने 'भ्रष्टाचार का बड़ा नेटवर्क' चलाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मूल के गुप्ता परिवार पर गुरुवार को प्रतिबंधों का एलान किया। इस परिवार ने अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा रिश्वतखोरी, सरकारी बाकी पेज 8 पर

सहकारी बैंकों के नियमन पर गठित होगी समिति

मुंबई, 10 अक्तूबर (भाषा)।

पीएमसी बैंक के नाराज खाताधारकों से मुलाकात के बाद वित्त मंत्री ने किया वादा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को गुरुवार को मुंबई स्थित सहकारी बैंक पीएमसी बैंक के उपभोक्ताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने संवादाता सम्मेलन में एक ऐसी समिति बनाने की घोषणा की जो सहकारी बैंकों की संचालन व्यवस्था में सुधार के सुझाव देगी। वित्त मंत्री ने यहां भाजपा कार्यालय के बाहर बैंक बाकी पेज 8 पर

रेलवे की किरकिरी दो दंपतियों ने ही खरीदे टिकट, कम यात्री होने से 14 अक्तूबर को नहीं जाएगी ट्रेन

कड़वी साबित हुई करवाचौथ स्पेशल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

इस विशेष ट्रेन द मैजेस्टिक राजस्थान डीलक्स में विवाहित जोड़ों के लिए पांच दिन का यात्रा पैकेज 'ड्रीम हॉलिडे' रखा गया था। इसके तहत उन्हें राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया जाता। इस ट्रेन को विशेषतौर पर करवाचौथ पर ले जाया जा रहा था। इसलिए इसे करवाचौथ स्पेशल का नाम दिया गया था। इस पर्यटन पैकेज के लिए 78 सीट आरक्षित की गई थी, लेकिन सिर्फ दो दंपतियों ने ही टिकट खरीदा।

करवाचौथ (14 अक्तूबर) को दिल्ली से राजस्थान के लिए नवविवाहित जोड़ों को भ्रमण पर ले जाने वाली विशेष ट्रेन (द मैजेस्टिक राजस्थान डीलक्स) के केवल चार ही टिकट बुक हुए हैं। केवल दो ही दंपतियों ने यह टूर पैकेज खरीदा है। टूर पैकेज के लिए अधिक यात्री नहीं मिलने की वजह से यह ट्रेन 14 अक्तूबर को रवाना नहीं होगी। आइआरसीटीसी के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

इस विशेष ट्रेन द मैजेस्टिक राजस्थान डीलक्स में विवाहित जोड़ों के लिए पांच दिन का यात्रा पैकेज 'ड्रीम हॉलीडे' रखा गया था। इसके तहत उन्हें राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया जाता। इस ट्रेन को विशेषतौर पर करवाचौथ पर ले जाया जा रहा था। इसलिए इसे करवाचौथ स्पेशल का नाम दिया गया था। इस पर्यटन पैकेज के लिए 78 सीट आरक्षित की गई थी, लेकिन सिर्फ दो दंपतियों ने ही टिकट खरीदा। ट्रेन में विशेषतौर बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

My son's actual/correct name is Abhinav Kaimanal Jose instead of Abhinav K. Jose (wrongly mentioned in some documents).Kunj Bihari R/o WZ-48, GF, Hari Singh Park, New Multan Nagar, New Delhi-56. 0040515533-3

I,Neeraj Kumar S/o-Shri Tara Chand R/o-T-56/5,INA Colony, DDA Vikas Sadan,Peer ki Mazar,New Delhi-110023, inform that Neeraj & Neeraj Kumar both name are same person. 0040515520-5

I,Anita Kumari D/o-Ram Darshan Singh,R/o-Smq-47/16,Old Pinto Park,Air Force Station Palam,New Delhi-110010,have changed,my name,from Anita Kumari to Anita Singh Vide,Affidavit dated-09/10/2019, before, Notary Public,Delhi. 0040515520-6

I, Vikas Goyal R/o YP-7-B, Pitam Pura, North West Delhi-110088, have changed my minor son name from Vans Goyal to Vansh Goyal for all purposes. 0040515485-1

I, Umed Singh,S/o Rattan Singh, R/o-H.No.43, Village & Post-office-Tajpur Kalan, Delhi-110036,have changed the name of my minor's son, from Kartikay to Kartikay Singh Balyan. 0040515568-4

I, Tejpal S/o Tek Chand Tanwar R/o H.no-46b, Vikas Nagar, Kadipur, Gurgoan, have changed my name to Tejpal Tanwar for all purposes. 0040515484-1

I, Surendra Singh S/o Chandan Singh Arya R/o.B-336-B, Sector-19,Noida, UP,have changed my name Surendra Singh to Surendra Singh Arya. 0040515520-1

I, Sourabh S/o Ashok Kumar Singh R/o-H No-1/9885,First Floor, Gali.No-1-D,West Gorakh Park,Shahdara,Delhi-110032,Have Changed My Name Sourabh Singh For All Purposes. 0040515520-2

I, Sonu Parik, W/o Yogesh Pareek, R/o-H.No.282-283, Second-Floor, Pocket B-5, Sector-3, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Aanchal Pareek. 0040515568-1

I, Sneha D/o Chunni Lal R/o-C-42/35, Dr. Ambedkar Bus Terminal, JLN Marg, Delhi-110002 have changed my name to Sneha Chauhan. 0040515568-10

I, Shivali Jhelum W/o Harish Kumar R/o-56, Bharat Nagar, New Friends Colony, New Delhi have changed my name to Shivali Neem after marriage. 0040515543-2

I, Vinay Kumar S/o Balraj Kumar R/o T-318/14c, Baljeet Nagar, Delhi-110008. Have Changed My Name To Vinay Anand. 0040515514-6

I, Shaista W/o Furqan Ahmed R/o 1019, Gali Kumharan Bazar Chitli Qabar Delhi-110006 have changed my name to Shaista Begum. 0040515489-2

I, Shah Jehan Begum Rais W/O Raisuddin, R/O-K-6/1, GaliNo-12, Brahmpuri, Jafrabad, Seelampur, Delhi-110053, changed My Name To Shahjahan Begum. 0040515543-6

I, Savita Rani W/O Sanjeev Kumar Gupta R/O-E-2/6a, Block-E2, Shastri Nagar, Ashok Vihar H.O, Delhi-110052.Changed my Name to Savita Gupta. 0040515514-5

I, Saurabh Shaw S/o Rajkumar Jaiswal R/o A-36, Sector-48, Noida, Gautam Budh Nagar U.P.-201301, have changed my name to Saurabh Jaiswal to Saurabh Shaw for all future purposes. 0040515516-1

I, Satish J Sharma S/o Jagdish Prasad Sharma R/o-A124/S1, United-Home, Shalimar-Garden Extension-II, Sahibabad, Ghaziabad, have changed my name Satish Chand Sharma. 0040515514-3

I, Sanjeev Bhargava S/o Mr.O.P. Bhargava R/o B-30, Anupam Apartments, Vasundhara Enclave, Delhi-110096, have changed my minor son's name from Manu Bhargava (Born on 21st October 2001) to Sagar Bhargava for all future purposes. 0040515475-1

I, Samridhi Bhatnagar Verma W/o Vipul Verma R/o-AE-121, Avantika-Colony, Ghaziabad. have changed my daughter's name from Veronica Poonia to Veronica Verma. 0040515568-6

I, Amar Pal Singh S/O Jagpal Singh Ahlawat R/O-D-68 GF South-City-1 Gurgaon Haryana-122001., Have Changed My Name To Amarpal Singh Ahlawat. 0040515533-7

I, Alok Anilkumar Singh S/o Sh. Anil Kumar Srivas R/o House No.1059, Sector-28, Faridabad-121008, Haryana have changed my name to Alok Singh for all purposes. 0040515476-1

I, Ajay Sharma S/o Shri Surjeet Singh R/o RZ-33A/1, 3rd Floor, Mahavir Enclave, Palam New Delhi 110045 Have Changed My Name To Ajay Kumar Sharma As Per Affidavit 0070678034-1

व्यक्तिगत

I, Ritu Malhotra W/o Gulshan Malhotra R/o H.No.13/127, Geeta Colony, Delhi-110031 have changed my name to Ritu Dhawan after marriage. 0040515512-4

I, Renu Singh W/O Pranay Sagar R/O Hno.61-62, 3rd-Floor, Pkt-8, Sector-23, Rohini, Delhi-110085. Have Changed My Name To Renu Kumari. 0040515543-4

I, Ravleen Kaur Nanda W/o Harinder Singh Nanda R/o H-17, Gf Shivaji Park, Punjabi Bagh West, ND-26, have changed my name to Ravleen Kaur for all purposes. 0040515549-1

I, Rakhee W/o Atin Soni R/o-B-275 G/F Janta Colony Shivaji Vihar New Delhi-110027, Changed My Name To Rakhee Sandhu 0040515533-6

I, Rakesh Malhotra R/o-3/24, Roop Nagar, Delhi-110007, have changed my minor son's name from Raj to Raghav Malhotra, permanently. 0040515543-1

I, Rakesh Lamba S/o Rajpal Lamba R/o CB-113-C, DDA Flats, Hari Nagar, New Delhi-110064 have changed my name to Rakesh Kumar Lamba for all future purposes. 0040515473-2

I, Raju Kumrawat S/o David Kumrawat R/O-Don Bosco-School, Alaknanda, New Delhi-110019, Have Changed My Name To Henry Kumrawat.For All Purposes. 0040515568-7

I, Rajnish, S/o Chandra Prakash, R/o-A-101/1, Rishi Nagar, Rani-Bagh, Delhi-110034, have changed my name to Rajnish Dandona. 0040515568-2

I, Rajni Bala W/o Anil Sharma R/o-R-75 Vani-Vihar Uttam-Nagar (D.k.Mohangarden) N.Delhi-110059, change my name to Rajni for all purposes. 0040515565-1

I, Rajesh Kumar Verma S/o Krishan Lal Verma R/o-Wz-138 Lane No-2, Lajwanti Garden, Delhi-110046 Have Changed My Name To Rajesh Verma. 0040515514-1

I, Prachi Bansal w/o Naresh Bansal r/o TF, C-2-285, Janak Puri, Delhi-110058, have changed my name to PRCHI AGRAWAL. 0040515471-2

I, Prabodh Yadav, R/o-H.No.60/65, Gali.No.3, Block-No.2, KarolBagh, New Delhi-110005,inform that in my daughter's(Jyoti)School records my name has wrongly-mentioned as Pramod Yadav instead of Prabodh Yadav. 0040515568-5

I, Pankaj Kumar Sharma S/o Surendra Sharma, R/o US-139, Ground Floor, Mandawali, Fazalpur, Chander Vihar, Delhi-110092 have changed my name to Pankaj Sharma for all future purposes. 0040515470-1

I, Padarthi Pavan Yashwanth Kumar R/o G-382, Alpha 2, Greater Noida, Uttar Pradesh-201306, have changed my minor daughter's name from Padarthi Lakshmi Laasya to Padarthi Laasya. 0040515553-1

I, Nikita Dattani D/o Vinodchandra Ramesh Dattani R/o Flat 573 7th Floor Chopra Appts Sector 23 Dwarka Delhi 110075, that name of mine has been wrongly written as Nikita Vinodchandra Dattani in my Passport K9289542. The actual name of mine is Nikita Dattani 0070678093-1

I, Nikhil Khurb S/O Ramesh Kumar R/O Khasra No.1099, Near White Temple, Bhalswa Village, Delhi-110033. Changed My Nameto Nikhil Khrub. 0040515514-7

I, Net Ram Sangwan Alias Neta S/O Samey Singh, R.Ho.31/3, Meera Bai Institute Of Technology, Maharani-Bagh, N.Delhi-110065., changed My Name To Net Ram Sangwan., 0040515543-7

I, Neha Alias Neha Devi W/o Rajesh Kumar R/o C/o Rajesh Kumar, Kunjpura, Karnal, Haryana-132022, have changed my name to Nirmla. 0040515494-1

I, Neetu Lamba W/O Rakesh Kumar Lamba R/O CB-113-C, DDA Flats, Hari Nagar, New Delhi-110064 have changed my name to Neetu for all future purposes. 0040515473-1

I, Neetu Gupta W/O Shri Rakesh Gupta R/O-E-671, Second-FLOOR, Gali.No-6, Ganesh-Nagar-II, Shakarpur-East Delhi-92 Have Changed My Name To Neeta Gupta., For All Purpose. 0040515514-4

I, Neeraj Kumar S/o Jai Bhagwan R/o 217B, DADA Shahad, Village Pooth Khurd, Delhi-110039, that name of mine has been wrongly written as Neeraj in my Driving Licence DL1120110156994. The actual name of mine is Neeraj Kumar 0070678066-1

I Hitherto Known As Dayal Singh Alias Dayal Singh Negi,Son Of Late Shri.Har Singh Negi Residing At H No-1696, Lodhi Road Complex,New Delhi-110003.,Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Dayal Singh Negi. 0040515512-1

I Chirutha Spursh Sahdev D/O Shri.Manvender Babber R/O-F-136-A, Ground-Floor, Laxmi-Nagar, (Near-Bal-Bhavan-School), Delhi 110092, Have Changed My Name To Chirutha Babber.,For Future All Purposes 0040515533-5

I, Inder Pal Singh Chawla S/o Ranjit Singh R/o-C-106B, Ground-Floor, Kalkaji, Delhi-110019. have changed my name to Inder Pal Singh. 0040515568-9

I, Harpreet Singh S/O Rattan Singh R/O Plot No. A-403, Crown Apartment, Plot No.18B, Sector-7, Dwarka, New Delhi, have changed my minor son's name from Angad Kohli to Angad Singh Kohli for all purposes. 0040515539-1

I, Gaurav Yadav S/o Gajraj Singh R/o 031 White House Apptt. Sec-13, Rohini, Delhi-110085 have changed my minor daughter's name from Gunanshi Gupta to Gaurangi Yadav 0040515477-1

I, Gaurav Sharma S/o Ashok Kumar R/o G1-57, Uttam Nagar, Delhi-110059, have changed my minor son's name from Aaryan Sharma to Kairav Sharma for all purposes. 0040515480-1

I, Bhupender, S/o Balwant Kumar, R/o-M-127,128, H.No. 301, Third Floor, Prem Nagar, Uttam-Nagar, Delhi-110059, have changed my name to Bhupender Kumar. 0040515568-3

I, Ashish S/O Parmod Kumar Gangwar H.No-280/1, Parvatiya-Colony, Faridabad, Haryana-121005, have Changed My Name To Ashish Gangwar 0040515514-8

I, Asheesh Kumar S/o Gajraj Singh R/o-A-232, Part-2, Pusta-Ist, Sonia Vihar,Gali-No.4, Karawal Nagar,Delhi-110094 have changed my name to Ashish Kumar. 0040515512-3

I, Asha Rani W/O Surjeet Sarpal R/O-H-2/23-24, III-Floor, Sector-16, Rohini, Delhi-110089. Have Changed My Name To Asha Rani Sarpal. 0040515543-5

I, Arpith S/o Ashok Kumar Kudukolli R/o 277, Niti Khand-4, Indirapuram, Ghaziabad have changed my name to Arpith Rao. 0040515512-2

I, Anita W/O Ramesh Kumar R/O-Flat No.14/B-10, Sector-3, Rohini, Delhi-110085., changed My Name To Anita Mehndiratta. 0040515543-8

I, Alam Ara Hafeezuddin W/o Hafeezuddin R/o-270, Gali-Garhaiya, Bazar-Matia-Mahal, Jama-Masjid, Delhi-110006, have changed my name to Alam Ara. 0040515568-8

I, Aditya Mutharia S/o Jagdish Mutharia R/o H.No.97, Okhla-Village, Jamia-Nagar, Delhi-110025., inform that name of mine and my father has been wrongly-written as Aditya and Jagdish in my Passport No.N1146876.The actual name of my mine and my father is Aditya Mutharia and Jagdish Mutharia. 0040515533-4

I, Abdul Samad S/o Amir Khan R/o 1956, Baradari Kucha Chelan Darya Ganj New Delhi-110002 have changed my name to Abdus Samad 0040515489-1

I, Abdul Rehman S/o Ajmeri Saifi R/O E-65, Block-E, Shashi-Garden, Delhi-110091., changed My Name To Abdul Rahman. 0040515543-9

I, Aarti Tyagi D/o-Khush Pal Singh R/o-VPO-Ronda, Moradabad,Uttar Pradesh-244411,have changed,my name,from Aarti Tyagi to Arti Tyagi Vide,Affidavit dated-09/10/2019 before,Notary Public,Delhi. 0040515520-7

I, Anjali W/O Dinesh Khanna R/O-11/47, Block-11, Geeta Colony, Delhi-110031, changed My Name To Anjali Khanna. 0040515543-10

I hitherto known as Aditya Chander Singh S/O Sh.Prem Singh R/O-FF-4 , 5/415 Sector-5, Vaishali I.E. Shahibabad Gaziabad U.P.-201010, have changed my name and shall hereafter be known as Aditya Singh. 0040515565-3

I Tapan Kumar Pani S/o Raghabnanda R/o 176 Mavi Mohalla, Tekhand Village, Okhla New Delhi-110020 have changed my name to Tapan Pani 0070678090-1

I Silky Alias Shilpa D/o Gulrej Masih and W/o Joseph Manoranjan R/o 205 S6 Pent House, 13th Main Road Sankalpa Layout Rammamurthynagar, Horamavu Bengaluru, Karnataka-560043, have changed my name to Shilpa 0070678076-1

I Shipra Yadav D/o Ashok Kumar R/o C-21/S-2, Dilshad Colony, Shahdara, Dilshad Garden, Delhi-110095, have changed my name to Shipra. 0070678088-1

I Sandeep S/o Matafer R/o M-465 Gandhi Colony NIT Faridabad Haryana have Changed My Name to Sandeep Kumar 0040515472-1

I Malka Sharma alias Reema Dutta D/o Chhotu Ram and W/o Sanjay Dutta R/o B-17/141/2, Old Grain Market, Nawanshaher, SBS Nagar, Panjab-144514, have changed my name to Reema Dutta 0070678069-1

I Lavakush Singh, S/O Shri Roshan Singh. Address-Tulsi-Vihr Near Railway Station 24futa-Road Dadri Gautambuddha-Nagar (203207)U.P, Changed My Name Lavkush Singh. 0040515533-8

I Lakshmi Chalhotra D/o Ashok Kumar Chalhotra R/o 1-B/76, Ramesh Nagar, Delhi-110015, have changed my name to Rosheen Chalhotra. 0070678091-1

व्यक्तिगत

I Rani Agarwal W/o vikas garg r/o-x3368 gali no.2 raghubar pura no-2 Gandhi-nagar Delhi-31, Have Changed My Name To Sapna Garg. 0040515533-9

I Rajeev Sharma R/o-C-10/154, Ground-Floor, Yamuna-Vihar, Delhi-53 have changed my minor daughter's name from Grace to Grace Sharma.,for all future purposes. 0040515533-2

I Radhey Shyam S/O Krishan Lal Aggarwal R/O-49 Rajdhani-Enclave Pitampura Delhi-110034.,Have Change My Name To Radhey Shyam Aggarwal, For All Purposes. 0040515514-9

I Shanti Arora W/O Ashok Kumar Arora R/O LD- 50 Pitampura, Delhi Changed My name to Shanta Arora 0050156416-1

I Neeta Giri Alias Anita Giri D/o Harnand Giri and W/o Rakesh Giri R/o 149, Near Lord Krishna, Benquet Hall, Gaziabad UP 201001, have changed my name to Anita Giri. 0070678094-1

I Mohd Faizal Azim S/o Nawab R/o. CN-7, Ghat no.27, Meer-Dard-Lane, Daryaganj, Delhi-110002, have changed my name to Azeem. 0040515514-2

I Meena Gupta W/O Sunil Gupta, R/O-A-34, Panchvati, Azadpur Delhi-33., Have Changed My Name To Meenu Gupta For All Purposes. 0040515533-1

I Manoj Kumar S/O Gopi chand R/O-R-90,25 Sq.yds Raghubir Nagar Delhi-110027 Have Changed My Name to Manoj. 0040515543-3

I Mannu W/o Ajay Kumar Sharma R/o RZ-33A/1, 3rdFloor, Mahavir Enclave, Palam New Delhi 110045 HaveChanged My Name To Manisha Sharma As Per Affidavit 0070678032-1

I Binita D/o Om Prakash R/o 90B, Mohalla Ganj Shahida, Near Ganesh Cold Storage, Ujhani, Budaun, UP-243639, have changed my name to Binita Priyadarshi 0070678072-1

I Anita Chaubey W/o Sh.Shashi Mohan Pandey D/o Sh.Rameshwar Nath Chaubey R/o 256/3A, Railway Officers Enclave, P.K. Road, Railway Central Hospital, Delhi-110001 have changed my name to Anita Pandey for all purposes. 0040515476-2

रिक्त स्थान

Courier wants 4/5 yrs exp. Delivery Boys with Bike for Delhi/NCR at Shadipur Good Salary. Call 7498999950/52/54 0050156458-1

PUBLIC NOTICE

Under instructions from and on behalf of my client, **Smt. Shalu Kareer** W/o Nikhil Kareer, R/o, 1/9, Block-25, Shakti Nagar, Delhi. public is hereby informed that my aforesaid client has lost original Map, Conveyance Deed & Sale Deed of H.No. 90, PKT-A-8, Sector-16, Rohini, Delhi, measuring 60 sq. mtrs. Vide its Regd. No. 20,820, Book no. I, vol. No. 3979, pages 112 to 120 Dt. 11/11/2010, with SR-VIC, Rohini, Delhi has been lost by my client and an NCR has been lodged vide LR. No. 964797/2018 Dt. 02.04.2018, in P.S. Crime Branch, Delhi, my aforesaid client want to sell the above noted property to purchaser/s. Any objection by any one may be communicated to my client within 15 days from the date of this publication. **J.C. Trikha** (Advocate) Ch.No. M-4, C.S., Tis Hazari Courts, Delhi.

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my clients **Smt. Rajo Devi W/o Late Sh. Rameshwar Dayal R/o H.No. 196, Akbar Pur Majra, Harijan Mohalla, Delhi-110036** have severed all relationship and disowned/debarred their son namely **Sanjay and his wife Smt. Neelam and her granddaughters** namely Anushka and Manshi from their movable and immovable property. That Sanjay with his wife quarrels with my client and other family members regularly. That my client has no concern whatsoever with her son and his wife and granddaughter She is not responsible in any manner for the acts, deeds and conduct of her son **Sanjay and his wife Smt. Neelam and her granddaughters.** That anybody deals with them shall bear at his own risk and cost.

Sd/-
Vikash Bhardwaj (Advocate)
En. D/2044/09

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client SH. JANG SHER SINGH RANA S/o Sh. Harbans Singh and SMT. AMARJEET KAUR W/o Sh. Jang Sher Singh Rana R/o 94-C, AC-Block, Shalimar Bagh, Delhi-110088 have severed all their relations with their son SH. SARABJEET SINGH RANA and his wife SMT. GURVINDER KAUR RANA and their son JASKEERAT SINGH RANA. MY clients debars/disowns them from their all movable and immovable properties with immediate effects. Anybody dealing with them shall be doing so entirely at his/her/their own risk and consequences.

ASHOK KUMAR (Advocate)
Enrol.. No. D/4195/2010

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my client Shri Dhirendra Mishra son of Radhey Shyam Mishra & smt. Usha Mishra wife of Shri Dhirendra Mishra both resident of 74 B,75-76, C R Block Phase-2, Vikas Nagar, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have disowned/debarred their Daughter namely RASHMI MISHRA alias PUSHPA from their immovable properties due to her disrespectful behavior, out of control and have severed their relations with him for all intents and purposes with immediate effect, Anybody he/they deals with him will do so at his/her/their own risk and responsibility.

Ashok Kumar Tyagi & Associates Advocates
A-3, Main Najafgarh Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Virender Singh Rawat S/o Lt. Sh. Vijay Singh Rawat & his wife Smt. Sarojani Rawat both R/o A-2/167, First Floor, Sector-8, Rohini, Delhi-110085 have cancelled his previous statement which got published on 22.11.2016 in Indian Express & Jansatta News paper in which they had debarred and disowned their son Sh. Vikas Rawat from all their movable/immovable properties and relations, and now they cancel all previous published notices of disowned and debarred and accept all relations and liabilities and responsibilities of their said son. Now, they have released all relations, legal rights and titles of movable and immovable properties and made free from all boundations to their son Sh. Vikas Rawat in respect of movable and immovable properties and relations and he has full rights to deal with any one on any matter.
Gaurav Dhameja (Advocate)
RU-5, Pitampura, Delhi-34

खोया+पाया

This is to bring to notice that, JYOTI PRASAD, s/o Dharam Singh Hno 220a Asola Band Road Fatehpurberi Nd 74 Original Allotment Letter No 2/742/720/69/ Computer Dept/2006 Dt 01 Apr 2006 is Missing 1 Oct 2019 If found return to address. 0050156446-1

I, DHRUV Sharma S/o Suraj sharma R/o-D-103 top-floor Pushpanjali-enclave Pitam pura Delhi-34, have lost my original-certificate class-10th year-2017 Rollno-8197286 CBSE-Delhi. 0040515565-5

I, Geeta Negi D/o-Rajender Singh Negi, R/o h.no-69, Bhagwati-Garden Extn Uttam-Nagar Delhi-59have lost my original-certificate class-10th (2011) Rollno-8166324 class-12th(2013) Rollno-9166642 CBSE-Delhi. 0040515565-9

I, Anuragini Khurana W/o Raghuvir Khurana, have lost my Original Lease Deed of Property No.3/21, East Patel Nagar, New Delhi, duly Regd. Document No.29, Book No.1, Volume No.6, Page 47 to 48 on dated 26.02.1952. 0040515479-1

I, PRANAV Sharma S/o-Suraj sharma R/o-D-103 top floor pushpanjali-enclave pitampura Delhi-34.,have lost my original-certificate class-10th year-2014 Rollno-8196228 CBSE-Delhi. 0040515565-6

I, SHALU Rani D/o Yogesh Kumar R/o 3/20 Jagjivan-nagar Loni-road Shahdara Delhi-93, have lost my original-certificate class-10th year-2010 Rollno-6320807 CBSE-Delhi. 0040515565-8

I, Simrat Chadha S/o-Kanwar pal Singh R/o-h.no-26, Road.no-58 IInd-floor west Punjabi-bagh Delhi, have lost my original-certificate class-10th(1997) Rollno-6120754 class-12th (1999) Rollno-6216589 CBSE-Delhi. 0040515565-7

Lost of my property original documents, 1.Allotment letter, 2.Share certificate, 3.Possession letter, Sh. Rohit Valia S/o. Sh.Dr.Prem prakhash R/O.-Flat.no.-11, AIIMS, CGHS LTD,VIKAS PURI, New Delhi.Finder pls contact: E-Mail ID-ypsangari @ yahoo. com Mobile.No. 9013014604, Tel.No.011-42484604. 0040512877-6

I, KIRAN D/O-Late shri. Prabhu dayal R/o-C-450 Sangam-Vihar new Delhi-80, have lost my original-certificate class-10th year-1990 Rollno-441183 CBSE-Delhi. 0040515565-4

Lost my original Property document mundri Devi W/O Shri Lal Chand Jain who sold property (No-20, block R. KHAS-RA NO-2753/865, 867, 868,869,870, 871,Situated at G.T. Road,Shahdbagh Nagar colony village chandrawal Shahdara,Delhi registered under no-16761,add book no- 1 on page no 83 to 86 year 1966) to Shri Joga Singh S/O Shri Lal Singh R/O 1026, Shahdara Delhi finder pls contact Mahesh Manocha S/O Late Shri R. D Manocha R/O H. No-95,HIG Chander Nagar, Ghaziabad, U.P.-201011. 0040515292-3

This is to inform that I have sold my bike DL-5SX-8481, registered on my name Prema Rawat to Shiva automobiles, Babarpur in September 2017, which deals in Sales/Purchase of used Two-wheelers. Unfortunately, I have lost sell paper & already lodged an FIR for the same. So, I am not using that bike from September, 2017. I have nothing to do with any kind of subject that has happened after that.

सूचना

मैं निखिल सेवक इंटरप्राइजेज का अधोहस्ताक्षरी संचालक हूँ। मेरी फर्म द्वारा क्रय की गई ग्राम बंथरा सिंकदरपुर, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर स्थित भूखण्ड जिसका खसरा संख्या 641, 642, 643, 644 है। जो कि दिनांक 17/02/2014 की बही संख्या 1, जिल्द संख्या 16847, क्रमांक 3609, पृष्ठ संख्या 01 से पृष्ठ संख्या 40 तक उपनिबंधक प्रथम लखनऊ के यहाँ दर्ज है। उपरोक्त भूखण्ड की मूलप्रति कहीं खो गयी है। जिसकी प्रथम सूचना उ0प्र0 पुलिस को दिनांक 6.9.19 को दर्ज करवायी गई है। अगर किसी को प्राप्त हो तो कृपया मुझे इस नं0 9839402111 पर संपर्क करें।

PUBLIC NOTICE

Our client Mohd. Mobin S/o Late Hafiz Aluaddin & Shamim Bano W/o Sh. Mohd. Mobin both R/o E-12/101, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi have disowned and debarred their son Mohd Asad from their all movable, immovable properties and have no relation with them in future.

Sd/-
M.S. Khan (Advocate)
Ch. No. 507 Saket Courts New Delhi- 17

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

मानहानि मामले में सूरत की अदालत में पेश हुए राहुल, कहा मैं दोषी नहीं

सूरत, 10 अक्तूबर (भाषा)।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में गुरुवार को यहां मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि आपराधिक मानहानि के इस मामले में वे दोषी नहीं हैं।

यह मामला राहुल की कथित टिप्पणी 'सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है' से जुड़ा है। सूरत पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ यह मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में गांधी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएच कपाड़िया की अदालत में पेश हुए। अदालत ने गांधी से पूछा कि क्या वे इन आरोपों को स्वीकार करते हैं तो उन्होंने कहा कि वे निर्दोष हैं।

गांधी की दलील दर्ज किए जाने के बाद उनके वकीलों ने अगली सुनवाई में उनके निजी तौर पर उपस्थित रहने से स्थायी छूट मांगने वाला एक आवेदन दिया। याचियों के वकीलों ने व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का विरोध किया तो अदालत ने कहा कि इस आवेदन पर वह 10 दिसंबर को फैसला करेगी। अदालत ने कहा कि उस तारीख पर सुनवाई में गांधी को उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा, 'आज मैं सूरत में मानहानि के एक मामले में अदालत में पेश होने आया हूं। मेरे राजनीतिक विरोधियों ने मुझे चुप कराने के लिए मेरे खिलाफ मामला दायर किया है। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्यार और समर्थन के लिए आभारी हूं जिन्होंने यहां मौजूद होकर मेरे साथ एकजुटता दिखाई।' भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अपनी शिकायत में कहा था कि कांग्रेस नेता ने इस वर्ष लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है। यह वाद विचारार्थ स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा था कि वयनाड से सांसद के खिलाफ प्रथमदृष्ट्या आपराधिक मानहानि का मामला बनता है।

पब्लिक नोटिस

मै पब्लिक नोटिस मेरी मुवक्किल के आदेशानुसार व उनके विहफ पर दिया जा रहा है, मेरे मुवक्किल श्रीमती माया कौर पत्नी श्री सोहन सिंह निवासी टी–1/25, जी.जी. एस हास्पिटल, घोडे वाले मंदिर के पास, रघुवीर नगर, टैगोर गार्डन, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली–110027 में रहती हूं जो अपने पुत्र करतार सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह का उसके दुर्व्यवहार के कारण अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर रही हूं। आज के बाद मैं अपने सम्बंध विच्छेद करती हूं। और आज से जो भी इससे लेन देन करता है या सम्बन्ध रखता है, उसका वह स्वयं जिम्मेवार होगा, मेरी मुवक्किल जिम्मेवार नहीं होगी।
R.B. Singh (Advocate) Ch. No.75, Western Wing, Tishazari Courts, Delhi.

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किलो ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय प्रभाती लाल व श्रीमती सरस्वती पत्नी ओमप्रकाश, निवासी गांव दरियापुर डाकखाना उजवा, नई दिल्ली–110073 ने अपने पुत्र जितेंद्र कुमार व पुत्रवधू रानी को जो इनके कहने से बाहर हैं दोनो को अपनी समस्त चल–अचल सम्पति तथा सामाजिक रूप से वताई बेदखल कर दिया है । जो कोई इनसे लेन–देन करेगा वो स्वयं जिम्मेदार होगा मेरे मुवक्किलो की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।
ह० पुष्पेन्दर सिंह दहिया (एडवोकेट)
चैम्बर न०–31, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली - 01
Enrl. No. D/480/13

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि मेरे मुवक्कील श्री बाबु लाल पुत्र स्व. श्री मंदुरी सिंह पता म. न. 21/15, त्रिलोक पुरी चील्ला सरोदा खादर नई दिल्ली 110091 ने अपने पुत्र सोनु व उसकी पत्नी अंजना व अपने पोते उदित व पोती मानवी को उनके गलत व्यवहार, आचरन एव नियंत्रण मे ना होने के कारण अपनी समस्त चल अचल सम्पती से सभी को बेदखल कर दिया है. तथा उपरोक्त सोनु व उसकी पत्नी अंजना व इनके बेटा व बेटी से अपने सारे सम्बन्ध विच्छेद कर लिये है. अब मेरे मुवक्कील का अपने पुत्र सोनु व उसकी पत्नी अंजाना व इनके दोनो बच्चो से कोई सम्बन्ध नही रहा है ओर यदि भविष्य में उपरोक्त सभी के साथ कोई व्यक्ति लेन देन करेगा तो वह व्यक्ति स्वयन का जोखिम उठायेगा ! इसमे मेरे मुवक्कील की कोई जिम्मेदारी नही होगी.
धर्मवीर सिंह (अधिवक्ता)
चै.न. 322, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली–17

PUBLIC NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE **SHARE CERTIFICATE NO. 661988 AGAINST REGD. FOLIO NO. 00188021** FOR **990** EQUITY SHARE BEARING DISTINCTIVE NO. **81446189** TO **81447178** OF PASUPATI ACRYLON LTD. STANDING IN THE NAME OF **LATE BANSI LAL SAWHNEY** HAS BEEN REPORTED LOST/STOLEN AND AN APPLICATION FOR ISSUE OF DUPLICATE CERTIFICATE HAS BEEN MADE BY PANKAJ SAWHNEY (AS LEGAL HEIR) TO THE COMPANY AT "M-14,CONNAUGHT CIRCUS, NEW DELHI 110001" TO WHOM OBJECTION, IF ANY, AGAINST THIS SHARE CERTIFICATE SHOULD BE MADE WITHIN 15 DAYS FROM THIS NOTICE, AFTER WHICH NO CLAIM WILL BE ENTERTAINED BY THE COMPANY.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my clients **Narender Singh** s/o Late Shri Jiwan Singh & **Smt. Manju Devi** w/o Shri Narender Singh, both residents of 6558, Pradhan Chowk, Nabi Karim, New Delhi- 110055 **disowned their son Mr. Giriraj and his to be wife and their to be children**, from their all moveable immoveable properties as they have abusing and quarreling with my clients and other family members and my clients have broken all relations from them and my clients have no concern with any liabilities or any transactions belongs to them in any manner.
G.L. GOSWAMI (Advocate)
3530, Qutab Road, Delhi-110006

PUBLIC NOTICE

On the instructions of my client Smt. Krishna Sharma W/o. Late Sh. Durga Dass Sharma R/o. 13A/112, Brahm Puri Colony, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi - 110005, this is to inform all that they have dispossessed her son namely Rakesh Sharma, his wife Smt. Anu Sharma and their child Divyansh and their legal heirs from all their moveable and immoveable properties due to their rude behavior and bad intention of demanding more and more after their marriage from his mother. It is further to inform that my clients shall not be responsible if any deal is done with above said Rakesh Sharma, his wife or child financially or non financially.
R.P. GUPTA-ADVOCATE
4/7, Asaf Ali Road, New Delhi

PUBLIC NOTICE

The general public is hereby informed that my client namely Sh. Harbir Singh, Aged about 62 years, S/O- Late Sh. Ram Narain, R/O- B-7/12, Miyan wali Nagar, New Delhi-110087, have severed all relations with his son Sh. Naveen, aged about 36 years and his family and whomsoever dealing with Naveen and his family, in any manner, would be dealing at his /her own risk and responsibility. I also disown my son and his family from all the movable and immovable properties of mine.

Sd/-
ADITYA KUMAR YADAV (ADVOCATE)
E.No. D/2194/2016

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Mrs. **SHAKUNTALA W/O DHARAM PAL R/O H.No. 3710-B KH NO. 98/5, STREET NO-2, JAIN COLONY JAIN NAGAR TIRANTHANKAR NAGAR, KARALA, DELHI-110081,** have severed all their relations with her son **"SAURABH AND HIS WIFE"ANNUPAMA AND THEIR CHILDREN"** Who are quarrelsome and disobedient to my clients and are leading their life as per their wishes and against the wishes of my client Henceforth, neither my client nor any of their other family members has/have any relation or connection with her son **SAURABH** and his wife **ANUPAMA** and their children and thus my client hereby debar them from all their movable and immovable properties.

Sd/-
(SUBHASH BAGHEL) ADVOCATE
ENRL. NO. D-1161/13

PUBLIC NOTICE

My client have lost original document of property bearing No. 1/7656, First floor, Gali No. 4, East Gorakh Park, Shahdara, Delhi-110032, document Regd. No. 625, Book No. 1, Page No. 14 to 18, Volume No. 826, dated 03.08.2010 somewhere in Shahdara Delhi-110032, anybody found please inform Gulshan Bhagat son of Late Shri shatrughan Bhagat Resident of House No. 1/7656, First floor, Gali No. 4, East Gorakh park, Shahdara, Delhi 110032, Mob.9811850207

Sd/-
Nirmal Kumar (Advocate)
Enroll No. D/3065/14, Chamber No. G-515, Karkardooma court, Delhi-110032

पार्किंग मुद्दे पर दिल्ली मेट्रो को नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो स्टेशनों पर टैक्सी और तिपहिया आटो और साइकिल रिक्शा की पार्किंग के लिए कम जगह होने के मामले में डीएमआरसी से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के पीठ ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) की रिपोर्ट पर डीएमआरसी को नोटिस जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो स्टेशनों और अंतरराज्यीय बस अड्डे जैसे स्थानों पर टैक्सी, तिपहिया आटो और साइकिल रिक्शा की पार्किंग के लिए स्थान निर्धारित नहीं है। इस वजह से वाहनों की भीड़ रहती है जिससे यात्रियों को परेशानियां होती हैं।

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

प्राधिकरण ने अदालत में पेश रिपोर्ट में यह भी कहा है कि दिल्ली के लिए अंतिम स्थान तक मेट्रो स्टेशनों और कई तरह के यातायात वाले स्थानों को जोड़ना एक महत्त्वपूर्ण एजंडा है और यह शहर में निजी वाहनों की आवश्यकता को काफी हद तक कम करेगा। पीठ ने इस मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन को एसपीसीए की रिपोर्ट पर जवाब देने का निर्देश दिया और इसे नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

ईपीसीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि मेट्रो स्टेशन जैसे महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक यातायात के स्थानों से अंतिम छोर के लिए टैक्सी, आटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा को निःशुल्क पार्किंग स्थल की आवश्यकता है। लिहाजा जहां पैदल यात्रियों के लिए सुविधाओं और बसों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, वहीं अंतिम छोर तक जोड़ने के लिए टैक्सी और आटो रिक्शा के बेहतर उपयोग की भी जरूरत है। रिपोर्ट के अनुसार आज की स्थिति में यातायात के लिए एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की परिवहन सुविधाएं अपर्याप्त हैं और टैक्सी, तिपहिया वाहनों और साइकिल रिक्शों के लिए पार्किंग स्थान के बगैर मेट्रो व अंतरराज्यीय बस अड्डों पर वाहनों की बहुत अधिक भीड़ हो जाएगी और यह यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनेगी।

घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे : शाह

तुलजापुर, 10 अक्तूबर (भाषा)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि घुसपैठियों को देश से निकाल बाहर किया जाएगा और इसके लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लागू किया जाएगा। भाजपा प्रमुख ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए यहां आयोजित एक जनसभा के दौरान यह घोषणा की। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 21 अक्तूबर को मतदान होगा।

शाह ने कहा कि 2024 (आम चुनाव) में वोट मांगने के लिए आने से पहले मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भाजपा की सरकार सुनिश्चित करेगी कि हर घुसपैठिए को देश से निकाल बाहर किया जाए। उन्होंने कहा कि अपने देश में अवैध रूप से रह रहे हर किसी को हम बाहर निकाल देंगे।

कांग्रेस और राकांपा ने एनआरसी का विरोध किया है क्योंकि ऐसे लोग इन विपक्षी दलों के लिए वोट बैंक हैं। भाजपा नेता ने कहा कि पाकिस्तान और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों ने बालाकोट हवाई हमले के सबूत मांगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आतंकवाद के जवाब में लक्षित हमले और एअर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने हमसे सबूत मांगे और राहुल गांधी ने भी इसके लिए सबूत मांगे। पाकिस्तान और राहुल गांधी के एक तरह के बयान से देश भ्रमित हो गया। शाह ने दावा किया कि भाजपा के शासनकाल के दौरान महाराष्ट्र को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में काफी बढ़ोतरी हुई है।

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING
EXPRESS EDUCATION

LAW AMBITION LAW INSTITUTE
BIHAR JUDICIARY MOCK INTERVIEW 2019
MOCK INTERVIEW AND INTERVIEW GUIDANCE PROGRAMME FOR ALL THE ASPIRANTS IS SCHEDULED (11th to 14th Oct.) PLEASE REGISTER WITH US ASAP.
Toll Free No. 1800 12000 2001
Contact No.- 8800660301
Email -ambitionlaw1@gmail.com
MUKHERJEE NAGAR: JUDICIAL FOUNDATION 17 OCT. WEEKEND 20 OCT. CLAT 14 OCT. 880066-0301 / 2130 / 0380
KAROL BAGH / PUSA ROAD: JUDICIAL 16 OCT. IAS (LAW) 14 OCT. CLAT 15 OCT. 880066-2140 / 011-49841810
B-10, 1st Floor, Above Maharashtra Bank, Mukherjee Ngr, Delhi -9
011-47532639 / 8800660301
www.ambitionlawinstitute.com
Toll Free No. 1800-12000-2001

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

डेनमार्क में होने वाले सम्मेलन को मुख्यमंत्री दिल्ली से करेंगे संबोधित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

डेनमार्क में होने वाले सी–40 सम्मेलन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली से ही संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल को डेनमार्क जाने की अनुमति नहीं दी थी। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस संबोधन के लिए आयोजकों की तरफ से अरविंद केजरीवाल को संबोधन का आग्रह किया गया। इस आग्रह को मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है।

अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को वीडियो कान्फ्रेंस से सी– 40 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे 'ब्रीद डिफ्ली, सिटी सॉल्यूशंस फॉर क्लीन एअर' के सत्र को वीडियो कान्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में दुनिया के बड़े महानगरों के महापौर शामिल हो रहे हैं और यह संबोधन दोपहर 12 बजे होगा। वे चौथे नंबर पर इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनसे पहले पेरिस, लॉस एंजिल्स और कोपेनहेगन के महापौर जलवायु परिवर्तन पर अपना संबोधन देंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार इस सम्मेलन में 25 फीसद तक प्रदूषण कम करने के लिए सरकार के उठाए गए कदमों की जानकारी देगी और दुनिया को दिल्ली में सफलतापूर्ण लागू की गई सम–विषम की कहानी बताई जाएगी।

'मुफ्त बिजली योजना स्मार्ट शासन का उदाहरण'

सरकार की मुफ्त बिजली योजना को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 'स्मार्ट शासन' का एक उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से दिल्ली में लगातार बढ़ रही बिजली की खपत को भी कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि अगस्त में आम आदमी पार्टी सरकार ने घरेलू उपयोगकर्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मुहैया कराने की घोषणा की थी। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले किरायेदारों को भी यह सुविधा देने की घोषणा की थी। ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रहने वाले लोग 200 यूनिट से कम बिजली उपभोग करने की कोशिश में रहते हैं ताकि उनके बिजली का बिल पूरी तरह से माफ हो सके। दिल्ली में करीब 48 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं।

केजरीवाल बताएं आठ लोगों की फौज के साथ क्यों जाना चाहते थे डेनमार्क : भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

डेनमार्क की यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को घेरा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जनता को यह जरूर बताना चाहिए कि वे आठ लोगों की फौज के साथ डेनमार्क क्यों जाना चाहते थे। मनोज तिवारी ने बताया कि दिल्ली सरकार की योजना के तहत डेनमार्क की यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री सत्येंद्र जैन, अधिकारी अरुण मिश्रा, प्रवेश रंजन झा, वैभव कुमार, गोपाल मोहन, नागेंद्र शर्मा और जेसमीन शाह का भी नाम शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की मंशा केवल सरकारी धन का दोहन करना था। वे कर जमा करने वाले लोगों के पैसों से घूमने की तैयारी कर रहे थे।

कांग्रेस की तर्ज पर झूठे प्रमाणपत्र देने की तैयारी कर रही है सरकार : गोयल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

झुग्गी कॉलोनियों के सर्वेक्षण को भाजपा नेता विजय गोयल ने झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की तर्ज पर अब आम आदमी पार्टी भी इन कॉलोनियों को झूठे प्रमाणपत्र देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने गुरुवार को एक पदयात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पक्के मकान बनाने के मामले में अरविंद केजरीवाल जनता को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली में अगर कोई संस्था घर निर्माण का कार्य कर सकती है तो वह केंद्र सरकार है। इसलिए दिल्ली सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना को अपनी योजना बताकर बांटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जिन मालिकों को मास्टर प्लान में संशोधन कर राहत दी है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया।

वनमाली कथा सम्मानों का एलान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

वनमाली सृजन पीठ द्वारा प्रत्येक दो सालों में दिए जाने वाले वनमाली कथा सम्मान, वनमाली कथा आलोचना सम्मान और वनमाली साहित्यिक पत्रिका सम्मान की घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष कथाकार प्रियंवद को राष्ट्रीय वनमाली कथा सम्मान, कथाकार रणेंद्र और भगवानदास मोरवाल को वनमाली कथा सम्मान, युवा कथाकार मनोज पांडेय, तरुण भटनागर और गौरव सोलंकी को वनमाली युवा कथा सम्मान प्रदान किया जाएगा। आलोचक विनोद शाही को वनमाली कथा आलोचना सम्मान और युवा आलोचक राहुल सिंह को वनमाली कथा युवा आलोचना सम्मान दिया जाएगा, जबकि वनमाली साहित्यिक पत्रिका सम्मान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'समकालीन भारतीय साहित्य' को दिए जाने का फैसला किया गया है। इस साल वनमाली विशिष्ट कथा सम्मान से किरण सिंह और उपासना चौबे को सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानों का चयन संतोष चौबे की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति जिसमें मुकेश वर्मा, लीलाधर मंडलोई, बलराम गुमास्ता, महेंद्र गगन शामिल थे ने किया। कथाकार प्रियंवद का चयन कहानी में उनके सरस कथन और विरल क्राफ्ट को देखते हुए किया गया। सभी पुरस्कार टैगोर अंतरराष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव 'विश्व रंग' के दौरान 10 नवंबर को प्रदान किए जाएंगे।

'नरेला बवाना फ्लाईओवर दिल्ली सरकार ने रोका'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

ग्रामीण क्षेत्रों को जाम से मुक्त बनाने के लिए बनी नरेला बवाना फ्लाईओवर की योजना को दिल्ली सरकार ने रोक दिया है। गुरुवार को इसके विरोध में भाजपा ने भौरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुआई प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने की।

मनोज तिवारी ने कहा कि इस फ्लाईओवर का निर्माण हो जाने से क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर में कमी लाई जा सकेगी। प्रदर्शन में सांसद हंसराज हंस व विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता भी शामिल हुए।

न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड

NHHFDL
New Habitat Housing Finance and Development Limited

पंजीकृत कार्यालय : न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड
मैज़नाईन तल, एम–4, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट– II, नई दिल्ली–110049
कॉरपोरेट कार्यालय: सी–1, सैक्टर–3, नोएडा–201301, मो. 0120–4180500

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के कारण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए दिनांक 06.07.2019 को मांग सूचना जारी की गयी थी, जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रु. 16,25,847/- (रु. सोलह लाख पच्चीस हजार आठ सौ सैतालीस मात्र), लोन खाता नं. HSG/N/HEA/NSP/1217/0019 उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), के नियम 8 साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 10.10.2019 को लिया है।

विशेष रुप से कर्जदार तथा सामान्य रुप से जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड (एनएचएचएफडीएल) के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. 16,25,847/- (रु. सोलह लाख पच्चीस हजार आठ सौ सैतालीस मात्र), लोन खाता नं. HSG/N/HEA/NSP/1217/0019 के अधीन होगा।

कर्जदार / गारंटर का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा(8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसम्पत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार का नाम / सह–कर्जदार / गारंटर / लोन खाता नं.	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना में बकाया राशि
विरेन्द्र कुमार पटेल एवं श्याम कली HSG/N/HEA/NSP/1217/0019	प्लॉट नं. 6, खसरा नं. 492, जोकि गॉव ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, आबादी गली नं. 10, राजीव नगर, कॉलोनी, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, मूल सेल डीड दिनांक 30.01.2018, यह सम्पत्ति श्री विरेन्द्र कुमार पटेल के पक्ष में श्री राम सुमेर के नाम पर है। दस्ता नं. 731, वॉल्यूम नंत्र 13256, पेज नं. 53–132, एसआर सदर III गाजियाबाद में पंजीकृत	मांग सूचना की तारीख : 06.07.2019, रु. 16,25,847/- (रु. सोलह लाख पच्चीस हजार आठ सौ सैतालीस मात्र), लोन खाता नं. HSG/N/HEA/NSP/1217/0019

दिनांक: 10.10.2019, स्थान : नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, न्यू हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

ओ.बी.सी
(भारत सरकार का उपक्रम)
कलसटर – आर आर एल नोएडा, एसएच–12, प्रथम तल, गामा शॉपिंग सैन्टर, सैक्टर–गामा– I, ग्रेटर नोएडा –201308, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी., फोन : 0120-2322667, ई–मेल: rrl_7656@obc.co.in

नियम – 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा** ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,** के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार / गारंटरों के नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में)
1	मैसर्स यूनिक कंस्ट्रक्शन कंपनी (प्रोपराईटर: श्री बी.पी. तिवारी)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. जी–565, अल्फा II, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, यू.पी में स्थित, क्षेत्रफल 60 वर्ग मी., चौहद्दी : उत्तर पूरब में – 12मी चौडी रोड, दक्षिण पूरब में – प्लॉट नं. 564, दक्षिण पश्चिम में – प्लॉट नं. 510, उत्तर पश्चिम में – प्लॉट नं. 566	13-06-2019 / 05-10-2019	₹ 27,79,091.51 दिनांक 01-02-2019 से होने वाला ब्याज

दिनांक 05.10.2019, स्थान : नोएडा, ग्रेटर नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

pnb Housing Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 01 1 –233571 71 , 233571 72, 23705414 वेबसाइट : www.pnbhousing.com
शाखा पता : यूजी1, एसजी बीटा टॉवर, प्लॉट सं. 10, सेक्टर–3, वसुन्धरा, गाजियाबाद (उ.प्र.)–201011.
दूरभाष : 120–2699117, ई–मेल : ghaziabad@pnbhousing.com, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकतता पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के नियम 8(1) के अनुपालन में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियों पर कथित सूचना/ओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बद्ध कर्जदार/रों से प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित राशियों का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार/रों के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियों पर नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार ऋण अनुबन्ध के अनुसार कथित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के विषय में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	कर्जदार/सहकर्जदार/ जमानती का नाम	माँग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा करने की तिथि	गिरवीकृत सम्पत्ति का विवरण
1.	306660000286 शाखा : गाजियाबाद	श्री धीरज कुमार	16.11.2016	16.11.2016 तक रु. 28,14,773.51	07.10.2019 (सांकेतिक)	प्लॉट सं. 11/3, फ्लैट सं. 1702, ब्लॉक–सी, एपेक्स आकाशिया वैली, सेक्टर–3, वैशाली गाजियाबाद (उ.प्र.)
2.	HOU/GHA/1018/594204 शाखा : गाजियाबाद	श्री अनूप कुमार एवं श्रीमती चेतना भारद्वाज	19.06.2019	19.06.2019 तक रु. 30,03,315.86	07.10.2019 (सांकेतिक)	फ्लैट सं. 2बी/805, भूतल, सेक्टर–2बी, वसुन्धरा गाजियाबाद (उ.प्र.)

स्थान: गाजियाबाद, दिनांक: 10.10.2019 — अधिकृत प्राधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

AU SMALL FINANCE BANK
(पूर्व में ए.यू. फाईनेंसियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19–A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है।"वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की" धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/ गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चो एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्हीं प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चो प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋणी/सहऋणी/बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
कुंवर शौकीन, श्रीमती वसीमा शौकीन (खाता सं.) L9001060114348824 (L9001060114348824)	24 सितम्बर 2019 ₹3685067/- रु. छत्तीस लाख पचासी हजार सडसठ मात्र दिनांक 29 अगस्त 2019 तक	व्यवसायिक सम्पत्ति, सर्वे नं. 692, हल्दवानि, जिला नोईडा, उ.प्र. पर स्थित है।
भुपेन्द्र कुमार, श्रीमती मिनाक्षी (खाता सं.) LSRPD02715-160355093 (L9001060100991910)	24 सितम्बर 2019 ₹400779/- रु. चार लाख सात सौ उनासी मात्र दिनांक 30 अगस्त 2019 तक	प्लॉट नं. 1/3163, गली नं. 18, राम नगर एक्सटेन्शन, नई दिल्ली
श्रीमती मीना गांधी, रविश गांधी (खाता सं.) L9001060713615988	24 सितम्बर 2019 ₹842220/- रु. आठ लाख बयालीस हजार दो सौ बीस मात्र दिनांक 30 अगस्त 2019 तक	प्लॉट नं. 16, खसरा नं. 144, ब्लॉक बी, घडी झारिया मारिया अमरित पुरी पुर्व कैलाश, दिल्ली
श्रीमती मीना गांधी, रविश गांधी (खाता सं.) L9001060815549163	24 सितम्बर 2019 ₹746113/- रु. सात लाख छियालीस हजार एक सौ तेरह मात्र दिनांक 30 अगस्त 2019 तक	फ्लेट नं. 19-बी, दुसरे तल पर, अमरितपुर, बरात घर, पुर्वी और कैलाश, ग्राम घडी, दिल्ली
सुरेन्द्र, श्रीमती बबिता (खाता सं.) L9001060116553661	24 सितम्बर 2019 ₹2401105/- रु. चौबीस लाख एक हजार एक सौ पांच मात्र दिनांक 30 अगस्त 2019 तक	प्लॉट नं. जे-217 नया जे-605/ए, सर्वे नं. 795,796,797, गली नं. 01, मुंशी गली 3.1.2, पास्ता करतार नगर, ग्राम घोंडा गुजरन खसरा, तहसील इलाका शाहदारा, दिल्ली
आनन्द गुप्ता, श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता (खाता सं.) L9001060714527922	24 सितम्बर 2019 ₹3275483/- रु. बत्तीस लाख पचहत्तर हजार चार सौ तिरासी मात्र दिनांक 30 अगस्त 2019 तक	फ्लेट नं. एन-84, पहला तल, ब्लॉक-एन, किल्ला नं. 111 एवं चक नं. 198, उत्तम नगर, बिन्दापुर, जिला -पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली
राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, श्रीमती रेखा शर्मा (खाता सं.) L9001060714950582	24 सितम्बर 2019 ₹2646100/- रु. छब्बीस लाख छियालीस हजार एक सौ मात्र दिनांक 30 अगस्त 2019 तक	व्यवसायिक सम्पत्ति नं. 18, के नं. 385एफ, ग्राम नवाडा, जिला उत्तम नगर, दिल्ली
निखिल मित्तल, राज कुमार मित्तल (खाता सं.) L9001060115989999	24 सितम्बर 2019 ₹1819414/- रु. अठारह लाख उन्नीस हजार चार सौ चोदह मात्र दिनांक 30 अगस्त 2019 तक	प्लॉट नं. जे-15/6, खसरा नं. 666 मिन, जय प्रकाश नगर, घोंडा, ग्राम गुर्जन खदर, तहसील इलाका शाहदारा, नई दिल्ली
संजीव कुमार वर्मा, सतिश कुमार वर्मा (खाता सं.) LSKRL02713-140212765 (L9001060100156819)	24 सितम्बर 2019 ₹420690/- रु. चार लाख बीस हजार छः सौ नब्बे मात्र दिनांक 30 अगस्त 2019 तक	सम्पत्ति नं. सी-20, दुसरा तल बिना छत अधिकार, खसरा नं. 53/9, गुरु राम दास नगर, लक्ष्मी नगर, ग्राम खुर्जी खास, इलाका शाहदारा, नई दिल्ली
अशविन्द नागर, कुलदीप नागर, ब्रजपाल (खाता सं.) L9001060715100696	24 सितम्बर 2019 ₹2144872/- रु. इक्कीस लाख चवालीस हजार आठ सौ बहत्तर मात्र दिनांक 30 अगस्त 2019 तक	सम्पत्ति, खसरा नं. 165, ग्राम परगना, तहसील दादरि, जिला जीबी नगर, उ.प्र.
मो. शाहरिब मलिक, श्रीमती शहनाज़ मलिक जमानतदार : हारुन मलिक (खाता सं.) LSDWM02716-170500029 L9001060100741100	24 सितम्बर 2019 ₹800910/- रु. आठ लाख नो सौ दस मात्र दिनांक 29 अगस्त 2019 तक	प्लॉट नं. बी-257, ग्राउण्ड तल, शॉप नं. जी-7, शालीमार गार्डन, मैन गाज़ियाबाद, उ.प्र.
नवीन जुनेजा, श्रीमती सोनिका जुनेजा (खाता सं.) LSGUR02716-170461871 (L9001060100983524)	24 सितम्बर 2019 ₹1907327/- रु. उन्नीस लाख सात हजार तीन सौ सताईस मात्र दिनांक 30 अगस्त 2019 तक	प्लॉट नं. टी-300, ग्राम हस्तल, उत्तम नगर, दिल्ली
लछमन, श्रीमती कमलेश, सोनु (खाता सं.) L9001060114184377	24 सितम्बर 2019 ₹1025268/- रु. दस लाख पच्चीस हजार दो सौ अडसठ मात्र दिनांक 30 अगस्त 2019 तक	व्यवसायिक सम्पत्ति नं. 83, प्लॉट नं. 20, सर्वे नं. 164/223, विष्णु कॉलोनी, लाल कोठी रोड, जिला फरिदाबाद, हरियाणा
गौरव कुमार, जगदिश चन्द, श्रीमती अनिता, गौरव कुमार (खाता सं.) L9001060114868710	24 सितम्बर 2019 ₹1453841/- रु. चौदह लाख तिरेपन हजार आठ सौ इकतालीस मात्र दिनांक 30 अगस्त 2019 तक	सम्पत्ति, खसरा नं. 1364 से 1367, कल्याण एन्कलेव, नगर परिषद, तहसील एवं जिला पलवाल, हरियाणा पर स्थित है।
श्रीमती परवेश चौधरी, गोविन्द चौधरी (खाता सं.) L9001060116348568	24 सितम्बर 2019 ₹932772/- रु. नो लाख बत्तीस हजार सात सौ बहत्तर मात्र दिनांक 31 अगस्त 2019 तक	मकान नं. 350 ए पुरान एवं 542 नया, खसरा नं. 1191, गली नं. 2 कृष्णा नगर कॉलोनी, सदीक नगर परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाज़ियाबाद, उ.प्र.

स्थान :जयपुर दिनांक: 10–10–2019 — प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–I, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

आर.सी. नं. 44/18 — सिंडीकेट बैंक बनाम बब्बर कुन्दन आर्ट्स एवं अन्य

"आदेश"

कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 13.9.2019 के अनुसार 14.11.2019 को सार्वजनिक ई नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगीः

यह नीलामी बिक्री वेबसाईट https://drt.auctiontiger.net पर "ऑन लाईन ई–नीलामी" होगी।

नीलामी की तिथि एवं समयः 14.11.2019 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. (4 बजे अप. के बाद यदि जरूरी हुआ, 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ।)

संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
सम्पूर्ण प्रथम तल, बिना छत के अधिकार के, फ्रीहोल्ड निर्मित सम्पत्ति मकान सं. 79 का भाग (भूमि के क्षेत्रफल की माप 48.00 वर्ग मी.) पॉकेट–10, सेक्टर–20, रोहिणी, दिल्ली में स्थित सम्पत्ति।	रु. 29.45 लाख	रु. 2.94 लाख

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी बिक्री वेबसाईट पोर्टलः https://drt.auctiontiger.net पर "ऑन लाईन ई–नीलामी" होगी।
2. **ईएमडी का भुगतान रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–II, दिल्ली खाता आर.सी. नं. 44/18 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा किया जाएगा** जिसके साथ पहचान के स्व– सत्यापित प्रमाण (वोटर आई–कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) जिसमें भविष्य में पत्राचार का पता शामिल हो तथा पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित **प्रति अधिकतम 11.11.2019 के 5.00 बजे अप. तक** रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–I, दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी अथवा ईएमडी के मूल प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. ईएमडी या ईएमडी के एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा जमा की गई मूल प्रमाण तथा प्रेषक के विवरणों जैसे पते, ई–मेल आईडी तथा मोबाईल नंबर आदि से युक्त लिफाफे के ऊपर 'आरसी नं. 44/18' शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
4. संपत्ति की बिक्री "**जैसा है जहां है आधार**" पर की जा रही है।
5. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://www.drtauctiontiger.net देखें।
6. संभावित बोलीदाता को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा अग्रिम में लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जो ई–प्रॉक्योमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Auction Tiger), बी–704/5, वाल स्ट्रीट–II, ऑरिएंट क्लब के सामने, एलिस ब्रिज, गुजरात कॉलेज के निकट, अहमदाबाद–3800006 (गुजरात), टोल फ्री नं. 18001035342, whatsapp: 9374519724, सम्पर्क व्यक्तिः श्री कुशल कोठारी (8980690773), श्री विशाल तिवारी (9879996111), ईमेल आईडीः delhi@auctiontiger.net, kushal@auctiontiger.net support@auctiontiger.net से प्राप्त करना अनिवार्य है।
7. इच्छुक बोलीदाता मै ई–प्रॉक्योमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी–704/5, वाल स्ट्रीट–II, ऑरिएंट क्लब के सामने, एलिस ब्रिज, गुजरात कॉलेज के निकट, अहमदाबाद–3800006 (गुजरात), टोल फ्री नं. 18001035342, a ` whatsaap: 9374519724, सम्पर्क व्यक्तिः श्री कुशल कोठारी (8980690773), श्री विशाल तिवारी (9879996111), ईमेल आईडीः delhi@auctiontiger.net, kushal@auctiontiger.net support@auctiontiger.net से ई–नीलामी प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. केवल ऐसे बोलीदाता ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने के लिए अधिकृत होंगे जिनके पास वैध यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर या एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
9. जो इच्छुक बोलीदाता 11.11.2019 **के 5 बजे अप.** तक आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई–नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो 30.11.2019 **को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. के बीच** आयोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी।
10. बोलीदाता **रु. 50,000/– (रुपए पचास हजार मात्र)** के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।
11. सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई–नीलामी की समाप्ति के बाद धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–I, दिल्ली खाता "**आरसी नं. 44/18**" के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–I, दिल्ली के कार्यालय में इस तरह से भेजना होगा ताकि वह ई–नीलामी की समाप्ति से 3 दिनों के भीतर रिकवरी अधिकारी कार्यालय में पहुंच जाए अन्यथा धरोहर राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जायेगी।
12. सफल उच्चतम बोलीदाता को रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–I, दिल्ली "**आर.सी. नं. 44/18**" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15 वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को शेष 75% बोली राशि के साथ 1000/– तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क का रजिस्ट्रार, डीआरटी–I, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।)
13. असफल बोलीदाता ई–नीलामी के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–I, दिल्ली से प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।
14. रिकवरी अधिकारी को बिना कारण बताये किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने, यदि अनुपयुक्त पाई जाती है, या किसी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
15. सीएचएफआई/ सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि बिक्री उद्घोषणा दस्ती, स्पीड पोस्ट, कूरियर द्वारा तथा संपत्ति के किसी उपयुक्त भाग में उसे चिपकाकर सीडीज को उपलब्ध कराएं तथा परिक्षेत्र में ड्रम का वादन कराएं तथा उसकी एक प्रति अधिकरण की सूचना पटल पर लगवाएं।
16. बिक्री उद्घोषणा / आदेश क्षेत्र में व्यापक प्रचार वाले अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जाए।
17. सीएचएफआई/ सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन को सुनिश्चित करें तथा उसकी एक प्रति फाइल में लगवायें।

बिक्री उद्घोषणा की सर्विस का शपथ पत्र दाखिल करने तथा अग्रिम कार्यवाही के लिये मामले में 5.11.2019 को सूचीबद्ध किया जाये।

तिथिः 9.10.2019 — (संजू स्नेही)
स्थानः नई दिल्ली — रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–I, दिल्ली

HDB FINANCIAL SERVICES
From the trusted family of HDFC Bank

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड–380009
शाखा कार्यालयः एडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लि., बिल्डिंग नं. 59, पंचकूइयाँ रोड आर. के. आश्रम मेट्रो स्टेशन के निकट, नई दिल्ली–110001

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 4) के अंतर्गत एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर संबंधित ऋणधारक को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि के साथ भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, चार्जेज, खर्चे आदि को वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उक्त ऋणधारक/ सह–ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक, सह–ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित तिथि को यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय संबंधित तिथि से आगे के ब्याज, लागतों एवं चार्जेज के साथ उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक तथा सह–ऋणधारकों/गारन्टरों, ऋण खाता संख्या, ऋण की राशि, प्रतिभूति का विवरण, मांग सूचना तिथि मांग की गई राशि; कब्जा की तिथि का विवरण यहां नीचे दिया गया है।

क्रम सं.	1. ऋणधारक/सह–ऋणधारक/गारन्टर का नाम एवं पता; 2) ऋण खाता संख्या; 3) ऋण की राशि; 4) मांग सूचना तिथि; 5) मांग की गई राशि आईएनआर में; 6) प्रतिभूतियों का विवरण; 7) कब्जा की तिथि
1.	ऋणधारक एवं सह–ऋणधारक का नामः रिचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिचा होल्डिंग्स लिमिटेड, सुभाष गुप्ता, उषा गुप्ता, गरिमा गुप्ता, सुशील गुप्ता, संदीप गुप्ता, सभीः प्लॉट नं. 29, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–II, फरीदाबाद–121003, मकान सं. 1476, सेक्टर 14, फरीदाबाद–121007, जी–74, साउथ सिटी, 01, गुड़गाँव–121001 तथा मकान सं. 408, वार्ड नं. 25, सेक्टर–16–ए, दौलताबाद, फरीदाबाद–121007, खाता नं. 2438228, ऋण राशिः रु. 26332894 (रुपये दो करोड़ तिड़ेसठ लाख बत्तीस हजार आठ सौ चौड़ानवे मात्र); मांग सूचना तिथिः 29.5.2019; मांग की गई राशिः रु. 26479719/– (रुपये दो करोड़ चौंसठ लाख उन्यासी हजार सात सौ उन्नीस मात्र) 10 मई, 2019 को तथा वास्तविक वसूली तक आगे का अनुबंधित ब्याज तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि; एनपीए तिथिः 9.4.2019; प्रतिभूति का विवरणः गरिमा गुप्ता के नाम में दर्ज मकान सं. 408, सेक्टर 16ए, फरीदाबाद, माप 500 वर्ग यार्ड्स, पंजीकरण दस्तावेजः क्रमांक 18243 तिथि 28.8.2014 को हुडा कार्यालय, फरीदाबाद में। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 409, पश्चिमः प्लॉट नं. 407, उत्तरः रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 417; कब्जा की तिथिः 7.10.2019
2.	ऋणधारक एवं सह–ऋणधारक का नामः कन्हैया लाल भैरवाल, सुनील भैरवाल तथा कान्ता देवी; सभीः मकान सं.–बी 5/137, सेक्टर 4, रोहिणी, दिल्ली–110085, खाता नं. 188654; ऋण की राशिः रु. 20904111/– (रुपये दो करोड़ नौ लाख चार हजार एक सौ ग्यारह मात्र), मांग सूचना तिथिः 21.6.2019, मांग की गई राशिः रु. 16893811/–(रुपये एक करोड़ अड़सठ लाख तिड़ानवे हजार आठ सौ ग्यारह मात्र) 20 जून, 2019 को तथा वास्तविक वूसली तक आगे का अनुबंधित ब्याज तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि। एनपीए तिथिः 6.5.2019, प्रतिभूति का विवरणः कन्हैयालाल के नाम में दर्ज मकान सं. बी 5/137, सेक्टर–4, रोहिणी, दिल्ली–110085, माप 90 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा, पंजीकरण दस्तावेजः अति. बुक नं. 1, क्रमांक 2851, वॉल्यूम नं. 217, पेज 163 से 165, तिथि 10.3.2000, उप रजिस्ट्रार, दिल्ली के कार्यालय में। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः सम्पत्ति सं. 138, पश्चिमः सम्पत्ति सं. 136, उत्तरः रोड, दक्षिणः प्लॉट नं. 130, कब्जा की तिथिः 4.10.2019
3.	ऋणधारक एवं सह–ऋणधारक का नामः जसवीर सिंह, राजदुलारीः सभीः ई–52, 1 ला तल, मुल्तान नगर, पश्चिम विहार, खाता नं. 766400; ऋण की राशिः रु. 15000000/– (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र): मांग सूचना की तिथिः 17.05.2019; मांग की गई राशिः रु. 13681321/– (रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख इक्यासी हजार तीन सौ इक्कीस मात्र) 17 मई, 2019 को तथा वास्तविक वसूली तक आगे का अनुबंधित ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि। एनपीए तिथिः 5.4.2019, प्रतिभूति का विवरणः राज दुलारी के नाम में दर्ज मकान सं. ई–52, प्रथम तल, का सभी भाग एवं हिस्सा, छत के अधिकार के साथ, मुल्तान नगर, मादीपुर, नई दिल्ली–110056, माप 206.66 वर्ग यार्ड्स; पंजीकरण दस्तावेजः क्रमांक 0726, तिथि 1.2.2006 उप रजिस्ट्रार–एसआर II ए– पंजाबी बाग, दिल्ली में, सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 51, पश्चिमः प्लॉट नं. 51, उत्तरः पार्क, दक्षिणः सर्विस लेन, कब्जा की तिथिः 4.10.2019

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए कृपया सम्पर्क करेंः श्री हरदीप सभरवाल, फोन नं. 9654965496, श्री यग्येश मेधावी, फोन नं. 9310890352 एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड, बिल्डिंग नं. 59 पंचकुइयाँ रोड, आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन के निकट, नई दिल्ली–110001

स्थानः मुम्बई, तिथिः 11.10.2019 — हस्ता./– एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिये, प्राधिकृत अधिकारी

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

सैक्टर–15, नोएडा शाखा, बसोया कॉम्प्लेक्स प्रीमाईसिस नं0.1, नया बंस, सैक्टर–15, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर (यू0पी0) पिन 201301
ई–मेलः– br.9347@syndicatebank.co.in, फोनः– 0120 - 251004

Date: 09/10/2019

सेवा में,
सौरभ गर्ग पुत्र कृष्णा अवतार गर्ग, पता मकान नं0. 117, हफिजाबाद मेवला, मेरठ सिटी (यू0पी0)।

यह सोने के गहने के खिलाफ हमारे नोएडा सैक्टर–15, शाखा से आपके द्वारा लिए गए गहना ऋण के बारे में है। खाता 30.06.2019 से एनपीए में है और शाखा ने पहले ही आपको 06.05.2019 और 11.06.2019 में सामान्य नोटिस भेज दिया है, उसके बाद शाखा ने बैंक वकील के माध्यम से 20.07.2019 को कानूनी नोटिस भेजा है लेकिन आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है शाखा अतिदेय राशि की वसूली के लिए शाखा के साथ रखे गए आपके गहनों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। (रू. 68881.55 + अन्य शुल्क और ब्याज) यदि आप इस नीलामी को रोकना चाहते हैं तो आपको अन्य सभी शुल्कों और ब्याज के साथ सभी देय राशि का भुगतान करना होगा। यदि आप अगले दस दिनों में सभी देय राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो बैंक बैंक के साथ रखे गये आपके गहनों की नीलामी करके वसूली करेगा।

सिंडिकेट बैंक, नोएडा, सैक्टर–15

HDB FINANCIAL SERVICES
From the trusted family of HDFC Bank

पंजीकृत कार्यालयः "राधिका", 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009
शाखा कार्यालयः बिल्डिंग नं. 59, 1ला एवं II रा तल, पंचकुईयां रोड, आर.के. आश्रम मेट्रो के निकट, नई दिल्ली–110001

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप नीचे वर्णित ऋणधारक तथा सह–ऋणधारक ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस से ऋण(णों)/ वित्तीय सुविधा(एँ) प्राप्त की है तथा उसे वापस लौटाने में चूक की है। आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर–प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदुपरान्त, कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी की जिसका विषय–वस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है तथा वैकल्पिक सेवा के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है।

ऋणधारकों, सह–ऋणधारकों, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि, सूचना में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि एवं प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार हैः

1. **ऋणधारक एवं सह–ऋणधारक का नामः** इंडोगल्फ डॉयनोस्टिक एंड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड, (1513616, 889735), सुखदेव कुमार, गुलशन रानी, दर्शन राम (889767, 889735), नवदीप कुमार, बी–498–ए, सेक्टर–19, नोएडा–201301, साथ हीं: प्लॉट नं. 88, ब्लॉक बी सेक्टर 44, नोएडा–201301, खाता नं. 1513616, 989767 तथा 889735, ऋण की राशिः रु. 85298000/– (रुपये आठ करोड़ बावन लाख अन्ठानवे हजार मात्र); मांग सूचना तिथिः 28.8.2019, मांग की गई राशिः रु. 71054662/– (रुपये सात करोड़ दस लाख चौवन हजार छः सौ बासठ मात्र), 14 अगस्त, 2019 को तथा वास्तविक वसूली तक आगे के अनुबंधित ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत तथा चार्जेज आदि; एनपीए की तिथिः 4.7.2019, प्रतिभूति का विवरणः सुखदेव कुमार के नाम में दर्ज मकान सं. बी–88, सेक्टर–44, नोएडा–201010, माप 450 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा, पंजीकरण दस्तावेजः बुक नं. 1, पेज नं. 147 से 192 तक क्रमांक 2078, तिथिः 21.12.2010 में सब रजिस्ट्रार ऑफ एस्युरैन्स, नोएडा के कार्यालय में। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. बी–118, उत्तरः प्लॉट नं. बी–87, दक्षिणः प्लॉट नं. बी–89

अतएव, आप ऋणधारकों तथा सह–ऋणधारकों को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित आगे के ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई करने के लिए बाध्य होंगे।

(ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।)

कृपया, ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत आप हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूतियों को अंतरित करने के अधिकार से वंचित हैं तथा अधिनियम की धारा 13 (13) का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए सम्पर्क करेंः श्री हरदीप सभरवाल, फोनः 9654965496 या श्री यज्ञेश मेधावी, फोनः 9310890352

हस्ता./–
स्थानः मुम्बई — एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए
तिथिः 11.10.2019 — (प्राधिकृत अधिकारी)

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	33.9 डि.से.	33.9 डि.से.	33.6 डि.से.	34.2 डि.से.
न्यूनतम	20.7 डि.से.	20.7 डि.से.	20.8 डि.से.	20.7 डि.से.

मां की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

मां से परेशान था आरोपी बेटा, बदमाश को दी थी सुपारी

बेटे ने हत्या को लूटपाट का रूप देने की कोशिश की थी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

पश्चिम विहार थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बेटे ने मां से परेशान होकर हत्या की सुपारी इलाके के घोषित बदमाश को दे दी। साजिश के तहत बेटे ने कहा कि हत्या के बाद घर में रखे नगदी और आभूषण भी लूट लेना, ताकि पुलिस को लगे कि लूटपाट का विरोध करने पर हत्या की गई है। पर आरोपी अपने मकसद में सफल नहीं हो पाया। पीड़िता ने हमलावरों में से एक को पड़ोसियों की मदद से दबोच लिया और इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। पुलिस ने आरोपी बेटा समेत तीन लोगों को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान राजेंद्र सिंह, राहुल उर्फ मक्खी और महिला का बेटा अंशु ढींगरा के तौर पर हुई है। पुलिस ने बदमाशों के पास से एक चापड़, दो कार और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त डॉक्टर ए. कॉन ने बताया कि बीती छह अक्तूबर को एक महिला पुलिस को सूचना मिली कि दो अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस गए थे। बदमाशों ने उन पर हमला किया, लेकिन इस दौरान वह बच गई। लोगों ने एक बदमाश को मौके पर दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि महिला के बेटे अंशु ढींगरा ने उन्हें उनकी मां को मारने की 50 हजार रुपए में सुपारी दी थी।

उसने कहा था कि घर में रखे नगदी और आभूषण पर भी हाथ साफ कर लेना। बाद में पुलिस ने अंशु, राहुल, राजेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान अंशु ने बताया कि उसे अपनी मां का कुछ लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। इसके बारे में उसने अपने पिता को बताया तो उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद अंशु ने अपनी मां को रास्ते से हटाने की साजिश रची। बाद में वह अपने मैकेनिक दोस्त के जरिए मंगोलपुरी थाने का घोषित बदमाश राहुल से मिला और उसने अपनी मां को मारने की सुपारी दी।

छात्राओं को टेम्पो ने मारी टक्कर, चालक फरार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

अशोक विहार थाना क्षेत्र में एक टेम्पो चालक ने स्कूल जा रही दो छात्राओं को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों छात्राओं को गंभीर चोटें आई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने प्रीति और गीता को पास के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों को इलाज चल रहा है। घटना के बाद से आरोपी वाहन चालक फरार है। शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला है कि टेम्पो शराब की बोतलों लदा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब कहां से लाई जा रही थी और कहां पर आपूर्ति करनी थी।

जानकारी के मुताबिक गुरुवार करीब सुबह आठ बजे पुलिस को सूचना मिली की एक टेम्पो चालक ने दो छात्राओं को टक्कर मारने के बाद पलट गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्राओं को शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के मुताबिक प्रीति के एक हाथ में फैक्चर और लीवर में चोट आई है। वहीं गीता को भी चोट लगी है।

पुलिस के मुताबिक गीता और प्रीति वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में रहती हैं। दोनों सहेली सुबह पैदल ही शालीमार बाग स्थित स्कूल जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ।

गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश भाग रहा आरोपी पकड़ा में

- निहाल विहार थाने में दर्ज है आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला
- मलेशिया फरार होने की फिराक में था 30 साल का आरोपी युवक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के जवानों ने बुधवार रात एक युवक को उस वक्त दबोच लिया, जब वह विदेश फरार होने के फिराक में था। इस युवक के बारे में दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा एजंसी को जानकारी साझा की गई थी। सीआइएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी अमित सैनी के खिलाफ निहाल विहार थाने में बलात्कार समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से सीआइएसएफ के जवान एयरपोर्ट पर उस शख्स पर निगाहें रखे हुए थे। इसी बीच आरोपी रात को एयरपोर्ट परिसर में देखा गया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि वह मलेशियन एयरलाइंस से कोलालमपुर जाने के फिराक में था। सीआइएसएफ ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया।

सीआइएसएफ के प्रवक्ता हेमेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को जानकारी मिली थी कि अमित सैनी नामक एक युवक गिरफ्तारी से बचने के लिए विदेश फरार होने के फिराक में है। युवक नांगलोई का रहने वाला है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उस शख्स पर नजर रखना शुरू कर दिया। उससे जुड़ी सारी जानकारी पुलिस ने सीआइएसएफ से साझा कर चुकी थी। आरोपी के दिखते ही जवानों ने उसे एयरपोर्ट परिसर में दबोच लिया। इसके बाद इसकी जानकारी निहाल विहार थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद एक टीम रात करीब सवा दस बजे एयरपोर्ट पहुंची। पुलिस ने बताया कि आरोपी का पासपोर्ट और विदेश टिकट जब्त कर ली गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

खबरों में शहर

दिव्यांगों की जिंदगी सुगम बनाने पर होगी बात

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

दिव्यांगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली सहित विभिन्न संस्थाएं कार्य कर रहीं हैं। 14 अक्तूबर से चार दिवसीय 'एमपावर-2019' सम्मेलन में आइआइटी दिल्ली और माइक्रोसॉफ्ट सहित विभिन्न हितधारक शामिल होंगे। इसमें जाने-माने शोधकर्ता, तकनीकविद् और नीति निर्धारक हिस्सा लेंगे जो दिव्यांगों के समक्ष आने वाली चुनौतियों एवं आधुनिकतम तकनीक की सुविधा उनके लिए सुलभ कराने के संबंध में अपने विचार रखेंगे। आइआइटी दिल्ली के सीएसई विभाग के प्रोफेसर एम. बालाकृष्णन ने कहा कि दिव्यांगों का एकीकरण किसी भी समाज के लिए एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए उन्हें गतिशीलता व शिक्षा में समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है।

त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करके डीयू कुलपति ने दुर्बलता दिखाई : डूटा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) कुलपति प्रोफेसर योगेश त्यागी ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और डीयू के बीच त्रिपक्षीय करार (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके अपनी दुर्बलता का प्रदर्शन किया है। यह आरोप डीयू शिक्षक संघ की ओर से लगाया गया है। डूटा की ओर से कहा गया है कि डीयू शायद अंतिम केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं। बाकी केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने पहले ही खुशी या दबाव में हस्ताक्षर कर दिए थे। डीयू के शिक्षक लगातार इस करार का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि इसकी वजह से विश्वविद्यालय का व्यावसायिकरण और निजीकरण हो रहा है। इसका प्रभाव शिक्षा और शोध की गुणवत्ता पर पड़ना तय है। कुलपति के पास विभागों और कॉलेजों के शिक्षकों से बातचीत करने का विकल्प मौजूद था लेकिन उन्होंने इस विकल्प की जगह सरकार को खुश करना बेहतर समझा।

खेल मानव जीवन पर स्थायी प्रभाव डालते हैं : जफर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

खेल मानव जीवन पर स्थायी प्रभाव डालते हैं और यह प्रभाव जीवन भर रहता है। हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल ने गुरुवार को गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ (आइपी) विश्वविद्यालय के 16वें वार्षिक खेल प्रतियोगिता की शुरुआत के मौके पर यह बात कही। 1980 मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे इकबाल। इस मौके पर क्रिकेटर यशपाल शर्मा ने कहा कि किसी भी खेल को खेलने का जुनून आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यशपाल 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली टीम में शामिल थे। इस अवसर पर आइपी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महेश शर्मा ने कहा कि शिक्षा खेल के बिना अधूरी है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए दोनों का एक-साथ होना बहुत जरूरी है। खेल प्रतियोगिता में 86 कॉलेजों के कई हजार विद्यार्थी भाग लेंगे।

वजीराबाद थाने को झरोदा लाने के संबंध में पत्र

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली,10 अक्तूबर।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता गोपाल झा ने वजीराबाद थाने को तिमारपुर से झरोदा लाने का आग्रह करते हुए दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त संजय सिंह समेत अनेक आला अफसरों को पत्र सौंपा। उनका कहना है कि झरोदा वजीराबाद थाने की आबादी के बीचोंबीच का हिस्सा है। यहां से थाना क्षेत्र के सभी इलाकों की दूरी लगभग एक किलोमीटर है। वजीराबाद थाने को झरोदा लाने से जनता एवं पुलिस दोनों को ही फायदा होगा।

ऐप से दर्ज होगी ट्रेन यात्रा में चोरी की शिकायत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

अब ट्रेन में यात्रा करने के दौरान यदि सामान चोरी हो जाए या फिर झपटमारी की घटना घट जाए तो ट्रेन से उतर कर स्टेशन या फिर स्थानीय जीआरपी थाना में शिकायत दर्ज करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार को नई दिल्ली पालिका परिषद के सभागार में सहयात्री ऐप लांच किया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक, आरपीएफ डीजीपी अरुण कुमार समेत दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे।

पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने बताया कि यह ऐप सिर्फ यात्रियों की अपनी शिकायत दर्ज करवाने में ही नहीं, बल्कि इसके माध्यम से रेलवे से संबंधित अपना फीडबैक भी दे सकेंगे। इस ऐप से देशभर की जीआरपी पुलिस इससे अपने-अपने राज्यों के वांछित और अन्य अपराधियों का डाटा भी शेयर कर सकेंगी। इसके साथ ही डबलूडबलूडबलूडॉटरेलवेजडेल्हीपुलिस डॉटजीओवीडॉटइन वेबसाइट भी लांच की गई है। ये दोनों सुविधाएं केवल रेल यात्रियों के लिए होंगी। इस ऐप को दिल्ली जीआरपी के द्वारा तैयार किया गया है। इस वेबसाइट में देश भर के जीआरपी अपराधियों का पूरा डाटा शेयर करेंगे। इससे वैसे अपराधी जोकि किसी और राज्य में अपराध को अंजाम देकर किसी दूसरे राज्य में जाकर छुप जाते थे। ऐप में जानकारी देश भर के जीआरपी के पास होने के कारण उनकी पहचान कहीं भी हो सकेगी और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा।

इससे अपराध नियंत्रण में काफी सहयोग मिलेगा। कार्यक्रम में उपस्थित विशेष आयुक्त इंटेलीजेंस प्रवीर रंजन ने बताया कि इस ऐप से रेल यात्रियों को एफआइआर कराने के लिए, अपनी यात्रा को बीच में रोक कर पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। यात्री चलती ट्रेन से भी सहयात्री ऐप के जरिए मामला दर्ज करा सकेंगे। ऐप के माध्यम से यात्री द्वारा डाले गए घटना के स्थल के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से संबंधित थाने में मामला दर्ज हो जाएगा।

मोबाइल ऐप जारी करते केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय साथ में दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक और अन्य पुलिस अधिकारी। फोटो : अरुण चोपड़ा

नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

- आरोपी बुजुर्ग ने विदेश में नौकरी का लालच देकर 17 लोगों को बनाया अपना निशाना
- चाणक्यपुरी थाना पुलिस ने पीएचडी डिग्री धारक आरोपी को किया गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

चाणक्यपुरी थाना पुलिस ने बंगलुरु के रहने वाले एक पादरी को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान डॉक्टर डी एच जॉन पॉल के तौर पर हुई है। अभी तक आरोपी 17 युवक-युवतियों को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर लाखों का चूना लगा चुका है। आरोपी पर ठगी करने का आरोपी बीते दिनों रोहिणी सेक्टर-2 निवासी अर्चना नामक युवती ने लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को एक होटल से गिरफ्तार किया। नई दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त ईश सिंघल ने बताया कि रोहिणी सेक्टर-2 में रहने वाली अर्चना सहित छह लोगों ने चाणक्यपुरी थाना में बीते दिनों ठगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें बताया था कि गत दिनों वह चाणक्यपुरी के एक पांच सितारा होटल में एक मैरिज ब्यूरो के माध्यम से जॉर्ज नामक युवक से मिलने पहुंची थी। उस दौरान लड़के वालों की ओर से आए लोगों में खुद को पादरी बताने वाला डॉ. डी एच जॉन पॉल नामक शख्स भी था। पर किसी कारण से अर्चना ने उस शादी से इनकार कर दिया था। कुछ दिनों बाद आरोपी शादी से मना करने का कारण जानने के नाम पर उनके घर आया। इसके बाद वह अर्चना के कैंसर पीड़ित भाई के लिए प्रार्थना करने के नाम पर आए दिन उसके घर आने लगा।

उपायुक्त ने बताया कि आरोपी खुद को कंसल्टेंसी कंपनी का प्रतिनिधि बताता था। वह उसके माध्यम से किसी को भी नौकरी दिलवा सकता है। ट्रेनिंग समेत प्रक्रिया पूरा करने के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए देने होंगे। उसकी बातों पर भरोसा करते हुए अर्चना और उसके कई जानकारों ने नौकरी के चक्कर में दो-दो लाख रुपए जॉन को दे दिए। पहले कुछ दिन तो आरोपी लोगों को आज-कल कह कर बहलाता रहा, फिर उल्टा उन्हें ही धमकी देने लगा। आखिर में एक दिन अचानक फोन बंदकर गायब हो गया। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की और सूचना के आधार पर द्वारका के एक होटल से उसे गिरफ्तार कर लिया।

पार्किंग की पर्ची मांगने पर अस्पताल के सुरक्षाकर्मी से मारपीट, दो गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित होली फैमिली अस्पताल में मरीज के रिश्तेदारों ने वहां तैनात सुरक्षाकर्मी को जमकर पिटाई कर दी। सुरक्षाकर्मी की गलती बस इतनी थी कि उसने उन लोगों से कार पार्किंग की पर्ची मांग ली थी, जिसके बाद लोगों ने पार्किंग परिसर में उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि, पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है।

यह घटना बुधवार रात करीब आठ बजे की घटी थी। इसके बाद सुरक्षाकर्मी मुकेश कुमार को अस्पताल के आइसीयू वार्ड में भर्ती करवा दिया गया था। इस कारण बुधवार रात को उसका बयान नहीं लिया जा सका, लेकिन गुरुवार को बयान लेकर पुलिस ने मारपीट करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। युवकों की पहचान लाजपत नगर, दिल्ली निवासी साहिल और ग्रेटर नोएडा निवासी नकुल के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

झील में नहाने गए युवक की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

भाटी माइंस झील में दशहरा के दिन दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। युवक की पहचान संजय कॉलोनी निवासी अनिल (22) के रूप में हुई है। डूबने के बाद सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने दो दिनों तक चलाए बचाव अभियान के बाद गुरुवार को युवक का शव निकाला।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। अनिल अपने परिवार के साथ संजय कॉलोनी में रहता था। दशहरा के मौके पर वह अपने दोस्तों के साथ भाटी माइंस स्थित झील में नहाने के लिए गया था। नहाने के वक्त अधिक अंदर जाने के कारण वह डूब गया।

दोस्त को डूबता देख उसके सारे दोस्त वहां से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद किसी ने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी। जब अनिल घर नहीं लौटा तो परिजनों ने आसपास के इलाके में उसकी तलाश की। पर जब कुछ पता नहीं चला तो उसके दोस्तों से पूछताछ की। इस पर भी दोस्तों ने कुछ नहीं बताया। इसकी जानकारी पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब उसके दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने सारी बातें बताई।

करोल बाग के जाम मुक्त होने के पहले ही दिन बिगड़ी हुई गोल्फ कार्ट के पास से गुजरते लोग।

झूठी कहानी सुनाकर महिलाओं से लूटते थे गहने और नगदी, दो गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

पश्चिमी जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने भोली-भाली महिलाओं को झूठी कहानी सुनाकर उनसे आभूषण और नगदी पर हाथ साफ करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बदमाश बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाते थे। इनकी पहचान सुल्तानपुरी निवासी विक्की (24) और बक्करवाला निवासी करण (23) के तौर पर हुई है। इससे पहले भी आरोपियों को राम नगर, उत्तराखंड पुलिस ने एक महिला को झूठी कहानी सुनाकर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ सम्मोहन कर ठगी करने के कई मामले दर्ज हैं।

जिला पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इलाके में कई महिलाओं के साथ इसी प्रकार की ठगी हो चुकी थी, जिसके बाद से पुलिस की टीम इन आरोपियों की तलाश में थी। इसी बीच पुलिस टीम को सूचना मिली कि आरोपी हरि नगर में फिर से किसी को निशाना बनाने के लिए आने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने शक होने पर स्कूटी सवार दो युवकों को रोका। पूछताछ करने पर पता चला कि स्कूटी चोरी की है, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की पूछताछ में पुलिस को पता चला कि ये आरोपी भीड़भाड़ वाले अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा, रेलवे स्टेशन या फिर बाजार में किसी बुजुर्ग महिला को देखकर उससे मदद की गुहार लगाते थे। इनमें से एक आरोपी पहले महिला के पास जाता था और कहता था कि उसके मालिक ने उसके साथ मारपीट की है और उसे घर से भगा दिया है।

विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से : खट्टर

फरीदाबाद, 10 अक्तूबर (जनसत्ता)।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से है। प्रदेश में स्थानीय राजनीतिक पार्टियों का कोई वजूद नहीं रह गया है।

खट्टर ने दावा किया कि भाजपा अपने बूते हरियाणा में दूसरी बार सत्ता में आ रही है। मुख्यमंत्री ने यह बात बुधवार देर शाम ओल्ड फरीदाबाद की नई अनाज मंडी में एक चुनावी सभा में कही। खट्टर यहां से भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र गुप्ता के लिए वोट मांगने आए थे। उद्योग मंत्री विपुल गोयल का टिकट काटकर इस बार भाजपा ने पार्टी के कोषाध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता पर दाव लगाया है।

महिला अधिकारी के पति को फंसाने के लिए रखा था मादक पदार्थ, दो पकड़े

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

लोधी कॉलोनी थाना पुलिस ने महिला आइएएस अधिकारी के पति की कार में मादक पदार्थ रख उन्हें फंसाने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए शख्स में एक अर्द्धसैनिक बल का वरिष्ठ कमांडेंट है और दूसरा उसका वकील है। दोनों ने मिलकर आइएएस अधिकारी के पति को फंसाने के लिए उनकी कार में 550 ग्राम चरस रखी थी। बुधवार रात सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो महिला अधिकारी के पति अमित सांवत से पूछताछ की, लेकिन बाद में मामले की बारिकी से जांच करने पर पुलिस को आरोपितों द्वारा रचे गए जाल के बारे में समझ आया। इसके बाद पुलिस ने वरिष्ठ कमांडेंट रंजन और उसके वकील दोस्त नीरज को गिरफ्तार कर लिया।

दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि बुधवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि लोधी कॉलोनी के सीजीओ कॉम्पलेक्स में एक संदिग्ध कार खड़ी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार की जांच की तो उसमें से 550 ग्राम चरस रखी हुई मिली। जिसके बाद पुलिस ने कार के मालिक की तलाश शुरू कर दी। कुछ देर बाद कार का मालिक आ गया। जिसके बाद पुलिस ने उसको थाने में लाकर जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि वह महिला आइएएस अधिकारी का पति हैं और सीजीओ कॉम्पलेक्स में स्थित एक कंपनी में सलाहकार के पद पर कार्यरत है।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

मीडिया टू ग्रुप : दिल्ली ग्रीन शो-2019, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, सुबह दस बजे।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र : हमारा संविधान : एक पुनरावलोकन, शाम चार बजे।

सड़क के गड्ढे ने ली महिला डॉक्टर की जान, मामला दर्ज

ठाणे, 10 अक्तूबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 21 साल की डॉक्टर की एक वाहन से उस समय कट कर मौत हो गई, जब गड्ढे में फिसल कर अपने दोपहिया वाहन के साथ वह सड़क पर गिर पड़ी और ट्रक के नीचे आ गई। गुरुवार को पुलिस ने यह जानकारी दी।

सहायक पुलिस निरीक्षक महेश सागड़े ने बताया कि बुधवार देर रात कुडूस गांव की रहने वाली नेहा शेख भिवंडी शहर से अपने घर जा रही थी, तभी यह दुर्घटना हुई। महिला की अगले महीने शादी होने वाली थी। महिला अपने भाई के साथ दोपहिया वाहन पर जा रही थी, तभी दुगढ़ दोराहे के पास वाहन के गड्ढे में फिसलने से वह अपना संतुलन खोकर सड़क पर गिर गई। सागड़े ने बताया कि पास से गुजर रहा ट्रक महिला को रौंदते हुए निकल गया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए (लापरवाही के कारण मौत) के तहत अज्ञात ट्रक चालक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आदिवासी कल्याण के लिए काम करने वाले संगठन 'श्रमजीवी संघटना' के कई सदस्य दुर्घटनास्थल अनगांव टोल बूथ पहुंचे और आधी रात को बूथ बंद करवा दिया। संगठन के युवा वर्ग के अध्यक्ष प्रमोद पवार ने दावा किया कि इस साल गड्ढों से भरी सड़क कई लोगों की मौत का कारण बन गई। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) और सड़क निर्माण और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

पवार ने कहा कि वे टोल बूथ को काम नहीं करने देंगे और अपनी मांग पूरी होने तक शांतिपूर्ण आंदोलन पर बैठे रहेंगे।

> महिला की अगले महीने शादी होने वाली थी। महिला अपने भाई के साथ दोपहिया वाहन पर जा रही थी, तभी दुगढ़ दोराहे के पास वाहन के गड्ढे में फिसलने से वह अपना संतुलन खोकर सड़क पर गिर गई।

बिल्ली को क्रूरता से मारने वाले पर अदालत ने लगाया जुर्माना

मुंबई, 10 अक्तूबर (भाषा)। मुंबई की एक अदालत ने उपनगर चैंबूर में एक बिल्ली की बर्बरता से हत्या करने वाले 40 साल के एक व्यक्ति पर 9,150 रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना पिछले वर्ष की है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएस पजानकर ने पिछले महीने अपने आदेश में संजय गढ़े को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पशुओं के साथ क्रूरता रोकथाम अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मई 2018 में गढ़े ने बिल्ली को क्रूरता से मार डाला।

YES Asset Management (India) Limited
602B, 6th Floor, Indiabulls Finance Centre (IFC) 1 & 2, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai – 400 013. **Website:** www.yesamc.in
Tel. No.: +91(22) 4082 7600 **Fax No.:** +91 (22) 4082 7653
Email: clientservice@yesamc.in **CIN** - U65990MH2017PLC294178

YES MUTUAL FUND

NOTICE NO. 24/2019

HOSTING OF HALF-YEARLY STATEMENT OF SCHEME PORTFOLIO OF YES MUTUAL FUND ("YMF").

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 59A of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 5, 2018, the half-yearly statement of scheme portfolio of YMF as on September 30, 2019, has been hosted on the website of YMF viz www.yesamc.in and AMFI viz www.amfiindia.com respectively.

Unitholders may accordingly view/download the statements from the website of the YES Mutual Fund.

Unitholders can also submit a request for electronic or physical copy of the half-yearly Portfolio Statement of the scheme of YES Mutual Fund thereof through the following mode options:

1. Email: clientservice@yesamc.in
2. Toll free number: 1800-3000-3060
3. Investors can submit a written request letter at any of the Official Point of Acceptance ('OPA') of YES Mutual Fund. Investorscan visit our website i.e. www.yesamc.in for the updated list of OPA

Unit holders are urged to update their email ID and mobile numbers to help us serve better.

For YES Asset Management (India) Limited
(Investment Manager for YES Mutual Fund)
Sd/-
Authorised Signatory

Place: Mumbai
Date: October 10, 2019

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

JM FINANCIAL MUTUAL FUND — JM FINANCIAL

NOTICE

Uploading half yearly portfolio for the period ended September 30, 2019 for the schemes of JM Financial Mutual Fund:

Notice is hereby given that in accordance with Regulation 59A of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018, the statement of portfolio of the schemes of JM Financial Mutual Fund ("the Fund") for the half year ended September 30, 2019 has been hosted on the website of the Fund viz www.jmfinancialmf.com and on the website of AMFI viz www.amfiindia.com.

The Portfolio/s of the respective scheme/s has/have been sent to all the investors whose email ids are registered with us. However, while the investors can refer to any of the above sites for the scheme's portfolio pertaining to their respective investments, they can also request for a physical/ soft copy thereof through any of the following means:

a) **Telephone:** Call our toll free number at 1800 1038 345
b) **E-Mail:** Send an email to investor@jmfl.com
c) **Letter:** Submit a letter at any of the Investor Service Centres of the Fund or Registrar M/s. Karvy Fintech Pvt. Ltd., details of which are available at www.jmfinancialmf.com.

Investors/ Unit holders are requested to take note of the aforesaid.

Authorised Signatory
JM Financial Asset Management Limited
(Investment Manager to JM Financial Mutual Fund)

Place : Mumbai
Date : October 10, 2019

For further details, please contact :
JM Financial Asset Management Limited
(Formerly known as JM Financial Asset Management Private Ltd.),
Registered Office: 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025.
Corporate Office: Office B, 8th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai-400025.
Corporate Identity Number: U65991MH1994PLC078879. • Tel. No.: (022) 6198 7777
• Fax No.: (022) 6198 7704. • E-mail: investor@jmfl.com • Website : www.jmfinancialmf.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

REF No. 10/2019-20

ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND — TARAKKI KAREIN!

ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.
Tel.: +91 22 2652 5000, **Fax:** +91 22 2652 8100, **Website:** www.icicipruamf.com,
Email id: enquiry@icicipruamc.com
Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. **Tel.:** 022 2685 2000 **Fax:** 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Mutual Fund
Half-Yearly Portfolio Statement of Schemes

NOTICE is hereby given that the half-yearly portfolio statement of schemes of ICICI Prudential Mutual Fund for half year ended September 30, 2019 has been hosted on October 10, 2019 on the website of ICICI Prudential Asset Management Company Limited (the AMC) viz. www.icicipruamc.com and on the website of Association of Mutual Funds in India (AMFI) viz. www.amfiindia.com in accordance with Regulation 59A of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, read with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 5, 2018.

Investors may accordingly view/download the portfolio statement of schemes from the website of the AMC.

Investors can also request for the physical/soft copy of portfolio statement of schemes through any of the following modes:

1. Give a call at our Contact Centre at:
   - MTNL/BSNL: 1800 222999
   - Others: 1800 200 6666
2. Send an email to enquiry@icicipruamc.com
3. Submit a letter at any of the AMC Offices or our CAMS Investor Service Centres, details of which are available on the AMC website viz. www.icicipruamc.com.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Place : Mumbai
Date : October 10, 2019
Sd/-
Authorised Signatory

No. 010/10/2019

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id and mobile number with us to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालयः 9वाँ तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोनः 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइटः www.pnbhousing.com

शाखा का पताः डी-2, सेक्टर-3, नोएडा, उ.प्र.-201301, फोनः 0120-6511224-26, ई-मेलः noida@pnbhousing.com
शाखा का पताः 8वाँ तल, डीसीएम बिल्डिंग, 16 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, फोनः 011-23357170/74, ईमेलः customercare@pnbhousing.com
शाखा का पताः एस-8, उपहार सिनेमा कॉम्प्लैक्स, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016, टेलीः 011-26512911, ईमेलः greenpark@pnbhousing.com
शाखा का पताः एससीओ-391, सेक्टर-29, अर्बण इस्टेट, ईफको चौक मेट्रो स्टेशन के निकट, हरियाणा-122001, टेली.: 0124-2385568, ईमेलः gurgaon@pnbhousing.com
शाखा का पताः यूजी-1, एसजी बीटा टावर, प्लॉट नं. 10, सेक्टर-3, वसुन्धरा, गाजियाबाद (उ.प्र.)-201011, फोनः 0120-2699117, ईमेलः ghaziabad@pnbhousing.com
शाखा का पताः एच. नं. 36, ब्लॉकः बी-1, भूतल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, फोनः 011-25546073/74/75/70/74, ईमेलः janakpuri@pnbhousing.com
शाखा का पताः 5वां तल, एचबी ट्विन टावर-1, प्लॉट नं. ए-2, 3, 4, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, ईमेलः pitampura@pnbhousing.com
शाखा का पताः ए-10, 1ला तल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाई पास, भिवाड़ी राजस्थान, टेलीफोन नं.-1493-298157, ईमेलः bhiwadi@pnbhousing.com

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, यथा-संशोधित के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के चैप्टर III की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. (यहां के बाद "पीएनबीएचएफएल") ने डी-2, सेक्टर-3, नोएडा, उ.प्र.-201301 में स्थित हमारी नोएडा शाखा कार्यालय, साथ ही 8वाँ तल, डीसीएम बिल्डिंग, 16 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 में स्थित हमारी दिल्ली शाखा कार्यालय, साथ हीः एस-8, उपहार सिनेमा कॉम्प्लैक्स, ग्रीन पार्क एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110016 में स्थित हमारी ग्रीन पार्क शाखा कार्यालय एवं साथ हीः एससीओ-391, सेक्टर-29, अर्बण इस्टेट, ईफको चौक मेट्रो स्टेशन, गुड़गाँव, हरियाणा-122001 में स्थित हमारी गुड़गाँव शाखा कार्यालय एवं साथ हीः यूजी 1, एसजी बीटा टावर, प्लॉट नं. 10, सेक्टर-3, वसुन्धरा, गाजियाबाद (उ.प्र.)-201011 में स्थित हमारी गाजियाबाद शाखा कार्यालय एवं साथ हीः एच. नं. 36, ब्लॉक बी-1 भू तल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में स्थित हमारी जनकपुरी शाखा कार्यालय एवं साथ हीः 5वां तल, एचबी टिवन टावर-1, प्लॉट नं. ए-2, 3, 4, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 में स्थित पीतमपुरा शाखा कार्यालय एवं साथ हीः ए-10, 1ला तल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाई पास भिवाडी राजस्थान में स्थित हमारी भिवाडी शाखा कार्यालय द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के चैप्टर III की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी किया था। उक्त मांग सूचना नीचे वर्णित आप सभी ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों को हमारे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जारी की गई थी क्योंकि किस्तों/ब्याज का भुगतान नहीं करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। उसका विषय-वस्तु मूलधन, ब्याज आदि की किस्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक है। बकाया राशि नीचे वर्णित है। पुनः कारणों के आधार पर हमारा मानना है कि आप मांग सूचना की अनदेखी कर रहे हैं, अतः उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार इस मांग सूचना का प्रकाशन अपरिहार्य हो गया है। एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन ब्याज एवं चार्जेज के साथ उक्त राशि का मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल को भुगतान करें, अन्यथा पीएनबीएचएफएल ऋणधारकों तथा गारन्टरों की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कब्जा करने सहित किसी एक या अधिक प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी एक अथवा सभी जरूरी कार्रवाई शुरू करेगा।

आपका ध्यान वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ बकाया देयता की सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि यदि सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन से पूर्व पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ बकाया देयता की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उसके बाद आप प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को विमोचित करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

पुनः उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या किसी अन्य रूप से अंतरित करने से आप प्रतिबंधित हैं।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नाम/पता	गारन्टर का नाम/ पता	गिरवी सम्पत्ति	मांग सूचना तिथि	मांग सूचना की बकाया राशि
1.	HOU/GHA/ 0216/267862 बी.ओ.: गाजियाबाद	श्री रवुला कोल्लु किरण कुमार ए-3 303, एडब्ल्यूएचओ सोसायटी, सेक्टर सीएचआई 1, पॉकेट 5, ग्रेटर नोएडा, (उ.प्र.)	एन.ए.	1801, 18, टावर ए, अंतरिक्ष गोल्फ लिंक (होल्ड), प्लॉट नं. जीएच-15 ए, सेक्टर-1, नोएडा एक्स्टें., निकट सुपरटेक ईको विलेज-1, उत्तर प्रदेश	20.8.2019	रु. 4791308.55 20.8.2019 को
2	HOU/GHA/0216/264958 बीओः गाजियाबाद	श्री ज्ञान प्रकाश पंडा, वैशाली प्रियदर्शिनी सैनापति, 9053 टावर 3, ब्लॉक-बी, जीएच-7, क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद (उ.प्र.) 201016	एन ए	1802, टावर जी, अंतरिक्ष गोल्फ लिंक (होल्ड), प्लॉट नं. जीएच-15ए, सेक्टर-1, नोएडा एक्स्टे. सुपरटेक ईको विलेज-1, उत्तर प्रदेश	20.08.2019	रु. 40,61,316.75 20.08.2019 को
3	HOU/GHA/0116/260267 बीओः गाजियाबाद	श्री संजय सिंह कलुरा श्रीमती अंजू कलुरा, एफएफ-51, 267/3, सेक्टर-1, वैशाली, मॉर्डन स्कूल के निकट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010, भारत	एन ए	1903, 19, टावर ए, अंतरिक्ष गोल्फ लिंक (होल्ड), प्लॉट नं. जीएच-15ए, सेक्टर-1, नोएडा एक्स्टे. सुपरटेक ईको विलेज-1, उत्तर प्रदेश, भारत-201301	20.08.2019	रु. 39,56,006.60 20.08.2019 को
4	HOU/GHA/0216/268686 बीओः गाजियाबाद	श्री अमित यादव, श्रीमती नीलम यादव, एच. न. 606, गली नं. 2, रजोकरी, दिल्ली-110038	एन ए	1706, 17, टावर टी 5, रुद्र एक्वा केसा (होल्ड), प्लॉट न. जी एच-05 ए, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. भारत-201301	20.08.2019	रु. 20,25,743.07 20.08.2019 को
5	HOU/GHA/0516/285924 बीओः गाजियाबाद	श्री हरीश रावत, श्रीमती प्रतीक्षा हरीश रावत, मकान सं. डी-32, 1ला तल, सेक्टर-36, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	एन ए	1901, 19, टावर ए, अंतरिक्ष गोल्फ लिंक (होल्ड), प्लॉट नं. जीएच-15ए, सेक्टर-1, नोएडा एक्स्टे. सुपरटेक ईको विलेज-1, उ.प्र.	20.08.2019	रु. 47,56,424.76 20.08.2019 को
7	HOU/GHA/1015/247502 बीओः गाजियाबाद	हर्ष कपूर श्रीमती मंजरी गुप्ता, डी-95, डी-ब्लॉक, झिलमिल कॉलोनी शाहदरा, दिल्ली-110094 भारत	एन ए	1208, 12, टावर एसजी 7, साया गोल्ड एवैन्यू, प्लॉट नं. 10 (10/1) वैभव खंड, इन्दिरापुरम, शिप्रा माल के निकट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	22.08.2019	रु. 57,22,003.83 22.08.2019 को
8	00306660000699 बीओः गाजियाबाद	कमलदीप टंडन, श्रीमती दीप्ति टंडन, टी-93, टी-ब्लॉक, शुक्रबाजार उत्तर नगर, दिल्ली-110059, भारत	एन ए	बी 2-03-0308, यूनीटेक यूनी होम्स-3, सेक्टर-113,नोएडा	19.08.2019	रु. 6,18,891.24 19.08.2019 को
9	HOU/GHA/0416/281082 बीओः गाजियाबाद	मुकेश कुमार झा, श्रीमती सुधा झा, एफ2, प्लॉट नं. 218 बी, रिषभ अपार्ट., गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005, भारत	एन ए	603, 6 टावर-ए, मिस्टी हाइटस (होल्ड) प्लॉट नं. जीएच-01, स्पोर्ट्स सिटी, नोएडा एक्स्टे. ग्रेटर नोएडा के निकट, उ.प्र., भारत-201301	20.08.2019	रु. 36,89,997.56 20.08.2019 को
10	HOU/GHA/1018/596474 बीओः गाजियाबाद	श्री माणिक जिन्दल, श्री राजेश कुमार जिन्दल, ई-51, प्रथम तल, न्यू मुल्तान नगर, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063	एन ए	टी 1/0004, जी जी टावर-1, श्री राधा स्काई गार्डन, प्लॉट न. जी एच-05, सेक्टर-16 बी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	22.08.2019	रु. 75,51,059.01 22.08.2019 को
11	HOU/GHA/0217/350839 बीओः गाजियाबाद	आकाश मलिक, श्रीमती शुचि सिंह, बी-404, कृष्णा अपार्टमेन्ट रेजीडेन्सी, सेक्टर-61, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	एन ए	4,6, टावर-सी, मेघदूतम एनकोरे (सबवेंशन), प्लॉट नं. एएसी-1, जीएच, टेकजोन-4, निकट सुपरटेक ईको विलेज-2, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	19.08.2019	रु. 49,18,033.59 19.08.2019 को
12	HOU/BHI/0518/527027 बीओः भिवाड़ी	खेम चन्द, सुश्री सोमती, मकान नं. डी-111, वार्ड नं. 3, खेरली जीटा, सिआरोली, पलवल, फरीदाबाद, हरियाणा	एन ए	विल्ला नं. 164, ऑमेक्स पेनोरमा सिटी विल्ला ऑमेक्स लि., भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान-301019	19.08.2019	रु. 36,92,967.27 19.08.2019 को
13	HOU/DEL/0118/484954 बीओः दिल्ली	आदित्य मोहन, सुश्री निहारिका बशिष्ठ, 1912 एम, रेगेलिया हाइट्स, शिप्रा सनसिटी, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010, भारत	एन ए	टी-2, 1104, 11, टावर डी (यूनीवेरा टावर, प्लॉट जीएच-16 एफ, सेक्टर-01, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, उत्तर प्रदेश-201301	19.08.2019	रु. 58,19,432.39 19.08.2019 को
14	00016660011376 बीओः दिल्ली	वृज मोहन धींगिया, श्री सुनील कुमार, मकान स. ई-112, सेक्टर-12, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009	एन ए	फ्लैट नं. 1003, 10वां तल, टावर नं. सी-12, प्रतीक ग्रैण्ड सिटी, गाजियाबाद, उ.प्र.-201010	17.08.2019	रु. 31,69,115.09 17.08.2019 को
15	HOU/DEL/0318/508207 बीओः दिल्ली	श्री मन्नी सिंह एवं श्रीमती मनजोत कौर, पता 1ः मकान सं. 10 डी/164, प्रथम तल, सेक्टर-10डी, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012, पता 2ः मकान सं. 153, भू तल, सेक्टर-10 डी, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012	एन ए	टी-2, 1604, 16, टावर डी (यूनीवेरा टावर, प्लॉट जीएच-16 एफ, सेक्टर-01, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, उत्तर प्रदेश-201301	20.08.2019	रु. 61,01,890.72 20.08.2019 को
16	HOU/DEL/0117/349163 बीओः दिल्ली	श्री नरेन्दर सिंह एवं श्रीमती कविता, पताः 227, ब्लॉक डी, 4 था-ए, गौर सिटी, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र., पता 2 : फ्लैट नं. 503, टावर नं. 1, एल ए रेजीडेन्शिया, प्लॉट नं. 4, सेक्टर टेक जोन-4, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	एन ए	फ्लैट नं. 606, टावर-डी, शिवालिक होम्स 2, प्लॉट नं.-जीएच-01 सी, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) उत्तर प्रदेश-201310	19.08.2019	रु. 8,93,464.77 19.08.2019 को
17	00016660009977 बीओः दिल्ली	श्री राकेश थपलियाल एवं श्रीमती मेनका थपलियाल, पताः बी-61, सेक्टर-47, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201303	एन ए	अपार्टमेन्ट 0304, तल-03, टावर सी-5, यूनीहोम्स-3 प्लॉट नं. जीएच-001, सेक्टर-113, नोएडा, उ.प्र.	06.09.2019	रु. 26,67,006.17 06.09.2019 को
18	00016660011135 बीओः दिल्ली	मै. चैतन्य क्रिएशन्स, श्री सूबा सिंह एवं श्रीमती अर्चणा अरोड़ा, पताः 4748 फाटक, राशि खान, चांदनी चौक, दिल्लीः दूसरा पताः 1947 बी-11, मोती नगर, अम्बाला सिटी, अम्बाला, हरियाण-134003, तीसरा पताः 4/2933, गली नं. 4, श्री राम कॉलोनी, भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली	एन ए	बी-1509, 14 वां तल, ब्लॉक बी, 16 पार्कव्यू, गौर यमुना सिटी, सेक. 19, जयपी स्पोर्ट्स सिटी ईस्ट येडा, जिला गौतमबुध नगर, उ.प्र.-201308	20.08.2019	रु. 24,76,146.82 20.08.2019 को
19	HOU/DEL/0718/560433 बीओः दिल्ली	श्री रितेश चतुर्वेदी एवं श्रीमती ब्यूटी तिवारी, पताः बी/30, दूसरा तल, गणेश नगर, पाण्डव नगर, कॉम्प्लेक्स, दिल्ली-110092, दूसरा पताः प्लॉट नं. 280, तीसरा तल, नीति खंड-III, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र.	एन ए	फ्लैट नं. 1205, 12वां तल, मॉनसून ब्रीज, सेक्टर 78, टावर सी नौरंगपुर, गुड़गांव, हरियाणा-122018	20.09.2019	रु. 63,62,270.91 20.09.2019 को
20	HOU/GRP/0715/233340 बीओः ग्रीनपार्क	विजय कुमार श्रीमती विजया, मकान नं. 6440, एस/एफ ब्लॉक 8 देव नगर, करोल बाग, दिल्ली-110005	एन ए	1601, 16, टावर सी, सर्किट हाइट्स (होल्ड), प्लॉट नं. जीएच-04, सेक्टर-25, जयपी स्पोर्ट्स इन्टरनेशनल, यमुना एक्सप्रैसवे, गौतमबुद्ध नगर, एन ए, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201312 1602, 16, टावर सी, सर्किट हाइट्स (होल्ड), प्लॉट नं. जीएच-04, सेक्टर-25, जयपी स्पोर्ट्स इन्टरनेशनल, यमुना एक्सप्रैसवे, गौतमबुद्ध नगर, एन ए, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201312	14.08.2019	रु. 30,54,292.58 14.08.2019 को
21.	HOU/GRP/0417/371715 बीओः ग्रीन पार्क	संजीत कुमार, श्रीमती पूनम कश्यप, फ्लैट न. 335 जी, सेक्टर -12, प्रताप विहार, विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	एन ए	फ्लैट न.-1851, 18वां तल, गंगा, महागुणपुरम एनएच-24, मेहरौली, गाजियाबाद, उ.प्र.-201009	19.08.2019	रु. 30,98,788.77 19.08.2019 को
22.	HOU/GRP/0115/211420 बीओः ग्रीन पार्क	सतीश कुमार, शिवम एण्टरप्राईजेज 11745, गली न. 3, सत नगर, करोलबाग दिल्ली 110005, श्रीमती अंजू पोपली, 302, 3रा तल, रानी बाग, शकूर बस्ती, सरस्वती विहार, दिल्ली	एन ए	बीएस-7/ बंगला न 5, 5वां तल, टावर बीएस-7, राइज स्काई बंगला, प्लॉट न. जीएच-02, ग्राम सराय ख्वाजा, सेक्टर-41, गुड़गाँव, हरियाणा-122003	22.08.2019	रु. 1,29,19,527.39 22.08.2019 को
23.	HOU/GRP/0516/290979 बीओः ग्रीन पार्क	हरीश कुमार, श्रीमती मजू रानी 1741, शेर सिह बाजार, लोधी रोड, कोटला मुबारकपुर, दिल्ली-110003	एन ए	1702-16, टावर पी 2, प्रतीक ग्रेण्ड सिटी (होल्ड),प्लॉट न. 4/बी-एस-05, सिद्धार्थ विहार, एनएच-24, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001	22.08.2019	रु. 32,26,098.31 22.08.2019 को
24.	00176660002686 बीओः गुड़गाँव	अमित मित्रा, श्रीमती अन्नु मित्रा 746, सीए अपार्टमेन्ट, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063	एन ए	फ्लैट बी-2-04-0404, यूनीटेक साउथ पार्क, सेक्टर-70, गुड़गाँव, हरियाणा	20.08.2019	रु. 55,24,817.72 20.08.2019 को
25.	00176660004279 बीओः गुड़गाँव	बलराम आनद, श्रीमती अनुपम आनद बी-32, जगपुरा एक्स्टेशन, नई दिल्ली-110014	एन ए	अपार्टमेन्ट न. 101, टावर-8, ग्रीनोपोलिस, सेक्टर-89, गुड़गाँव, हरियाणा-122002	20.08.2019	रु. 29,32,229.66 20.08.2019 को
26.	00176660002354 बीओः गुड़गाँव	राजेश करण, श्रीमती स्वेता मोहन पी-314, टी/जी-3/5, वजीराबाद, सेक्टर 55-56, जलवायु टावर गुड़गाँव-122001	अजय करण, पी-3/ 14, सेक. 56, जलवायु टावर, गड़गाँव, हरियाणा	विल्ला डी 38, गोल्डन विल्ला, ग्राम खिजूरी, एनएच-8, धारूहेरा, रेवाड़ी, हरियाणा	20.08.2019	रु. 33,88,798.44 20.08.2019 को
27.	00176660002887 बीओः गुड़गाँव	कमलनयण गुप्ता, डा. भावना पिपरसानिया गुप्ता, एफ-12, ब्रूक कोर्ट, मैन्चेस्टर, यूनाइटेड किंग्डम	एन ए	फ्लैट 203, 2रा तल, टीडब्ल्यूआर बी 4, यूनीटेक साउथ पार्क, सेक. 70, गुड़गाँव, हरि. गुड़गाँव	20.08.2019	रु. 54,02,508.19 20.08.2019 को
28.	HOU/GUR/0315/214417 बीओः गुड़गाँव	राजीव सौमित्र, श्रीमती नीतू सिंह, पैरामाउन्ट कोचिंग सेन्टर प्रा. लिमिटेड, बी-14, 3रा तल, कॉमर्सियल कॉम्प्लैक्स, मुखर्जी नगर, दिल्ली, श्रीमती नीतू सिंह, 1198, 3रा तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली	एन ए	प्लॉट नं. 1803 पी, सेक्टर-45, गुड़गाँव, हरियाणा-122002	22.08.2019	रु. 1,70,54,227.71 22.08.2019 को
29.	HOU/GUR/0316/271574 बीओः गुड़गाँव	सुमित सक्सेना, श्रीमती शिल्पी जैन, 778, भूतल, सेक्टर-5, वैशाली, आई.ई. साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, प्लॉट नं. एस-4, 2रा तल, शालीमार गार्डन एक्स्टें. 1, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	एन ए	प्लॉट नं. एस 4, 2रा तल, शालीमार गार्डन, एक्स्टें. 1, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	22.08.2019	रु. 60,84,072.75 22.08.2019 को
30.	HOU/GUR/1115/253664 बीओः गुड़गाँव	मनोज कुमार यादव, श्रीमती अवध रानी, 575, बी-1 ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली, फ्लैट नं. 1304, डेरियस-7, जीएच-02, सेक्टर ओमीकॉर्न-1, सुपरटेक सीजर सुइट्स, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध नगर, उ.प्र.-201308	एन ए	प्लॉट नं. 1304, डेरियस-7, जीएच-02, सेक्टर ओमीकॉर्न-1, सुपरटेक सीजर सुइट्स, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध नगर, उ.प्र.-201308	22.08.2019	रु. 64,90,865.93 22.08.2019 को
31.	HOU/GUR/1115/250012 बीओः गुड़गाँव	श्री सतीनाथ भट्टाचार्जी, श्रीमती ककाली भट्टाचार्जी ई-172, एचआईजी, राधा कुंज, बृज विहार, गाजियाबाद उ.प्र.-201011 साथ हीः प्लॉट नं. बी-14, 1ला तल, रामपुरी, गाजियाबाद उ.प्र.-201001, साथ हीः 315, देविका टावर, स्टील इन्द्रा, चन्दर नगर, पुलिस चौकी के निकट, रामपुरी मार्केट, जिला-गाजियाबाद-201011 साथ हीः प्लॉट नं. ए-4, प्रथम तल, रामपुरी, गाजियाबाद, उ.प्र.-201011, साथ हीः 12/12, प्रथम तल, देविका टावर, चन्दर नगर, गाजियाबाद, उ.प्र.-201011	एन ए	प्लॉट नं. बी-40, 1ला तल, रामपुरी गाजियाबाद, उ.प्र.-201001, एरिया माप 2078 वर्ग फीट	05.09.2019	रु. 1,25,77,275.95/- 05.09.2019 को
32.	NHL/GUR/1215/258801 एवं NHL/GUR/1215/254469 बीओः गुड़गांव	श्री सतीनाथ भट्टाचार्जी, श्रीमती ककाली भट्टाचार्जी ई-172, एचआईजी, राधा कुंज, वृज विहार, गाजियाबाद उ.प्र.-201011 साथ हीः प्लॉट नं. बी-40, 1 ला तल, रामपुरी, गाजियाबाद उ.प्र.-201001, साथ हीः 315, देविका टावर, स्टील इन्द्रा, चन्दर नगर, पुलिस चौकी के निकट, रामपुरी मार्केट, जिला-गाजियाबाद-201011 साथ हीः प्लॉट नं. ए-4, प्रथम तल, रामपुरी, गाजियाबाद, उ.प्र.-201011, साथ हीः 12/12, प्रथम तल, देविका टावर, चन्दर नगर, गाजियाबाद, उ.प्र.-201011	एन ए	ई-172, एचआईजी, राजाकुंज, वृज विहार, गाजियाबाद, उ.प्र.-201011	05.09.2019	रु. 1,19,87,503.04/- 05.09.2019 को
33.	HOU/JAN/0915/244396 बीओः जनकपुरी	श्रीमती शिल्पी सिंह, श्री नवीन कुमार सिंह फ्लैट नं. 2105, टावर-ई, क्लाउड-9, अहिंसा खंड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014	एन ए	2643, 25, टावर जी, गैलेक्सी नार्थ एवैन्यू, प्लॉट नं. जीसी-03, जीएच-01, पॉकेट गौर सिटी-1, सेक्टर-4, नोएडा एक्स्टें. एनए, गौर सिटी 2 के निकट, एनए, नोएडा,उत्तर प्रदेश-201301	20.08.2019	रु. 16,96,478.98/- 20.08.2019 को
34.	HOU/JAN/0316/274159 बीओः जनकपुरी	श्री मुकुल चौधरी, श्वेता चौधरी, एच. नं.-479, गोविन्द पुरम, गाजियाबाद, उ.प्र.-201002	एन ए	फ्लैट नं.-10, दूसरा तल, पॉकेट बी-1, डीडीए, एलआईजी, सिरसपुर, नई दिल्ली-110042	20.08.2019	रु. 15,68,922.90/- 20.08.2019 को
35.	00316660001865 बीओः जनकपुरी	श्री विनोद मिश्रा, श्रीमती मंजू मिश्रा, फ्लैट नं. बी-897, भू तल, ब्लॉक-बी, ग्रीन फिल्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121003	एन ए	फ्लैट नं. बी-897, भूतल, ब्लॉक-बी, ग्रीन फिल्ड कॉलोनी फरीदाबाद, हरियाणा-121003	22.08.2019	रु. 59,62,349.67/- 20.08.2019 को
36.	00316700001639 बीओः जनकपुरी	मै. ईषा नैचुरल ब्यूटी प्रॉडक्ट्स एंड वेल, श्री अमर अगरवाल श्रीमती प्रियंका अगरवाल, श्रीमती उमा अगरवाल, 1711-बी, बिल्डिंग नं. 17, डीएलएफ बेवर्ली पार्क II, डीएलएफ सिटी फेज-2, गुड़गांव, हरियाणा-122001	एन ए	1711-बी, बिल्डिंग नं. 17, डीएलएफ बेवर्ली पार्क II, डीएलएफ सिटी फेज-2, गुड़गांव, हरियाणा-122001	20.08.2019	रु. 3,82,24,522.89/- 20.08.2019 को
37.	HOU/JAN/0317/367145 बीओः जनकपुरी	श्री रविशंकर, श्रीमती नीतू वर्मा, ए-201, शिवालया अपार्टमेन्ट, जीएच-14, गुड़गांव, हरियाणा-3080, 1 ला तल, सेक्टर 57, सुशांत लोक-II, गुड़गांव, हरियाणा-122001	एन ए	प्लॉट नं. 456, ब्लॉक एफ, एसएफ रॉयल केसा फ्लोर्स, सुशांत लोक-II, गुड़गांव, हरियाणा-122001	20.08.2019	रु. 66,19,233.53/- 22.08.2019 को
38.	HOU/JAN/0815/237978 बीओः जनकपुरी	श्री आशीष शर्मा, श्रीमती कमलजीत चानेय शर्मा, एच. नं. बी-1/73, बी 1, यमुना विहार, दिल्ली	एन ए	प्लॉट नं. 2557, भूतल, सेक्टर ए, ग्रीन फिल्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121001	22.08.2019	रु. 83,19,578.26/- 22.08.2019 को
39.	HOU/JAN/0216/270379 बीओः जनकपुरी	श्रीमती भावना बाधवा, श्री जय अगनानी, एच. नं.-1401, टावर 14ए, ऑर्चिड पेटल्स, सेक्टर 49, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा-122001	एन ए	2, 25, टावर-2 (सी), साहा एमैडियस, प्लॉट नं. जीएच-02, सेक्टर 143, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	21.08.2019	रु. 1,55,21,769.70/- 21.08.2019 को
40.	0031000661783 बीओः जनकपुरी	श्री धर्मेन्द्र नागर, श्रीमती पूनम नागर, ए-11/19, सेक्टर-18, रोहिणी, नई दिल्ली-110085	एन ए	प्लॉट नं. 647, ब्लॉक-एफ, सेक्टर-डेल्टा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201010	26.08.2019	रु. 51,80,070.53/- 26.08.2019 को
41.	00166660002283 बीओः नोएडा	सुनील कुमार, श्री सुदेश कुमार, ग्राम अगहपुर, सेक 41, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301, प्लॉट नं. ए-43, सेक. 50, नोएडा, उत्तर प्रदेश	एन ए	प्लॉट नं. ए/60, सेक्टर-70, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	20.08.2019	रु. 33,33,537.32/- 20.08.2019 को
42.	00166740004124 बीओः नोएडा	शैलेन्द्र कुमार, श्री दसरथ प्रसाद सिंह, फ्लैट नं. 304, सर्वो टावर 14, कोलकाता-700019, ए-36, साईट-1, इंडियन ऑयल नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	एन ए	प्लॉट नं. 315, पॉकेट-6,डी, यमुना एक्सप्रैसवे इंडस्ट्रियल ऑथोरिटी, सेक्टर-18, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307	20.08.2019	रु. 4,49,829.03/- 20.08.2019 को
43.	HOU/NOI/0218/491762 बीओः नोएडा	प्रशांत कुमार, श्रीमती सारिका गेरा, केजी-2/333, विकासपुरी, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018	एन ए	सीवीएन-टी 10-09-03, 9वां तल, टावर 10, सीएचडी वैन अपार्टमेन्ट, ग्राम फाजिलपुर झरसा, निकट निर्वाणा कंट्री-II, गुड़गांव, हरियाणा-122001	22.08.2019	रु. 81,00,646.50/- 22.08.2019 को
44.	HOU/NOI/0415/216566 बीओः नोएडा	उदय भान उपाध्याय, एच नं. 59, गली नं. 1, महर्षि नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी 229, 3 रा तल, सेक्टर-2बी, वसुन्धरा, गाजियाबाद उ.प्र.-201012	1804,18, टावर ए, अंतरिक्ष गोल्फ लिंक, प्लॉट नं. जीएच-15ए, सेक्टर-1, नोएडा एक्स्टे. निकट सुपरटेक ईको विलेज-1, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	22.08.2019	रु. 29,02,453.39/- 22.08.2019 को
45.	HOU/NOI/1115/249783 बीओः नोएडा	श्री पंकज साहा, श्रीमती प्रियदर्शिनी सेन, मै. पेन्टाडोम इलेक्ट्रानिक्स सिक्युरिटी सिस्टम प्रा. लि., ई-845, चितरंजन पार्क, दिल्ली-110019	एन ए	20057, 19 एवैन्यू 16, टावर एच, गौर सिटी-II, प्लॉट नं. जीएच-03, सेक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, उत्तर प्रदेश-201301	18.09.2019	रु. 26,18,385.64/- 18.09.2019 को
46.	HOU/PTP/0218/489294 बीओः पीतमपुरा	निर्मल कुमार गुप्ता, श्री हिमांशु गुप्ता, श्रीमती मीना गुप्ता 129 बी, ब्लॉक-सीसी, शालीमार बाग, दिल्ली	एन ए	फ्लैट नं. 128-बी, प्रथम तल, डीडीए एमआईजी, फ्लैट, ब्लॉक सीसी, शालीमार बाग, नई दिल्ली-110018	20.08.2019	रु. 65,47,264.53/- 20.08.2019 को

स्थानः गाजियाबाद/दिल्ली/ग्रीनपार्क/गुड़गांव/जनकपुरी/नोएडा/प्रीतमपुरा/भिवाड़ी, तिथिः 10.10.2019 — **प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि.**

वक्त का तकाजा

कश्मीर के संदर्भ में चीन के ताजा रुख पर भारत की तुरंत और तीखी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है और इससे चीन के साथ-साथ पाकिस्तान को भी समझने की जरूरत है कि किसी भी देश के संप्रभु क्षेत्र की समस्याओं को अनावश्यक विस्तार देने से नई जटिलताएं खड़ी होती हैं। पाकिस्तान और चीन के बीच संबंध कैसे होंगे, इसके बारे में वही दोनों देश तय करेंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में गैरजरूरी तरीके से हस्तक्षेप से बचा जाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के ताजा भारत दौरे के लिहाज से देखें तो बेजिंग में पाकिस्तान और चीन की बैठक में कश्मीर मुद्दे को लेकर जताई गई चिंता के लिए जगह नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि भारत अपनी स्थितियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। फिर भी चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक यह खबर आई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में चीनी राष्ट्रपति ने कश्मीर में स्थिति की निगरानी करने की बात कही और उम्मीद जताई कि 'संबंद्ध पक्ष' शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए मुद्दे का हल कर सकते हैं।

सवाल है कि जब भारत ने दुनिया के सामने यह साफतौर पर कहा है कि अपने संप्रभु क्षेत्र की स्थितियों को वह खुद ठीक कर सकता है और इसमें किसी अन्य की भूमिका नहीं है, उसके बावजूद चीन को इस तरह की बेमानी रुचि दर्शाने की जरूरत क्यों पड़ी! स्वाभाविक ही भारत की ओर से यह कड़ी प्रतिक्रिया आई कि इस मुद्दे पर नई दिल्ली के रुख से बेजिंग 'अच्छी तरह से अवगत' है और हमारे आंतरिक मामलों पर अन्य देश टिप्पणी न करें। वैश्विक तकाजों के मुताबिक देखें तो एक संप्रभु देश को दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, उसके बाद ही उसे अपने लिए ऐसे रुख की उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन कश्मीर के बहाने से पाकिस्तान ने लंबे समय से जिस तरह का रुख अपनाया हुआ है, उसे उचित नहीं कहा जा सकता। यों दुनिया के तमाम देशों को यह जानकारी होगी कि कश्मीर भारत का हिस्सा है तो इस मामले में किसी तीसरे को अपनी ओर से दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर या दूसरे देशों में मौका मिलते ही पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को विवादित बना कर पेश करने से नहीं चूकता है। उसकी ऐसी ही कोशिशों का नतीजा है कि कई बार कुछ देश कश्मीर के मसले पर भ्रमित हो जाते हैं।

यह संभव है कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चीन दौरे में कुछ ऐसी बातें हुई हों, जिसके चलते चीन ने कश्मीर मामले में एक उलझा हुआ रुख सामने रखा। हालांकि पड़ोसी देश होने के नाते उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह भारत की वास्तविकता और तकाजों को समझेगा और उसी के मुताबिक अपनी स्थिति साफ रखेगा। लेकिन विडंबना यह है कि पाकिस्तान से संबंध निभाने के क्रम में अगर वह भारतीय सीमाक्षेत्र की बुनियादी समस्याओं की अनदेखी करता है तो यह स्थितियों को जटिल ही बनाएगा। भारत ने कश्मीर के संबंध में कोई अहम फैसला किया और वहां के लोगों को इससे आपत्ति नहीं है, तो पाकिस्तान को चिंता जताने की जरूरत आखिर क्यों है? संयुक्त राष्ट्र में या फिर अमेरिका और चीन आदि के सामने इस समस्या को उलझाने की उसकी कोशिश से कोई सकारात्मक नतीजे नहीं अने वाले। फिर चीन की यह कोशिश होनी चाहिए कि पाकिस्तान से इतर वह भारत के साथ अलग-अलग स्तर पर अपने संबंधों को नया आयाम दे।

अब पलटी

जब से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटा है, कांग्रेस लगातार सरकार का विरोध कर रही है। मगर वह ऊपर से यह भी दिखाने का प्रयास करती रही है कि लोकतंत्र में उसका पूरा भरोसा है। यही वजह है कि जब वहां ब्लाक विकास परिषद यानी बीडीसी के चुनाव की घोषणा हुई तो उसने उसमें हिस्सा लेने का एलान कर दिया। मगर अब उसने इन चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। उसका तर्क है कि सरकार लगातार उसके नेताओं को नजरबंदी में रखे हुई है और उन पर तरह-तरह की पाबंदियां लगा कर परेशान कर रही है, इसलिए वह बीडीसी चुनावों का बहिष्कार करेगी। उसका कहना है कि नजरबंदी के चलते उसके नेता चुनाव की अपेक्षित तैयारियां नहीं कर पाए, सरकार ने इरादतन ऐसा किया ताकि उसकी पार्टी चुनाव जीत जाए। गौरतलब है कि जब बीडीसी चुनावों की घोषणा हुई थी, तो कांग्रेस ने पैंथर्स पार्टी के साथ मिल कर चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया था। हैरानी की बात है कि तब उसे ऐसा नहीं लगा कि उसके नेता अपेक्षित तैयारी नहीं कर पाए हैं। अगर वास्तव में उसे नजरबंदी पर एतराज था तो वह अपने उस मुद्दे पर अड़ी रहती। यह क्या कि लोकतांत्रिक भी दिखना चाहती है और चुनावों का विरोध भी कर रही है।

जब जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया गया, तो घाटी में अशांति की आशंका के मद्देनजर कर्फ्यू लगा दिया गया। राजनेताओं के राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी गई। कई विपक्षी नेताओं को उनके घर में ही रखा गया। जब यह स्थिति लंबी खिंचने लगी तो विपक्षी दलों ने शोर मचाना शुरू किया कि इस तरह घाटी के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इससे संबंधित शिकायतें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी पहुंचीं। हालांकि उन शिकायतों का कोई उल्लेखनीय असर नहीं हुआ। फिर केंद्र ने स्थितियों को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू में ढील देनी शुरू की, विपक्षी नेताओं पर से पाबंदियां हटानी शुरू कर दी। पहले जम्मू संभाग के नेताओं को मुक्त किया गया, फिर कश्मीरी नेताओं पर से कुछ पाबंदियां हटाई गईं, जिसके तहत नेशनल कान्फ्रेंस के नेता आपस में मिल कर विचार-विमर्श भी कर चुके हैं। धीरे-धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है। दुकानें खुलने लगी हैं, लोग दफ्तर लौटने लगे हैं, स्कूल खुलने लगे हैं। इस तरह मौलिक अधिकारों के दमन की बात काफी हद तक बेमानी नजर आने लगी है। फिर भी कांग्रेस की चुनावों में हिस्सा न लेने की घोषणा हैरान करने वाली है।

सरकार की नीतियों, उसके फैसलों पर असहमति दर्ज कराना विपक्षी दलों का धर्म है, पर चुनावों में हिस्सा न लेने का उनका फैसला एक तरह से उनके लोकतंत्र में अविश्वास को ही रेखांकित करता है। विशेष दर्जा हटने के बाद यह जम्मू-कश्मीर में पहला चुनाव है। इससे न सिर्फ लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिल रहा है, बल्कि इससे उनके भरोसे को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। लिहाजा, सभी राजनीतिक दलों से स्वाभाविक अपेक्षा की जाती है कि ऐसे नाजुक मसलों पर एकजुटता जाहिर करें। फिलहाल कश्मीरी लोगों का हौसला बढ़ाने का समय है। इसके लिए जरूरी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया जाए। यह तभी संभव है, जब अपने राजनीतिक स्वार्थों को अलग रख कर मुख्यधारा की सभी पार्टियां चुनावों में शिरकत करें। कांग्रेस के ताजा फैसले से उसमें अवरोध ही उत्पन्न होगा।

कल्पमेधा

हमारी रुचि जीवन की कसौटी
है और हमारी इंसानियत
की पहचान।
- रस्किन

क्षेत्रीय विकास की रणनीति

विवेक ओझा

उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के हित में भारत-चीन के नेतृत्व में एनडीबी ने हाल में कुछ बड़े फैसले किए हैं। इस साल अगस्त में बैंक ने डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्रा में कर्ज देने का निर्णय किया है। एनडीबी के अध्यक्ष ने हाल में कहा भी था कि निकट भविष्य में इस बैंक की पचास फीसद परियोजनाओं को पैसा स्थानीय मुद्रा में दिया जाएगा। इससे अमेरिका सहित यूरोपीय देशों के समक्ष यह संदेश जाएगा कि विकासशील देश भी अपने आर्थिक हितों के लिए सक्रिय हैं।

हाल में भारत और ब्रिक्स बैंक, जिसे अब न्यू डवलपमेंट बैंक (एनडीबी) कहते हैं, की संयुक्त कार्यशाला दिल्ली में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को एनडीबी से अधिक से अधिक जुड़ाव का अवसर देना था, ताकि विकास के लिए वित्तीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। यह एक महत्त्वपूर्ण पहल इसलिए मानी जा रही है क्योंकि विकासशील देशों में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करना जरूरी हो गया है। इसके कुछ ही समय बाद आंध्र प्रदेश की ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए ब्रिक्स बैंक ने चौंसठ करोड़ साठ लाख डॉलर के कर्ज को मंजूरी दी। इससे राज्य में सड़कों का जाल तैयार किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2000 में अपनाए गए आठ सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों का आठवां प्रमुख लक्ष्य विकास के लिए वैश्विक साझेदारी था। वर्ष 2002 में मेक्सिको के मोंटेरी में वित्तीय सहयोग बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इसके बाद 2008 में कतर की राजधानी दोहा में और फिर 2015 में इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में भी विकास के लिए वित्तीय सहयोग का वैश्विक आह्वान किया गया था।

जब वर्ष 2015 में सत्रह सतत विकास लक्ष्यों वाला एजेंडा-2030 संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया तो उसमें भी सत्रहवें लक्ष्य के रूप में लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी को चुना गया था। ब्रिक्स का न्यू डवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी विकास के लिए इसी वित्तीय सहयोग की अवधारणा पर स्थापित किया गया था और इसी पर काम भी कर रहा है। वास्तव में वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर विकास की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए आज कई विकास बैंक और वैश्विक आर्थिक संगठन काम कर रहे हैं। इसी क्रम में उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं यानी ब्रिक्स देशों में विकास को बढ़ावा देने में एनडीबी की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो गई है। उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के हित में भारत-चीन के नेतृत्व में एनडीबी ने हाल में कुछ बड़े फैसले किए हैं। इस साल अगस्त में बैंक ने डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्रा में कर्ज देने का निर्णय किया है। एनडीबी के अध्यक्ष ने हाल में कहा भी था कि निकट भविष्य में इस बैंक की पचास फीसद परियोजनाओं को पैसा स्थानीय मुद्रा में दिया जाएगा। इससे अमेरिका सहित यूरोपीय देशों के समक्ष यह संदेश जाएगा कि विकासशील देश भी अपने आर्थिक हितों के लिए सक्रिय हैं। इससे इन देशों की विकसित देशों से सौदेबाजी की क्षमता में भी वृद्धि होगी।

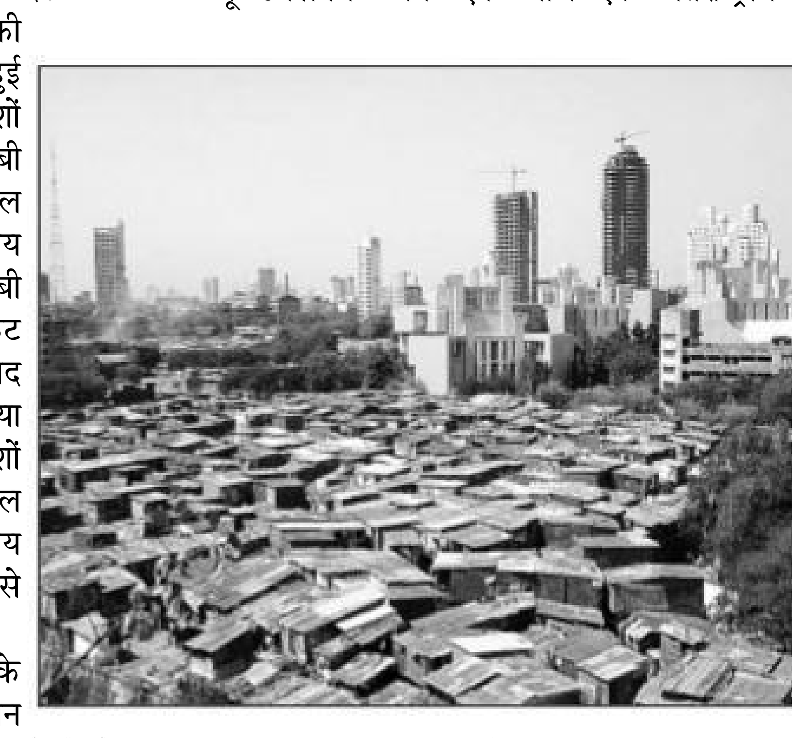

एनडीबी ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रगति के संवाहक के रूप में वैश्विक पहचान कायम कर ली है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने ब्रिक्स को 'ट्रिपल ए' के साथ वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रेटिंग दी है। इसके अलावा अगस्त, 2019 में ही एनडीबी ने कहा कि दस फीसद जीडीपी वृद्धि दर के साथ भारत पांच खरब डॉलर अर्थव्यवस्था बन सकता है। एनडीबी की स्थापना के पीछे मकसद विकासशील देशों के लिए बड़ा आर्थिक मंच तैयार करना था। वर्ष 2012 में नई दिल्ली में ब्रिक्स के चौथे शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने विकास परियोजनाओं और ढांचागत विकास के लिए एनडीबी जैसे बैंक के गठन की संभावना पर विचार किया था। 2013 में डरबन में पांचवें ब्रिक्स सम्मेलन में वित्त मंत्रियों की रिपोर्ट के बाद एनडीबी के गठन पर काम शुरू हुआ और 2014 में ब्राजील में छठे सम्मेलन में इसकी स्थापना के लिए सदस्य देशों ने करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार ब्राजील उद्घोषणा के साथ ही औपचारिक और आधिकारिक स्तर पर इस बैंक के गठन की घोषणा हुई। इस उद्घोषणा में साफ किया गया कि यह वैश्विक स्तर के बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं के विकासात्मक कार्यों में सहयोगी और अनुपूरक का काम करेगा। इस प्रकार यह विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं को प्रतिद्वंदी मानने वाला बैंक नहीं है। सात जुलाई, 2015 को रूस में ब्रिक्स के सम्मेलन में एनडीबी एक वैधानिक इकाई के रूप में अस्तित्व में आ गया था। इसका मुख्यालय चीन के औद्योगिक शहर शंघाई में रखा गया है। आज यह सौ अरब डॉलर पूंजी वाला बैंक हैं।

न्यू डवलपमेंट बैंक एक आज एक अंतराष्ट्रीय संगठन का रूप ले चुका है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की हिस्सेदारी है। हालांकि इस बैंक की बड़ी विशेषता यह है कि इसका दायरा ब्रिक्स देशों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। इसके संविधान में दूसरे देशों को सदस्य बनाने का भी रास्ता खुला रखा गया है। इसलिए एनडीबी के आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट में साफ कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश एनडीबी के सदस्य बन सकते हैं। बस शर्त यह होगी कि ब्रिक्स देशों की इस बैंक में हिस्सेदारी, मताधिकार के पचपन फीसद से कम किसी भी हाल में नहीं होगी। इस बैंक में सभी पांचों देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की शेयरधारिता और मताधिकार बीस फीसद है। बैंक की चौथी वार्षिक बैठक इस साल एक अप्रैल को केपटाउन में हुई थी। इसमें कहा गया कि बैंक का मुख्य उद्देश्य सतत विकास को और विकास की सतत अवसंरचना को बढ़ावा देना है। इस बैठक में यह ऐलान किया गया था कि क्रय शक्ति समता की दृष्टि से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी वर्ष 2010 के तीस फीसद से बढ़ कर अब छत्तीस फीसद हो गई है। बैठक में एनडीबी की उपलब्धियां बताते हुए कहा गया कि 2017 के अंत तक विविध तेरह परियोजनाओं के लिए 3.4 अरब डॉलर के कर्ज दिए जा चुके हैं। इसके अगले साल यानी 2018 में सत्रह परियोजनाओं को साढ़े चार अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज दिया गया। एनडीबी अब तक कुल तीस विकास परियोजनाओं को कर्ज मंजूर कर चुका है जिसकी रकम आठ अरब डॉलर से ज्यादा बैठती है।

एनडीबी ने जो कर्ज दिए हैं उनमें साठ फीसद कर्ज नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के लिए हैं और इसमें परिवहन, स्वच्छ ऊर्जा, जल और स्वच्छता प्रबंधन और शहरी विकास को जोड़ दिया जाए तो यह अस्सी फीसद से अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह बैंक सतत विकास और एजेंडा-2030 के हिसाब से सत्रह सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सक्रिय हो कर काम कर रहा है। 2018 में इस बैंक को 'एए प्लस' की रेटिंग भी मिल चुकी है। इस रेटिंग से बैंक की पहुंच वैश्विक पूंजी बाज़ार तक अनुकूल शर्तों के साथ हो गई है। सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाते हुए एनडीबी ने 2019 में अपने द्वारा दिए जाने वाले कर्ज की मात्रा दोगुनी यानी सोलह अरब डॉलर करने की घोषणा भी की है। बैंक ने चीनी इंटरबैंक बॉन्ड मार्केट से तीन अरब डॉलर मूल्य वाले बांड जारी किए है। बैंक अब दक्षिण अफ्रीका, भारत और रूस में स्थानीय मुद्रा बांड जारी करने की योजना भी बना रहा है। बैंक इक्विटी निवेश भी शुरू करने और परियोजना कोष को कार्यशील बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस तरह के वैश्विक-क्षेत्रीय बैंक आर्तिक संकट से जूझ रहे देशों को मदद के लिहाज से भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। आज दुनिया के ज्यादातर देश मंदी का सामना कर रहे हैं। भारत में आर्थिक मंदी से निपटने के लिए निवेश और खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में एनडीबी जैसे बैंक विकासशील देशों की चुनौतियों से निपटने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

आस्था और विश्वास

बृजमोहन आचार्य

दुनिया मेरे आगे

हमारे देश में असंख्य देवी-देवताओं को पूजा जाता है और इससे जुड़े मेले लगते रहते हैं। एक प्रकार से अपने यहां आध्यात्मिक नदी की धारा निरंतर बहती रहती है। हर उम्र और वर्ग के लोग किसी न किसी श्रद्धा के कारण अपने-अपने इष्ट देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जब परीक्षाओं का दौर आता है तब इसका जोर बच्चों पर भी देखा जाता है। सही है कि परीक्षा के परिणाम में अच्छे अंक हासिल हों, इसलिए विद्यार्थी अपनी काबिलियत के अनुसार मेहनत करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अभिभावक भी अपने बच्चे को उच्च अंक दिलाने के लिए बच्चे की तरह ही परिश्रम करते हैं और उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखते हैं। इन सबके बावजूद कई विद्यार्थियों को यह विश्वास नहीं होता कि वे उच्च अंक से परीक्षा में अपना परचम फहरा सकेंगे। इसके लिए वे अपने तय पाठ्यक्रम के साथ ईश्वर की आराधना भी करते हैं। हालांकि बच्चों को शुरू से ही पूजा-अर्चना और भगवान में विश्वास और श्रद्धा करने के लिए संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाता है।

मैं भी शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति होने के नाते धार्मिक स्थानों पर जाता रहता हूं। मुझे परीक्षा के दौरान बच्चे को छोड़ने के लिए उसके परीक्षा केंद्र तक जाना पड़ता था। एक दिन बीच रास्ते में मंदिर होने के कारण बच्चा परीक्षा केंद्र जाने से पहले मंदिर की चौखट चूमने के लिए रुक गया था। मैं सोचने को मजबूर हो गया कि मंदिर आदि धार्मिक स्थलों से दूर रह कर केवल मोबाइल और बाइक के बारे में बातचीत करने वाले बच्चे के भीतर अचानक धार्मिक प्रवृत्ति कैसे जागृत हो गई। लेकिन जब मंदिर में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि वहां उन बच्चों की भीड़ ज्यादा थी जो सिर्फ परीक्षा के मौसम में ही मंदिर आते हैं। जब मंदिर निकल रहा था तो मेरी नजर दीवार पर गई, जहां अनेक विद्यार्थियों ने ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास के कारण अपने नाम लिख दिए थे। साथ ही परीक्षा में उतीर्ण करने की गुजारिश भी लिख दी थी।

अब उन विद्यार्थियों को कौन समझाए कि परीक्षा में साल भर की गई मेहनत काम आती है। लेकिन जब अपनी पढ़ाई और तैयारी पर भरोसा नहीं होता है तो बच्चे किसी चमत्कार की उम्मीद में ऐसा करते हैं। दिलचस्प यह है कि परीक्षा को बहुत सारे एक संकट के तौर पर देखते हैं, इसलिए मंदिरों में विद्यार्थियों के बीच मुझे यह देखने को मिला कि उनमें से ज्यादातर हनुमान के प्रति ही अपेक्षया अधिक श्रद्धा प्रदर्शित कर रहे थे। बात करने पर पता चला कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि 'संकट से हनुमान छुड़ाए, मन, क्रम, वचन ध्यान जो लावै।'

स्कूली जीवन में बच्चों की उम्र इतनी नहीं होती है कि उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया जाए और वे समय से पहले ही संकट में दब जाएं। इसके अलावा, अभिभावक भी बच्चों को भगवान के प्रति आस्थावान होने की सलाह देते रहते हैं। जब बच्चा परीक्षा देने के लिए घर से रवाना होता है तो उसे गाय को गुड़ खिलाने के लिए दिया जाता है और खुद उन्हें दही और गुड़ खिला कर रवाना किया जाता है, ताकि परीक्षा में प्रश्न-पत्र सही तरीके से हल हो सके। यह सब अंधविश्वास की वजह से किया जाता है, लेकिन अभिभावकों को ऐसा लगता है कि दही खिला कर भेजने से बच्चे का प्रश्न पत्र अच्छा होगा। बच्चे भी जो आमतौर पर अपनी हर बात पर जिद पर अड़ जाते हैं, परीक्षा के मौसम में जिद को छोड़ कर आस्था के भरोसे ही आगे बढ़ने की उम्मीद पाल बैठते हैं।

हालांकि साल भर मेहनत करने और पढ़ाई में व्यस्त रहने वाले विद्यार्थियों को मालूम होता है कि परीक्षा में उनकी पढ़ाई ही काम आएगी, फिर भी 'परीक्षा के खौफ' से भयभीत होने और परिणाम आने के पहले तक वे भगवान की दहलीज पर अपना मत्था टेकने जाते रहते हैं। कई विद्यार्थी व्रत और उपवास करना भी नहीं भूलते है। आस्थावान होना या मंदिर की चौखट पर अपनी हाजिरी देना निजी विश्वास हो सकता है। लेकिन परीक्षा या फिर संकट के समय अपनी मेहनत और बुद्धि पर भरोसा रखना चाहिए। धार्मिक स्थानों पर लोग सद्विचार, सकारात्मक ऊर्जा और समाजसेवा जैसे काम करने की उम्मीद से ही पहुंचते हैं। दूसरी ओर यह भी सही है कि कुछ बाबाओं ने बुरे कर्म करके धार्मिक स्थलों और आश्रमों को शोषण और ठगी का अड्डा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि अब बहुत सारे सोचने-समझने वाले लोगों का ऐसे बाबाओं से भरोसा उठ गया है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि समाज बुरा नहीं होता, उसे राह दिखाने के नाम पर कुछ संत या बाबा कहे जाने वाले लोग कई बार बेईमानी करते हैं। इसलिए जब बच्चा अंगुली पकड़ कर चलना सीख जाए तो उसके बाद उसके भीतर नैतिकता और आस्था के भाव के साथ खुद पर भरोसा करने का भी पाठ पढ़ाया जाए, ताकि परीक्षा पास करने के लिए वह अपने और अपनी पढ़ाई पर विश्वास करे।

लूट की होड़

भारत की आम गरीब जनता पहले से ही यहां मजबूती से अपने पांव जमाए जमाखोरों, सूदखोरों, शिक्षा माफिया-भूमाफिया, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों, तस्करों, चोरों से त्रस्त और परेशान थी। अब जनसुविधा और जनकल्याण के नाम पर जनता को लूटने-खसोटने की कोशिश लगातार चल रही है। मसलन, भारतीय रेलवे के माध्यम से आम जनता से पैसा वसूली ऐसा काम किया जा रहा है, जिसके पीछे उचित तर्क नहीं दिख रहा।

कुछ समय पूर्व भारत सरकार के नीति-निमार्ताओं ने जोर-शोर से यह घोषणा की थी कि हम भारतीय रेलवे में भी विभिन्न एयरलाइंस की तरह फ्लैक्सी या डायनेमिक किराया लागू करेंगे। अब आम गरीब जनता को कैसे इस नई व्यवस्था में लूटा जा रहा है, वह रोज देखने को मिल जाता है। सरकार ने छठ, दीपावली या दशहरे जैसे त्योहारों के मौके पर भारतीय रेलवे की तरफ से खूब प्रचार किया था कि वह आम जनता की सुविधा और सहूलियत के लिए जरूरत भर की 'सुविधा' ट्रेनें चला रही है। इन ट्रेनों में डायनेमिक किराया लागू है। इस त्योहारी मौसम में भारत का कोई गरीब व्यक्ति भी अपनी नौकरी से साल में कम से कम एक बार अपने परिवार के साथ हंसी-खुशी के साथ त्योहार मनाए। जाहिर है, इस समय कई करोड़ लोग भारत की जीवन रेखा कही जाने वाली भारतीय रेल से ही यात्रा करना पसंद करते हैं। रेल यात्रा का विकल्प भी उनके पास नहीं है।

ट्रेनों के फ्लेक्सी या डायनेमिक किराए में चाल यह है कि जो रेलयात्री अपनी यात्रा तिथि के मुताबिक किसी मजबूरी में जितना नजदीक यात्रा टिकट लेगा, वह उतना ही महंगा होता जाएगा। मसलन जयपुर से सूरत का किराया 5000 रुपए से भी ज्यादा हो जा सकता है! अब प्रश्न है कि सरकार के नीति-नियंता आम जनता को सुविधा दे रहे हैं या लूट रहे हैं! दूसरी तरफ सरकार चुपचाप बड़े पूंजीपतियों के जानबूझ कर बैंकों से लिए कर्ज को न चुकाने पर लाखों करोड़ रुपए आसानी से 'माफ' कर देती है। इसकी क्या सफाई है?

अब सोचने वाली बात है कि वर्तमान में यह कथित लोकतांत्रिक सरकार कितनी लोकतांत्रिक और लोकहितकारी है! कितने दुख और अफसोस की बात है कि भारत की सरकारें यहां के नीति-निर्धारक और कथित अर्थशास्त्री विकसित देशों की नीतियों का अनुसरण करने में देर नहीं करते, जिनकी वजह से आम गरीब भारतीय का और भी शोषण होने लगता है। जबकि विकसित देशों में जनकल्याणकारी कार्यों का मतलब वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था निशुल्क है। वहां की सड़कें, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, रेल यातायात की व्यवस्था गुणात्मक रूप से इतनी अच्छी हैं कि वहां का आम आदमी का जीवन बहुत ही सुख और शांति से बीतता है। फिर मन में यह बात बार-बार कौंधती है कि हमारे देश की सरकारें विकसित देशों की इन अच्छी चीजों की नकल क्यों नहीं करतीं?

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

सुकून के लिए

आजकल अखबारों में दिल्ली सरकार के बड़े-बड़े विज्ञापनों में दिल्ली में प्रदूषण कम होने का दावा किया गया है। इसके कारण प्रदूषण की व्यापक समस्या पर फिर से बहस शुरू हो गई है। गौरतलब है कि पिछले चार-पांच सालों से दिल्ली में अक्तूबर-नवंबर माह में दिवाली, पटाखे, पराली, औद्योगिक संयंत्र, वाहनों और निर्माण कार्य के चलते प्रदूषण और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का बढ़ता स्तर जानलेवा होता जा रहा है। इस समय पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान अगली गेहूं की फसल लगाने की जल्दी में धान की खेती के अवशेषों को खेतों में ही जला देते हैं, जिससे उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र में प्रदूषण हो जाता है। ये प्रदूषित हवा बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को बहुत नुकसान पहुंचाती है।

हालांकि राष्ट्रीय हरित पंचाट पराली को 2015 में ही प्रतिबंधित कर चुका है, फिर भी पराली जलाने की घटनाएं बंद नहीं हुई हैं। केंद्र ने भी अपने स्तर पर इस समस्या से निपटने के लिए अलग से कोष बनाया है, जिससे करोड़ों रुपए की सहायता राशि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को जारी की गई है, ताकि किसान को आर्थिक मदद देकर पराली जलाने की बजाय उसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी मदद से निष्पादित किया जा सके।

लांसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल की ग्लोबल स्टडी बताती है कि भारत में प्रदूषण जनित बीमारियों के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। इसमें जीवन प्रत्याशा में कमी से लेकर सांस, मधुमेह, दिल और स्ट्रोक से होने वाली मौतें शामिल हैं। अब समय आ गया है कि दिल्ली सरकार और केंद्र मिल कर इस प्रदूषण की समस्या से युद्धस्तर पर लोहा लें, ताकि अमूल्य जानें बचें और दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा मिले और वे सुकून की सांस ले सकें।

● *बिजेंद्र कुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय*

सहयोग का पर्व

साल में सिर्फ एक बार यह त्योहार आता है, जब पूरा परिवार अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकाल कर एक साथ हो जाता है। एक दूसरे के लिए उपहार लाना, भरपेट मिठाइयां खाना, घर-घर जाकर मिठाइयां और खुशियां बांटना, रंग-बिरंगी रंगोली बनाना, नए-नए कपड़े खरीदना-बनवाना, घर की पूरी साफ-सफाई करना, परिवार के साथ बैठकर खुशियां बांटना, पुराने किस्से दोहराना, भरपेट मिठाइयां खाना, भाई-बहनों के साथ मिल कर तरह-तरह के खेल खेलना और भगवान को शुक्रिया अदा करना। यही असली मतलब है दीवाली का।

मगर हम इस त्योहार को मनाते हुए लोग दूसरों की जिंदगी क्यों ले लेते हैं? हम जो महंगे-महंगे पटाखे खरीद कर आतिशबाजी करते हैं, वह हमारे वातावरण को बहुत हानि पहुंचाता है। प्रदूषण वाली हवा को जब हमारे पशु-पक्षी अपने अंदर खींचते हैं, तब वे मरते हैं। इसी जहरीली हवा को जब हम भीतर खींचते हैं तब हमें टीबी और कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ऊपर से जो पैसे हम पटाखों पर खर्च करते हैं, हम उनसे गरीबों के लिए मिठाइयां और कपड़े लाने के काम में ला सकते हैं। ऐसा न करके हम लाखों जीवों की जान बचा सकते हैं, साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों की भी मदद कर सकते हैं।

● *मन्नत साहू, गुरुग्राम, हरियाणा*

नई फिल्म

- द स्काई इज पिंक
- लाल कप्तान
- लूटकेस

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
वॉर	217.5 करोड़
जोकर	35.25 करोड़
ड्रीम गर्ल	132.15 करोड़
छिछोरे	138.9 करोड़

10 अक्तूबर तक की कमाई

जन्मदिन

- रोनित रॉय 11 अक्तूबर
- अली फजल 15 अक्तूबर
- हेमा मालिनी 16 अक्तूबर
- सिमी गरेवाल 17 अक्तूबर

जन्मदिन पर तोहफे जमा करता था : अमिताभ

आरती सक्सेना

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 11 अक्तूबर को 77 साल के हो रहे हैं। सिनेमाजगत के साथ प्रशंसक भी उनका जन्मदिन बड़े धूम-धाम से मनाते हैं। हिंदी फिल्मजगत में अपना अलग मकाम रखने वाले बिग बी को हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसलिए माना जा रहा है कि उनका यह जन्मदिन कुछ खास रहेगा। जन्मदिन को लेकर बिग बी से हुई बातचीत के प्रमुख अंश ...

सवाल : अमित जी आप अपने जन्मदिन को लेकर कितना उत्साहित रहते हैं ?

● एक जमाना था जब मैं अपने जन्मदिन को लेकर इतना उत्साहित हुआ करता था कि एक महीने पहले से ही दिन गिनना शुरू कर देता था। उन दिनों बाबूजी, हरिवंश राय बच्चन, मेरा जन्मदिन मनाया करते थे और मैं तोहफे जमा किया करता था। अब वैसा उत्साह नहीं है लेकिन परिवार वाले और मेरे प्रशंसक उत्साहित रहते हैं, जिनकी वजह से आज भी मैं अपने आप को जवां महसूस करता हूं। इस बार भी मेरे बर्थ डे को लेकर मेरे परिवार वालों की ही प्लानिंग है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता।

सवाल : जन्मदिन के तोहफों को लेकर क्या कहेंगे?

● मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा मेरे प्रशंसकों का प्यार है जो मुझे पिछले कई सालों से मिल रहा हैं। मेरे पास मेरे कई प्रशंसकों की मेहनत से बनाई बर्थ डे गिफ्ट यादगार के तौर पर मौजूद हैं। इसके अलावा परिवार वालों के भी अनोखे गिफ्ट मिलते हैं। एक जन्मदिन पर तो मेरी पत्नी जया ने मेरे लिए जोरदार पार्टी का आयोजन किया था। अभिषेक ऐश सभी से प्यारे-प्यारे गिफ्ट मिलते रहते हैं। मेरे नाती भी मुझे अच्छे कार्ड्स गिफ्ट करते हैं जो मैंने संभाल के रखे हैं।

सवाल : क्या आपने कभी सोचा था कि आपका जन्मदिन पूरा देश मनाएगा ?

●नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। शुरुआती दिनों में तो मैं अभिनेता बनूंगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं जो मुझे इतने सारे लोगों का प्यार मिल रहा है उन्हीं के प्यार का ही नतीजा है कि मैं आज भी फिल्मों में सक्रिय हूं। मेरा अपने प्रशंसकों से वादा है कि जब तक सांस है मैं अभिनय से जुड़ा रहूंगा।

सवाल : आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसे लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं ?

●खुशी की बात है कि मुझे इस लायक समझा गया कि मुझे इतने महान पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि मैं दादा साहेब फाल्के जैसे महान इंसान के नाम पर बने पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला हूं। इस पुरस्कार के लिए मैं कृतज्ञ हूं, परिपूर्ण हूं, आभारी हूं और विनम्र हूं।

सवाल : सिनेमा के साथ आपने टीवी पर भी सफलता भी प्राप्त की है और दोनों माध्यमों में सक्रिय हैं। यह कैसे संभव हो पाता है?

●मैं बस अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना पसंद करता हूं। मेरी नजर में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। यही वजह है कि मुझे सफलता मिलती है।

मैं अपने किसी भी कार्य को चुनौती नहीं बल्कि अपना अगला अध्याय समझ कर स्वीकारता हूं। बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देता हूं ।

सवाल : आपकी ईश्वर में श्रद्धा है। क्या आप अपने जन्मदिन पर मंदिर जाना पसंद करते हैं?

●मेरी भगवान में श्रद्धा है। मैं तिरुपति बाला जी के दर्शन करने नियमित रूप से जाता हूं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी जाता हूं। लेकिन जहां तक जन्मदिन पर सवाल है तो उस दिन मैं अपने घर के मंदिर में पूजा करता हूं।

सवाल : ट्विटर पर आपके लिखे ब्लॉग काफी पसंद किए जाते हैं। क्या आप भविष्य में कभी बतौर लेखक कुछ करना चाहेंगे?

●मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर एक सक्षम लेखक है। ब्लॉग और सोशल मीडिया मैंने ऐसे ही शुरू किया था क्योंकि मैंने इसके बारे में काफी सुना था। लेकिन कुछ सालों मे दो करोड़ सत्तर लाख से ज्यादा प्रशंसकों की बदौलत अब इसकी आदत पड़ गई है। इस माध्यम पर अपने दोस्तों और प्रशंसकों को मैं अपना परिवार मानता हूं।

सवाल : आपके अब तक के करिअर में कई कलाकारों के साथ काम किया। वे कौनसे कलाकार हैं जिनके साथ काम करके आपको खुशी मिली, लगता है जैसे सपना सच हो गया?

●मैं दिलीप कुमार साहब का बहुत बड़ा फैन हूं। मेरा तो मानना है कि अगर कभी फिल्म इतिहास लिखा गया तो दिलीप साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। लेकिन वो मेरी प्रेरणा रहे। मैंने उनसे अभिनय के गुर सीखे। 'शक्ति' में उनके साथ काम कर लगा कि जैसे भगवान ही मिल गए। यह आज भी मेरी पंसदीदा फिल्म है। इसका एक- एक सीन मेरे दिल में बसा हुआ है।

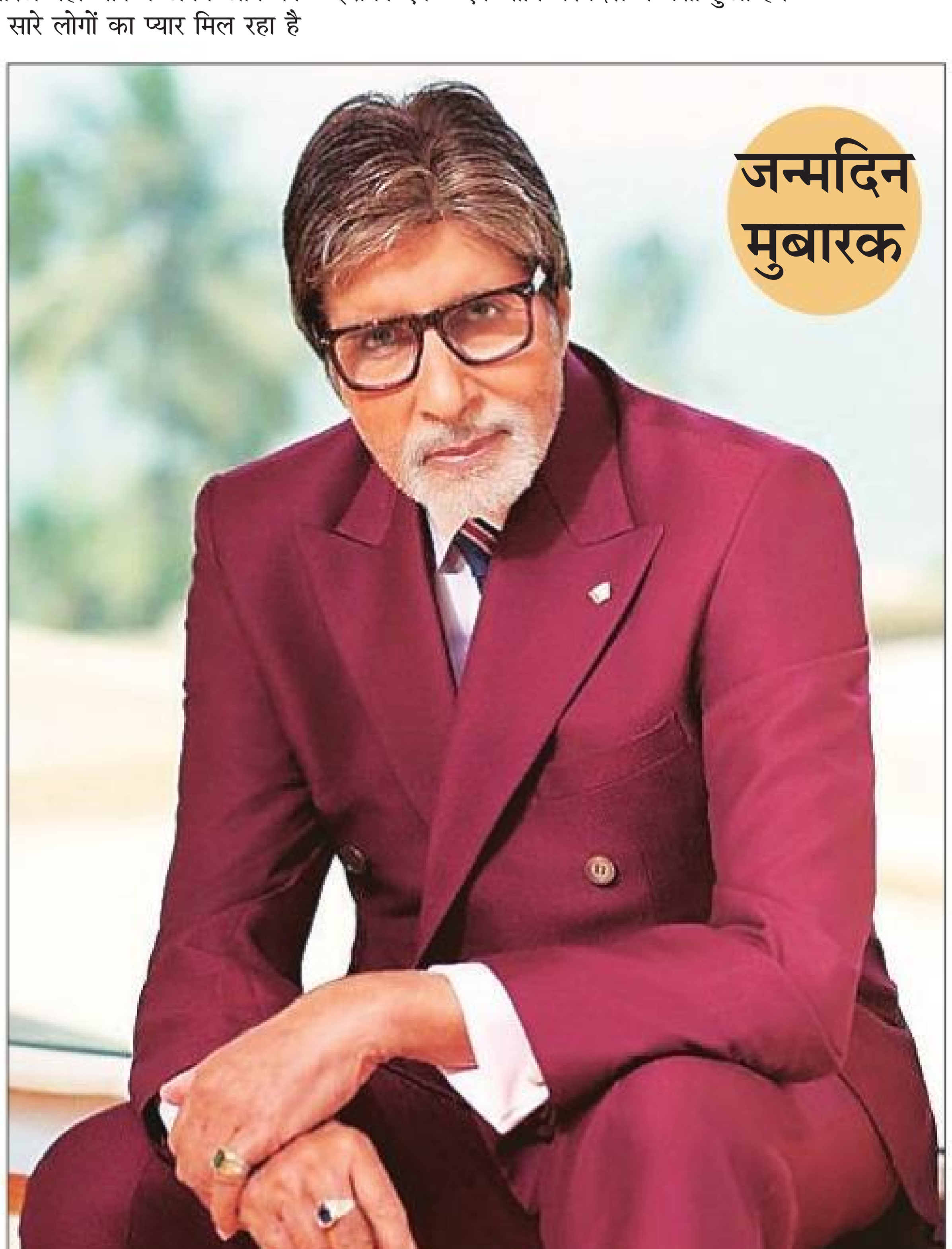

जन्मदिन मुबारक

नाच-एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूं

शशिप्रभा तिवारी

साहित्य और कलाओं का आपस में गूंथना है। कल्पना की ये दोनों धाराएं जब एक साथ मिलती हैं तब सृजन को एक नया आयाम मिलता है। वैसे भी मान्यता है कि साहित्य और कलाएं भारतीय संदर्भ में एक-दूसरे की सहचरी हैं। हाल ही में इसकी झलक क्रिएटिव आर्टिस्ट एवं कोरियोग्राफर भरत शर्मा की प्रस्तुति में दिखने को मिली।

नृत्योत्सव

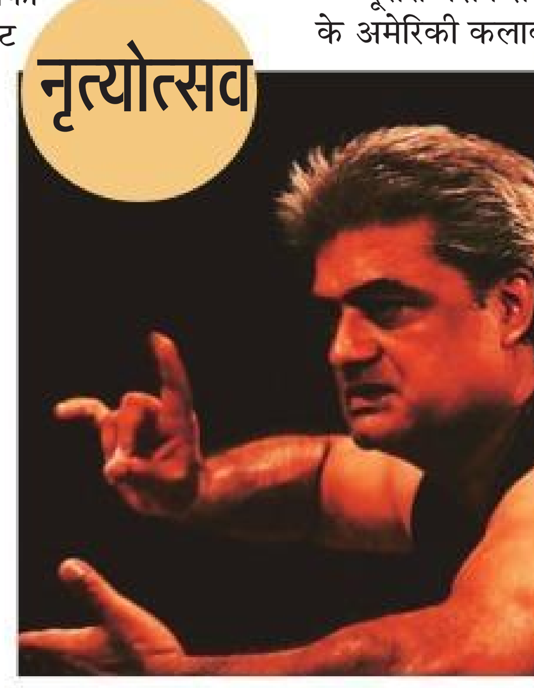

भरत शर्मा को नृत्य की विरासत उन्हें गुरु पंडित नरेंद्र शर्मा से मिली। भरत शर्मा ने बहुत कम उम्र में आधुनिक नृत्य को अपने पिता के सानिध्य में सीखा। राजधानी दिल्ली में क्रिएटिव डांस की परंपरा को जारी रखते हुए, उन्होंने सैकड़ों युवाओं को इस विधा से जोड़ा है।

दरअसल, पंडित नरेंद्र शर्मा के 96वें जन्मदिवस के अवसर पर एक नृत्य समारोह नरेन जयन स्टूडियो में हुआ। इसमें पहली पेशकश नर्तक भरत शर्मा की थी। उन्होंने 'अज्ञेय' की कुछ कविताओं पर नृत्य पेश किया। इस प्रस्तुति का संगीत उस्ताद जिया मुइउद्दीन डागर ने तैयार किया था। पृष्ठभूमि में काव्य पाठ 'अज्ञेय' के स्वर में था। 'अपलक हंसती रहना', 'पहले मैं एक सन्नाटा बुनता हूं', 'एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूं' काव्यांशों पर हस्त संचालन और भावों के जरिए भरत ने भावों को सुंदर अंदाज में पेश किया।

दूसरी पेशकश तिकड़ी थी। सत्तर के दशक के अमेरिकी कलाकार स्टीव रिख के संगीत पर इसकी परिकल्पना की गई थी। इसे शुभाशीष डे, उमेश बिष्ट और तुषार यादव ने पेश किया। इन कलाकारों ने अपने हाव-भाव, मुद्राओं और भंगिमाओं के जरिए जीवन यात्रा के संघर्ष को सिम्फनी की धुन पर बहुत सुंदर तरीके से उकेरा। महानगरीय जीवन की आपाधापी, नशे की लत, मानसिक तनाव और अन्य संघर्षों को दिखाते हुए, एक आम आदमी की एकल यात्रा को नृत्य के जरिए प्रदर्शित किया गया। इसका समाधान ध्यान और आत्मावलोकन है। इसी संदेश के साथ नृत्य को विराम दिया गया।

पुलिसवाली हीरोइन कम ही चली है

श्रीशचंद्र मिश्र

पांच साल पहले जांबाज पुलिस अफसर के रूप में फिल्म 'मर्दानी' से वापसी करने वाली रानी मुखर्जी दोबारा 'मर्दानी' वाले रूप में उतर रही हैं। शायद उन्हें लग रहा है कि वे पुलिस अफसर के चरित्र को ज्यादा विश्वसनीय तरीके से निभा सकती हैं। पिछली मर्दानी बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक रही थी। उत्साहित तो करीना कपूर भी कम नहीं हैं। पहली बार फिल्म अंग्रेजी मीडियम में वे खाकी वर्दी पहन रही हैं।

यह पहला मौका नहीं था जब कोई हीरोइन खाकी वर्दी में आई। सबसे बड़ा फर्क नजरिए का रहा। पहले जिन फिल्मों में हीरोइन को पुलिस अफसर के रूप में दिखाया गया उनमें या तो महिला पुलिस अफसर को बाहुबली की तरह हवा में उछलते हुए गुंडों का सफाया करते हुए दिखाया गया अथवा भ्रष्ट राजनेता की सरेआम हत्या को उसका ध्येय बना दिया गया। जय गंगा जल में प्रियंका और मर्दानी में रानी मुखर्जी ने इस सिलसिले को तोड़ने की विफल कोशिश की। इससे धारणा बन गई है कि खाकी में हीरोइन नहीं फबती।

विश्लेषण

हीरोइनों को मर्दाना पहचान देने की कवायद पहले भी हुई है। मूक फिल्मों के दौर में स्टंट क्वीन व हंटरवाली के रूप में विख्यात फियरलेस नाडिया जब हैरतअंग्रेज तरीके से गुंडों की पिटाई करती थी तो लोग सम्मोहित हो जाते थे। शुरुआती दौर में दुर्गा खोटे ने राजपूतानी जैसे कुछ फिल्मों ने हीरोइन का साहसी रूप दिखाया। अन्याय का विरोध भी स्वयंसिद्धा, दुनिया ना माने जैसी कुछ फिल्मों में हीरोइनों ने किया। हीरोइनों का स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी और आम केंद्रित रूप भी कई फिल्मों में दिखा। लेकिन उन्हें सुपर हीरोइन दिखाने की पहल अस्सी के दशक में हुई। दुबली-पतली कोमलांगी हीरोइनों का यह बदला हुआ रूप कई फिल्मों में हास्यास्पद भी साबित हुआ। जवाब हम देगें में श्रीदेवी, खलनायक व प्रेम दीवाने में माधुरी दीक्षित और अंधा कानून व फर्ज और कानून में हेमा मालिनी इन्हीं स्थितियों का शिकार हुईं। 'दस' में शिल्पा शेट्टी, 'डॉन' सीरिज की दोनों फिल्मों में प्रियंका चोपड़ा अंडर कवर पुलिस अफसर की भूमिका के साथ कुछ हद तक न्याय कर पाती हैं।

कुछ हद तक स्वाभाविकता रही फिल्म 'तेजस्विनी' में विजया शांति की भूमिका। अन्याय का प्रतिकार करने में किस कदर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसका फिल्म में चित्रण था। 1988 में बनी 'जख्मी औरत' की पुलिस अफसर नायिका को अपनी जांबाजी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उससे सामूहिक बलात्कार होता है। वह व्यक्तिगत तौर पर प्रतिशोध नहीं लेती बल्कि बलात्कारियों को सबक सिखाने के लिए अपनी ही तरह की अभिशप्त महिलाओं के साथ मिल कर अपराधियों का बधिया करके सबक सिखाती है।

खबर कोना

आलिया एफ ने किया तीन फिल्मों का करार

बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा बेदी की बेटी आलिया एफ ने निर्माता जय शिवाकरमणि के बैनर नॉर्दर्न लाइट्स फिल्म्स के साथ तीन-फिल्मों का करार किया है। प्रोडक्शन हाउस ने एक बयान में कहा कि अभिनेत्री की पहली फिल्म सैफ अली खान और तब्बू के साथ 'जवानी जानेमन' होगी। यह एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक आदमी अपने जीवन की कड़वी सच्चाइयों का सामना करता है। आलिया एफ फिल्म में सैफ की बेटी का किरदार निभाएंगी, फिल्म में आलिया को लेने को बारे में निर्माता शिवाकरमणि ने कहा ह्यमैनें अपने मन की बात सुनी और आलिया को इस फिल्म में ले लिया। उनके साथ जवानी जानेमन में काम करने के बाद मुझे यह विश्वास हो गया कि आलिया अच्छे से जानती हैं कि उन्हें इस क्षेत्र में क्या करना है। बता दें कि यह फिल्म 29 नवंबर को रिलीज होने वाली है।

शाहरुख खान को एक हिट की दरकार

किंग खान को लंबे अरसे से एक सुपरहिट फिल्म की दरकार है। शाहरुख खान की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर विफल रही हैं। उनकी फ्लॉप फिल्मों से उनके प्रशंसकों में निराशा है, जिसे देखते हुए अभिनेता ने कहा कि वे अगली फिल्म पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि वह एक 'हिट फिल्म' साबित होगी। पिछले साल फिल्म 'जीरो' की विफलता के बाद बॉलीवुड अभिनेता ने अभी तक अपनी अगली फिल्म के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। ट्विटर पर प्रशंसकों से बातचीत में शाहरुख ने बताया कि वह कुछ पटकथाओं पर काम कर रहे हैं। उनकी अगली फिल्म कब आएगी, इस सवाल पर शाहरुख ने कहा कि जब उन्हें सही कहानी मिलेगी, तब वह फिल्म लेकर आएंगे। वे हिट फिल्म पर काम कर रहे हैं। एक्शन फिल्म धूम के अगले भाग में काम करने की अफवाहों पर अभिनेता ने कहा कि सुना तो मैंने भी है, तुम्हें कुछ और खबर मिले तो बताना।

अपने किरदार को लेकर उत्साहित हूं : कीर्ति

'द गर्ल ऑन द ट्रेन' के हिंदी संस्करण में ब्रिटिश सिपाही आलिया कौर के किरदार को लेकर अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी बहुत उत्साहित हैं। रिभु दासगुप्ता द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2016 में आई इसी नाम की थ्रीलर फिल्म का रीमेक है जिसमें हॉलीवुड अभिनेत्री एमिली ब्लन्ट ने काम किया था। कीर्ति बताती हैं कि नेटफ्लिक्स इंडिया ऑरिजनल के शो 'बार्ड ऑफ ब्लड' में काम करने के बाद में रिभु दासगुप्ता के साथ उनका काम करने का अच्छा समीकरण बन गया था जिससे उन्हें यह किरदार निभाने का मौका मिला। उन्होंने कहा, 'यह अभी तक निभाया गया मेरा सबसे रोमांचक किरदार है। मुझे मिलने वाले सभी किरदारों को निभाने को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं हमेशा से ऐसा ही काम करना चाहती थी। मेरे लिए मजेदार अनुभव रहा।' मुझे इस फिल्म में देखकर लोग हैरान रह जाएंगे।

किसी खास भूमिका में नहीं बंधना चाहता : अली फजल

'फ्युरियस 7' और 'विक्टोरिया एंड अब्दुल' जैसी हॉलीवुड फिल्मों में दिखने वाले अभिनेता अली फजल का कहना है कि हॉलीवुड में वह किसी खास तरह के किरदारों से नहीं बंधे रहना चाहते हैं। फिलहाल अली ने केनेथ ब्रनाग की 'डेथ ऑन नील' की शूटिंग शुरू कर दी है। अभिनेता का कहना है कि जब वह हॉलीवुड की किसी फिल्म को करने का निर्णय करते हैं तो उनकी कोशिश यही रहती है कि किसी भारतीय किरदार को लेकर बनी धारणा का ठप्पा उन पर नहीं लगे। उन्होंने कहा, मैं लगातार बहुत सारी फिल्मों के ऑडिशन नहीं दे रहा हूं। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मुझे उस तरह की भूमिका नहीं दी जाए जिसमें एक भारतीय को सिर्फ महाराजा का किरदार निभाने को दिया जाए। मैं उसे कमतर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं।

गुरु दत्त (9 जुलाई, 1925-10 अक्तूबर 1964)

बिछड़े सभी बारी बारी

गणेशनंदन तिवारी

सचिन देव बर्मन, वहीदा रहमान, गुरु दत्त घनिष्ट रूप से एक दूसरे से जुड़े थे और समय के साथ सफलता हासिल कर रहे थे। पहले देव आनंद और फिर गुरु दत्त ने अपनी फिल्म कंपनियां खोली और व्यस्त होते चले गए। गुरु दत्त ने बतौर निर्देशक पहली फिल्म 'बाजी' (1951) बनाई तो उसमें बर्मन दादा का संगीत था। 'सीआइडी' (1956) के बाद गुरु दत्त निर्देशित एक भी फिल्म ऐसी नहीं रही जिसमें वहीदा रहमान न हो। मगर वक्त का सितम यह था कि एक एक करके सब व्यस्त होते और बिछड़ते चले गए।

हमारी याद आएगी

वाकया 1959 का है। बतौर निर्देशक गुरु दत्त की आखिरी फिल्म 'कागज के फूल' के दौरान संगीतकार सचिन देव बर्मन और गुरु दत्त के रिश्तों में खटास आ गई थी। बर्मन और गुरु दत्त इससे पहले 'बाजी' (1951), 'जाल' (1952) के अलावा 'प्यासा' (1957) जैसी क्लासिक फिल्म साथ कर चुके थे। 'कागज के फूल' बननी शुरू हुई, तो बर्मन दादा ने गुरु दत्त से कहा कि वह यह फिल्म न बनाएं। दादा नहीं चाहते थे कि गुरु दत्त यह फिल्म बना कर परेशानी मोल लें। एक शुभचिंतक के रूप में बर्मन दादा ने यह सलाह दी थी। उनका कहना था कि यह फिल्म मत बनाओ, यह तुम्हारी कहानी है। इस पर गुरु ने बर्मन दादा से कहा कि वह अपना काम करें और उन्हें अपना काम करने दें। त्रिपुरा के राजघराने से संबंध रखने वाले बर्मन दादा से इस अंदाज में कभी किसी ने बात नहीं की थी। यह बात उन्हें इतनी खटकी कि उन्होंने तय किया कि वह फिर कभी गुरु दत्त की फिल्म में काम नहीं करेंगे। और फिर कभी दोनों ने साथ काम नहीं किया।

गुरु दत्त 'बाजी', 'आर पार', 'मिस्टर एंड मिसेज 55' जैसी हिट फिल्में बना चुके थे। उन्होंने 'बाजी' से निर्देशक के रूप में शुरुआत की थी, जिसके निर्माता देव आनंद थे और बर्मन दादा संगीतकार। 'बाजी' ने सामाजिक अपराध फिल्मों का दौर शुरू किया था। गुरु दत्त 1954 में 'आर पार' से निर्माता बने, जो फिल्म हिट थी। बतौर निर्माता दूसरी फिल्म 'सीआइडी' में उन्होंने वहीदा रहमान को मौका दिया था।

गुरु दत्त की नियति थी कि एक के बाद एक उन्हें उनसे दूर होते चले गए। यहां तक कि उनकी पत्नी गीता दत्त भी उनके साथ रहने के बजाय अलग फ्लैट में रहने लगी थीं। गुरु धीरे-धीरे दत्त निहायत अकेले हो गए थे। 1956 की 'सीआइडी' के बाद देव आनंद इतने व्यस्त हुए कि गुरु दत्त ने फिर उनके साथ काम नहीं किया। उसके बाद गुरु दत्त ने आधा दर्जन फिल्में बनाईं। सभी में वह खुद ही हीरो थे।1959 की 'कागज के फूल' के बाद बर्मन दादा और गुरु दत्त ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। 1962 में 'साहिब बीवी और गुलाम' के बाद वहीदा रहमान और गुरु दत्त एक दूसरे से दूर हो गए। वहीदा उनके लिए शुभंकर थी और वह उनसे दूर जा चुकी थी।

1959 की 'कागज के फूल' बनाने के बाद गुरु दत्त निर्देशक के रूप में खत्म हो गए थे। उन्होंने फिर कोई फिल्म निर्देशित नहीं की। उनकी कंपनी में बेहतरीन फिल्में बनी, मगर वे गुरु दत्त ने दूसरे निर्देशकों से निर्देशित करवाईं। जैसे एम सादिक से 'चौदहवीं का चांद', (1960) अपने लेखक अबरार अल्वी से 'साहिब बीवी और गुलाम' (1962) तथा शाहिद लतीफ (इस्मत चुगताई के शौहर) से 'बहारें फिर भी आएंगी' (1966) बनवाई। गुरु दत्त की मौत के कारण 'बहारें फिर भी आएंगी' लटक गई। तब उनकी जगह धर्मेंद्र को साइन किया गया। गुरु दत्त ने जिन दृश्यों की शूटिंग थी, उन दृश्यों को धर्मेंद्र पर फिर से फिल्माया गया। मगर फिल्म पिट गई।

गुरु दत्त की 'लव एंड गॉड' भी उनकी मौत के कारण लटकी तो के आसिफ ने गुरु दत्त के स्थान पर संजीव कुमार को मजनूं बना दिया। इसे बनने में 23 साल लगे। निर्माता केसी बोकाड़िया की कोशिशों से जब फिल्म रिलीज हुई तब तक गुरु दत्त, संजीव कुमार ही नहीं इसके निर्देशक के आसिफ का भी इंतकाल हो चुका था।

फोर्टिस के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर सहित चार गिरफ्तार

पेज 1 का बाकी

सीएमडी सुनील गोधवानी (58), कवि अरोड़ा (48) और अनिल सक्सेना (51) को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही शिविंदर के फरार चल रहे बड़े भाई मालविंदर के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है। फिलहाल आर्थिक अपराध शाखा शिविंदर, उनके भाई और अन्य लोगों के खिलाफ रेलिगेयर फिनवेस्ट की एक शिकायत की जांच कर रही है, जिसमें रकम इधर-उधर करने और गबन का आरोप लगाया गया है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (आर्थिक अपराध शाखा) ओपी मिश्रा ने कहा कि दोनों भाइयों ने बिना वित्तीय हैसियत की अपने नियंत्रण वाली कंपनियों को कर्ज की राशि देकर आरएफएल को खराब वित्तीय हालत में रखा। जिन कंपनियों को कर्ज की राशि दी गई उन्होंने जानबूझकर पैसा वापस लौटाने से इनकार कर दिया, जिससे आरएफएल को 2,397 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

मिश्रा ने बताया कि रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के वरिष्ठ प्रबंधक मनप्रीत सिंह सूरी ने बीती 27 मार्च 2019 को शिविंदर और उनके भाई समेत तीन अन्य लोगों पर कंपनी के 740 करोड़ रुपए के फंड में हेराफेरी और गबन का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच उपायुक्त वर्षा शर्मा कर रही थीं। छानबीन करने के बाद गुरुवार को पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं, ईडी भी अगस्त महीने में दोनों भाइयों के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी कर चुकी है। यह छापेमारी पीएमएलए (धनशोधन निवारण अधिनियम) के तहत दर्ज एक केस के सिलसिले में की गई थी।

शिकायत में कहा गया था कि कामकाज संभालने के बाद नए बोर्ड और प्रबंधन ने पाया कि आरईएल और इसकी अनुषंगी कंपनियों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। इस पर उन्होंने आंतरिक जांच की तो पाया कि इस खराब माली हालत का कारण काफी हद तक बड़ी मात्रा में दिए गए बगैर किसी गारंटी के दिए गए असुरक्षित कर्ज और इनके भुगतान में जानबूझकर की गई चूक थी। ये कर्ज आरएफएल से ऐसी इकाइयों को दिए गए जो या तो प्रवर्तकों से जुड़ी थीं या उन पर प्रवर्तकों का नियंत्रण था।

बताया जा रहा है कि दोनों भाई साल 2008 में अपने पिता द्वारा स्थापित की गई देश की जानी मानी रैनबैक्सी कंपनी को जापानी कंपनी दाइची सैंक्यो को बेच दिया था। इसके बाद से दोनों फोर्टिस हेल्थकेयर (हॉस्पिटल चेन) और रेलिगेयर इंटरप्राइजेज (फाइनेंसियल सर्विस फर्म) को संभाल रहे थे। रैनबैक्सी कंपनी खरीदने के बाद जापानी कंपनी को पता चला था कि कंपनी के खिलाफ अमेरिका के खाद्य एवं औषधि विभाग की जांच चल रही थी। यह बात इन्होंने कंपनी के सौदे के वक्त छुपाई थी। इसकी शिकायत सिंगापुर ट्रिब्यूनल में की थी।

इसी बीच 21 दिसंबर, 2018 को सिंगापुर हाइ कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के उस फैसले को सही ठहराया था, जिसमें सिंह बंधुओं से दाइची सैंक्यो को 3,500 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कहा गया था। दाइची कंपनी भी रैनबैक्सी को सनफार्मा कंपनी को बेच चुकी है। बताया जाता है कि सिंह बंधु जिस समय दाइची सैंक्यो के साथ कानूनी लड़ाई में उलझे हुए थे, उस समय उनके बीच आपस में ही विवाद पैदा हो गया। शिविंदर ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष कहा था कि मालविंदर और रेलिगेयर के पूर्व प्रमुख सुनील गोधवानी ने रेलिगेयर फिनवेस्ट से 750 करोड़ रुपए और फोर्टिस हेल्थकेयर से 473 करोड़ रुपए निकालकर आरएचसी होल्डिंग को पहुंचाने की साजिश रची थी।

चीन की कश्मीर पर नजर के जवाब में कांग्रेस की सलाह

प्रधानमंत्री कहें, हमारी नजर हांगकांग पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे से पहले कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी को सलाह दी कि यदि चीन कहता है कि उसकी नजर कश्मीर पर है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते कि भारत की नजर हांगकांग पर है। पार्टी ने चीन को भारत के आंतरिक मामलों पर सवाल उठाने से रोकने में विफल रहने पर राजग सरकार की आलोचना की।

पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्विटर पर कहा, 'शी जिनपिंग कहते हैं कि उनकी नजर जम्मू-कश्मीर पर है, तो प्रधानमंत्री मोदी या विदेश मंत्रालय क्यों नहीं कहता कि भारत हांगकांग में लोकतंत्र को लेकर जारी प्रदर्शन का मुंह बंद किया जाना देख रहा है। हम शिंजियांग में हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन, तिब्बत और दक्षिण चीन सागर में चीन के दखल पर नजर बनाए हुए हैं।' कांग्रेस नेता ने कहा कि जब चीन पीओके और उसे वापस लेने की बात बार-बार करता है तो भारत चीन से अक्साई चिन के बारे में पूछे, जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से उसे दे दिया। तिवारी ने पूछा कि जिस तरह चीन कश्मीर मुद्दा उठाता रहता है उसी तरह भारत क्यों नहीं शिंजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाता।

उन्होंने कहा कि राजग/भाजपा में सभी पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान को पाक से वापस लेने के लिए जोर-शोर से बात करते हैं लेकिन उनमें से किसी में भी यह कहने की हिम्मत नहीं है कि हम चीनियों से अक्साई चिन वापस लेंगे जो 1963 में पाकिस्तान द्वारा उसे अवैध रूप से दे दिया गया था। क्या भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय शी के समक्ष अक्साई चीन की वापसी का मुद्दा उठाएगा?

महाराष्ट्र व हरियाणा में राहुल करेंगे चुनाव प्रचार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वे 13 और 15 अक्तूबर को महाराष्ट्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे जबकि 14 को हरियाणा के सिरसा और मेवात में रैलियां करेंगे।

पिछले कुछ दिनों से विदेश यात्रा पर गए राहुल भारत लौट आए हैं। वे गुरुवार को सूरत की एक अदालत में मानहानि के एक मामले में पेश हुए। उन्होंने ट्वीट कर इस पेशी की जानकारी दी और कहा कि उनके विरोधियों ने उनकी आवाज बंद करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा किया है। राहुल ने सत्यमेव जयते लिखकर यह संदेश भी देने की कोशिश की कि वे सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे रहे हैं जिसमें उनकी जीत होगी।

इस बीच पार्टी सूत्रों ने पुष्टि की है कि राहुल महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे।

जम्मू-कश्मीर में तीन नेताओं की रिहाई

पेज 1 का बाकी

चुके हैं, जबकि लोन ने कांग्रेस के टिकट से उत्तर कश्मीर से चुनाव लड़ा था। उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बाद में कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्हें पीपुल्स कॉन्फ्रेंस प्रमुख सज्जाद लोन का करीबी माना जाता है। वहीं नूर मोहम्मद नेशनल कांफ्रेंस के कार्यकर्ता हैं।

अधिकारियों ने बुधवार को बताया था कि रिहा किए जाने से पहले नूर मोहम्मद एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार का वादा करेंगे। इससे पहले राज्यपाल प्रशासन ने पीपुल्स कांफ्रेंस के इमरान अंसारी और सैयद अखून को स्वास्थ्य कारणों से 21 सितंबर को रिहा किया था।

अखाड़ा परिषद ने चिन्मयानंद का समर्थन किया

पेज 1 का बाकी

रहे हैं जो संतों को बदनाम कर रहे हैं। हम इन गिरोह से अब डरेंगे नहीं, हम इनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बीच, शाहजहांपुर की एक अदालत ने चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी जबकि एक अन्य आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई की तारीख 15 अक्तूबर तय की। चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने बताया कि जिला जज रामबाबू शर्मा की अदालत में गुरुवार विक्रम, सचिन और संजय के अधिवक्ता प्रमोद तिवारी ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि रंगदारी मांगने के आरोपी विक्रम और सचिन की जमानत अर्जी जिला जज रामबाबू शर्मा ने खारिज कर दी।

लश्कर के चार शीर्ष सरगना गिरफ्तार

पेज 1 का बाकी

उद दावा के गुरुवार को गिरफ्तार किए गए शीर्ष चार नेताओं के नाम प्रोफेसर जफर इकबाल, याहिया अजीज, मुहम्मद अशरफ तथा अब्दुल सलाम हैं। पेरिस में 12 से 15 अक्तूबर तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की होने वाली पूर्ण बैठक से पहले यह कार्रवाई की गई है। पेरिस स्थित एफएटीएफ ने पिछले साल जून में पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाल दिया था। उसे अक्तूबर 2019 तक पूरा करने के लिए एक कार्ययोजना सौंपी गई थी। इसमें विफल रहने पर उसे ईरान तथा उत्तर कोरिया के साथ काली सूची में डाले जाने की चेतावनी दी गई थी।

आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) के एक प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपी) में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखी गई है और प्रतिबंधित जमात तथा लश्कर के शीर्ष पदाधिकारियों को सीटीडी पंजाब ने आतंकवाद के लिए आर्थिक मदद देने के आरोपों में गिरफ्तार किया है। सीटीडी ने कहा कि लश्कर ए तैयबा/जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद आतंकवाद के वित्तपोषण के अपराध के मामले में मुकदमा का सामना कर रहे हैं और जेल में हैं। अब जमात/लश्कर के पूरे शीर्ष नेतृत्व पर मुकदमा चलेगा। विभाग ने कहा कि सीटीडी पंजाब आतंकवाद के वित्तपोषण के अपराधों की जांच कर रही है जहां इन आरोपियों ने आतंकवाद के वित्तपोषण के जरिए मिले धन का इस्तेमाल कर संपत्तियों का निर्माण कर लिया था।

संघ कार्यकारी मंडल की बैठक 17 से भुवनेश्वर में

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की तीन दिवसीय बैठक 17-19 अक्तूबर को भुवनेश्वर में आयोजित की जा रही है। इसमें साल में संघ के कार्यों, योजनाओं की समीक्षा करने के साथ देश की वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में समसामयिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने बताया कि भुवनेश्वर में आयोजित होने वाली इस बैठक में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ करीब 24 अनुषंगी संगठनों के प्रमुख भाग लेंगे।

उन्होंने साथ ही स्पष्ट किया कि इस बैठक में कोई निर्णय या घोषणा नहीं की जाएगी। इसमें साल भर में संघ से जुड़े हर संगठन ने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार क्या काम किया, उनकी क्या उपलब्धि रही, इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा आने वाले समय में उन्हें क्या करना है, इसका वर्णन किया जाएगा। इस तरह की बैठक साल में दो बार की जाती है।

संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में निर्णय लिए जाते हैं जिसमें करीब 1400 सदस्य भाग लेते हैं। भुवनेश्वर में होने वाली कार्यकारी मंडल की बैठक में करीब 300 सदस्यों के भाग लेने की संभावना है। बैठक में संघ प्रमुख (सर संघचालक) मोहन भागवत, सर कार्यवाह भैयाजी (सुरेश) जोशी समेत संघ के सभी प्रमुख पदाधिकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा हर प्रांत से प्रांत संघचालक, प्रांत प्रचारक और प्रांत कार्यवाह समेत पांच-पांच पदाधिकारी शामिल होंगे।

इस बैठक में संस्कार भारती, मजदूर संघ, विद्या भारती, विज्ञान भारती, मजदूर संघ व अन्य संगठनों के अलावा भाजपा के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अरुण कुमार ने बताया कि कोई इलग से बैठक का एजंडा नहीं है लेकिन संघ के सूत्रों ने बताया कि इसमें जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित अनुच्छेद 370 को समाप्त करने, तीन तलाक, राष्ट्रीय नागरिक पंजी, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इसमें राम मंदिर पर भी चर्चा होगी जो विषय अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

'आतंकी संगठनों का वित्तपोषण बंद हो'

पेज 1 का बाकी

दे पाते हैं। महासभा की छठी समिति की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव/कानूनी सलाहकार येड्ला उमाशंकर ने बुधवार को यह बात कही। बैठक का विषय था 'अंतराष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपाय'। उमाशंकर ने कहा कि आतंक के वित्तपोषण को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफटीएफए) के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। भारत की टिप्पणी तब आई है जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक निरोधी समिति से अनुरोध किया था कि मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को बुनियादी खर्चे के लिए उसे बैंक खाते से पैसा निकालने की इजाजत दी जाए। सईद को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी घोषित किया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक किसी भी देश को आतंकी घोषित किए गए लोगों के सभी आर्थिक स्रोतों, अन्य वित्तीय संपत्तियों और कोषों पर रोक लगाना होती है। उमाशंकर ने कहा, 'संरा महासभा में बीते एक दशक से वैश्विक आतंक निरोधी रणनीति (जीसीटीएस) को लेकर चर्चा हो रही है लेकिन जमीन पर इसका कुछ विशेष प्रभाव नहीं रहा।

गुप्ता परिवार पर अमेरिकी पाबंदी

पेज 1 का बाकी

और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने में उठाया। अमेरिका के वित्त विभाग की सूची में अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता, राजेश गुप्ता और उनके सहयोगी सलीम ईसा को दक्षिण अफ्रीका में भ्रष्टाचार में संलिप्तता के लिए शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच गुप्ता परिवार दुबई स्थानांतरित हो गया था।

विभाग ने कहा कि अजय इस परिवार का मुखिया है, वही परिवार की भ्रष्ट कारोबारी नीतियां तैयार करता है और वित्तीय मामले संभालता है। अतुल को भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों तक गुप्ता परिवार की पहुंच के लिए जाना जाता है। राजेश दक्षिण अफ्रीका के ताकतवर राजनेताओं के बेटों से महत्त्वपूर्ण रिश्ते जोड़ता था और दक्षिण अफ्रीका के उस प्रांत में कारोबार और संबंध जोड़ने की कोशिश करता, जहां भ्रष्टाचार व्याप्त था।

विभाग ने आरोप लगाया कि गुप्ता परिवार का कारोबारी सहयोगी सलीम ईसा भ्रष्टाचार के नेटवर्क में सामग्री मुहैया कराने, चीजें प्रायोजित करने और वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम देखता है। विभाग ने कहा कि प्रतिबंधों की घोषणा दक्षिण अफ्रीका में कानून के शासन और जवाबदेही के समर्थन में अमेरिकी सरकार की अडिग प्रतिबद्धता दिखाती है।

विभाग ने कहा, 'हम दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्र न्यायपालिका, पुलिस व जांच एजंसियों और न्यायिक जांच आयोग के प्रयासों का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही हम दक्षिण अफ्रीका के नागरिक समूह कार्यकर्ताओं, खोजी पत्रकारों और मामले को उजागर करने वालों के असाधारण काम की भी तारीफ करते हैं जिन्होंने गुप्ता परिवार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया।' विभाग ने कहा कि विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने दक्षिण अफ्रीका के महत्त्वपूर्ण भ्रष्टाचार नेटवर्क के सदस्यों को प्रतिबंधित किया है।

150 ट्रेनें और 50 स्टेशन निजी हाथों में सौंपने की तैयारी

पेज 1 का बाकी

व्यवस्था में आए बदलावों के बाद लागू करने का फैसला लिया गया है। मालूम हो कि हाल ही में सरकार ने देश के 6 हवाई अड्डों को निजी हाथों में सौंपा था। इसी तर्ज पर रेल मंत्रालय ने भी स्टेशन व ट्रेन को निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी की है। केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में जो कार्य दल गठित किया गया है, वह इस योजना का खाका तैयार करेगा और जल्द ही अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप देगा। इस कार्य के लिए जो टीम बनाई गई है, इसमें नीति आयोग, रेलवे बोर्ड सचिव, आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रालय के अधिकारी और आवास व शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। यह टीम एक निश्चित समय सीमा के अंदर ट्रेन व रेलवे स्टेशन के संबंध में अपनी विस्तृत रिपोर्ट देगी।

रेल मंत्रालय पहले ही 150 ट्रेन को निजी संचालन में देने का फैसला कर चुका है। विशेष समूह इस मामले में भी अपनी राय देगा। इस योजना को जल्द से जल्द लागू किया जा सके, इसके लिए सदस्य रेलवे बोर्ड को तालमेल स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेल मंत्रालय ने निजीकरण की शुरुआत दिल्ली-लखनऊ मार्ग पर तेजस एक्सप्रेस को निजी हाथों में सौंपने के साथ की थी, यह कार्य आइआरसीटीसी को सौंपा गया है।

निजीकरण का कर्मचारियों ने किया विरोध

पेज 1 का बाकी

हुई बैठक में एनएफआइआर के पदाधिकारियों ने पुरजोर ढंग से इन मसलों को उठाया। फेडरेशन के महामंत्री राघवैया ने रेल मंत्री को एक ज्ञापन भी दिया जिसमें रेल मंत्रालय के प्रस्तावों, कर्मचारी उन्नयन, कुछ श्रेणियों के मामले में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन की मांग की।

फेडरेशन के मीडिया सचिव एसएन मलिक ने बताया कि महामंत्री डा एम राघवैया ने रेलवे मंत्रालय के मनमाने फैसलों परअपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि रेलवे की कर्मचारी विरोधी नीतियों का यह आलम है कि गाड़ियों को निजी ऑपरेटरों को सौंपा जा रहा है। उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण किया जा रहा है व रेलवे गतिविधियों की आउटसोर्सिंग व निजीकरण किया जा रहा है। कार्यशालाओं व प्रिंटिंग प्रेसों को बंद करने के फैसले भी इसमें शामिल हैं। डा एम राघवैया ने कहा कि रेलवे और रेल कर्मचारियों के हित में अंतिम विचार करने के मकसद से ऐसे सभी प्रस्तावों पर पहले कर्मचारियों से विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। राघवैया ने रेल मंत्री से यह भी कहा कि स्वस्थ औद्योगिक संबंधों के संरक्षण के लिए ऐसे सभी प्रस्तावों पर पूर्व परामर्श होना आवश्यक है। इस पर रेल मंत्री ने भी अपनी सहमति दी है।

एनएफआइआर की बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य और अन्य अधिकारियों के साथ अध्यक्ष गुमान सिंह ने भी हिस्सा लिया। रेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी तरह का नीतिगत निर्णय लेने से पहले विचार-विमर्श किया जायगा और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को सलाह दी कि इस पर ध्यान दिया जाए। रेल मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रस्तावों से संबंधित आवश्यक विवरण एनएफआइआर को उपलब्ध कराया जाएगा। संगठन के मीडिया सचिव एसएन मलिक ने बताया कि रेलवे की आय और रेलवे के प्रदर्शन में सुधार के सुझाव के संबंध में कहा कि भारतीय रेलवे की आय बढ़ाने के लिए विचार-विमर्श और आगे की चर्चा के लिए रेल मंत्रालय के सामने एनएफआइआर की ओर से वैध सुझाव रखे जाएंगे।

ओल्गा तोकार्चुक, पीटर हंडके को साहित्य का नोबेल

पेज 1 का बाकी

उपन्यासकार और पटकथा लेखक पीटर हंडके को 2019 के लिए यह पुरस्कार दिया गया। स्वीडिश अकादमी ने यह जानकारी दी।

तोकार्चुक को अपनी पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार माना जाता है। उन्हें यह सम्मान, 'उस विमर्श की परिकल्पना के लिए दिया गया है जो जीवन के एक स्वरूप की हदें लांघने की विश्वव्यापी चाहत का प्रतिनिधित्व करती है।' अकादमी ने कहा कि दूसरी तरफ हंडके ने 'उस प्रभावशाली काम के लिए यह पुरस्कार जीता जो भाषाई सरलता के साथ इंसानी अनुभवों की विशिष्टता की परिधि को टटोलती है।' अकादमी ने कहा कि हंडके ने दूसरे विश्वयुद्ध के बाद खुद को सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक के तौर पर स्थापित किया है। अकादमी के बयान में कहा गया कि उनके काम नए तरीकों की खोज की इच्छा और उन खोजों को जीवन से जोड़ने के लिए नई साहित्यिक अभिव्यक्तियों के जरिए व्यक्त करने की मजबूत उत्कंठा से भरे हैं। तोकार्चुक और हंडके दोनों को पुरस्कार के तौर पर 9.12 लाख अमेरिकी डालर मिलेंगे। तोकार्चुक यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली 15वीं महिला हैं। 1901 से अब तक कुल 116 लोगों को साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया जा चुका है। पिछले साल अकादमी तब विवादों में घिर गई थी जब अकादमी से करीब से जुड़े जीन-क्लाउड अर्नाल्ट को 2018 में दुष्कर्म के मामले में जेल हुई। अकादमी के सदस्य इस बात को लेकर दो फाड़ थे कि उनके साथ अपने संबंधों को किस तरह प्रबंधित किया जाए। इस विवाद ने इसके 18 सदस्यों के बीच योजनाओं, हितों के टकराव, उत्पीड़न और मौन की संस्कृति को उजागर कर दिया।

सहकारी बैंकों के नियमन पर गठित होगी समिति

पेज 1 का बाकी

के ग्राहकों से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने बाद में संवाददाता सम्मेलन में सहकारी बैंकों का कामकाज बेहतर बनाने के लिए विधायी सुझाव देने वाली समिति के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि जरूरी समझा गया तो सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में सहकारी बैंकों के नियमन में संशोधन का विधेयक लेकर आएगी। पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) में 4,500 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक से लोगों के पैसे की निकासी पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। इसके चलते बैंक के ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सीतारमण ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग तथा आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव जल्दी ही रिजर्व बैंक के एक डिप्टी गवर्नर से मुलाकात करेंगे और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में खामियों पर चर्चा करेंगे। वे देखेंगे कि क्या कानूनों में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मामलों, वित्तीय सेवाओं, ग्रामीण मामलों, शहरी विकास मंत्रालय के सचिवों और रिजर्व बैंक के एक डिप्टी गवर्नर को मिलाकर एक समिति गठित की जाएगी, जो कानून में बदलाव के सुझाव देगी। सीतारमण ने कहा कि वे इस तरह की घटनाओं के दोहराव को रोकने वाला नियामक को मजबूती देने के लिए आवश्यक विधायी कदमों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे यह मानकर नहीं चल रही हैं कि मौजूदा कानून में कोई खामी है लेकिन समिति इसका अध्ययन करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में जरूरत के अनुरूप संशोधन लेकर आएगी।

सहकारी बैंकों के साथ कई चिंताएं जुड़ी हैं। राजनेता या अन्य प्रभावशाली लोग बैंकिंग नियमों को धता बताकर फंसे कर्ज का बोझ बढ़ाते हैं और खाताधारकों की मेहनत से जमा की गई पूंजी को खतरे में डाल देते हैं। पिछले दो दशकों में कई सहकारी बैंक विफल रहे हैं और पीएमसी बैंक ऐसे सबसे बड़े बैंकों में से एक है। घोटाले के सामने आने के बाद पिछले महीने रिजर्व बैंक ने पीएमसी ग्राहकों को सिर्फ एक हजार रुपए तक निकासी करने की छूट दी थी जिसे बाद में विरोध के चलते बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया। बैंक ने बांटे गए कुल कर्ज का अकेले 70 फीसद हिस्सा लगभग दिवालिया हो चुकी एचडीआइएल को कर्ज के रूप में दिया था।

सीतारमण 21 अक्तूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान के संबंध में यहां संवाददाता सम्मेलन करने वाली थीं। इसकी सूचना पाकर पीएमसी के नाराज उपभोक्ता भाजपा कार्यालय के बाहर जमा हो गए। सीतारमण ने कहा कि वे पीएमसी के उपभोक्ताओं के हितों के बारे में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास से बातचीत करेंगी और उन्हें उपभोक्ताओं की दिक्कतों से अवगत कराएंगी।

कड़वी साबित हुई करवाचौथ स्पेशल

पेज 1 का बाकी

पर विवाहित जोड़ों को ही जानी की इजाजत थी। इसके लिए आइआरसीटीसी की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए थे। इसमें विशेषतौर पर स्नान कक्ष और पैरों मसाज की सुविधा शामिल थी। इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की थी।

आइआरसीटीसी के मुताबिक इस समय में बड़ी संख्या में देसी-विदेशी पर्यटक राजस्थान की कला व संस्कृति जानने के लिए राजस्थान पहुंचते हैं। इस दौरान राजस्थान में कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं।

इन आयोजन को ध्यान में रखकर यह टूर पैकेज तैयार किया गया था। यह यात्रा 14 अक्तूबर को सफदरजंग स्टेशन से होनी थी। इसके तहत यात्रियों के राजस्थान में जैसलमेर किला, पटवन की हवेली, गड़ीसर झील, मेहरानगढ़ किला, जसवंत थड़ा, अम्बेर किला और सिटी पैलेस जैसे ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराने की योजना था। यह भ्रमण 5 दिन और 4 रातों का था। माना जा रहा है कि इस ट्रेन का अधिक किराया कम यात्री आने की बड़ी वजह हो सकता है। इसका आकलन किया जाएगा। इस यात्रा के लिए प्रति दंपति इसका किराया वातानुकूलित श्रेणी प्रथम में 1,02,960 रुपए और एसी टू टीयर में 90,090 रुपए था। रेलवे के मुताबिक दोनों दंपतियों के जल्द ही वसूला गया किराया वापस लौटाया जाएगा।

सहयोग व साझेदारी के रास्ते तलाशेंगे मोदी-शी

पेज 1 का बाकी

द्विपक्षीय संबंधों एवं अनेक क्षेत्रों में सहयोग के विकास की दिशा पर दिशानिर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। उधर, जिनपिंग के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए शुक्रवार को रवाना होने से पहले यहां सरकारी मीडिया ने कहा कि उनकी मुलाकात में इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि सहयोगात्मक साझेदारी बनाने के लिए ऐतिहासिक तथा मौजूदा मतभेदों से आगे कैसे बढ़ा जाए। शी शुक्रवार तड़के बेजिंग से रवाना हो सकते हैं और दोपहर बाद चेन्नई पहुंचेंगे।

चीन के उप विदेश मंत्री लुओ झाओहुई ने कहा कि दोनों पक्षों के अधिकारियों ने शिखर वार्ता के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। उन्होंने कहा कि अब ठोस आधार तैयार कर लिया गया है। दोनों पक्षों के संयुक्त प्रयासों से राष्ट्रपति शी की भारत यात्रा पूरी तरह सफल होगी और द्विपक्षीय संबंधों की आगे प्रगति की दिशा तय करेगी। इससे दोनों पक्षों के बीच सहयोग के आदान-प्रदान में नई प्रगति होगी तथा सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात पूरी दुनिया को चीन और भारत का यह सुसंगत संदेश एक बार फिर भेजेगी तथा अनिश्चितता से भरी दुनिया में स्थिरता एवं सकारात्मक ऊर्जा भरेगी। लुओ ने कहा कि यह एक अनौपचारिक बातचीत है, इसलिए दोनों नेताओं को बिना किसी निर्धारित विषय के विचारों के मुक्त आदान-प्रदान के लिए सहज माहौल मिलेगा। इस मुलाकात में कोई करार होने की भी संभावना नहीं है।

शुक्रवार शाम से मोदी और शी की कई मुलाकातें हो सकती हैं। इनमें अधिकतर में उनके साथ केवल उनके दुभाषिये होंगे। इन बैठकों में दोनों नेता चीन-भारत संबंधों को आगे ले जाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनमें खासकर भारत में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद भारत के खिलाफ पाकिस्तान के अभियान को बेजिंग के समर्थन को लेकर विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई थीं।

लुओ ने जहां यात्रा को लेकर अत्यंत सकारात्मक टिप्पणी की, वहीं सरकारी स्वामित्व वाले चाइना डेली ने भी आश्चर्यजनक तरीके से गुरुवार को लिखा कि शी की दो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों भारत और नेपाल की यात्रा की आधिकारिक घोषणा अनौपचारिक वार्ता से महज 48 घंटे पहले होना इस बात का प्रमाण है कि भारत और चीन के शीर्ष नेताओं के बीच आपसी तालमेल के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अखबार ने स्पष्ट रूप से लिखा, 'बेजिंग और नई दिल्ली दोनों ने घोषणा की कि बैठक होगी। उन्होंने पहले चल रही इस अटकल को खारिज कर दिया कि दोनों नेता किसी भी मुलाकात को स्थगित कर देंगे। उन्होंने यह संदेश भेजा है कि वे सकारात्मक साझेदारी के रास्ते में कोई अड़चन नहीं आने देना चाहते।'

दरअसल

बजरंग दल के 150 सदस्यों पर मामला दर्ज

ग्वालियर, 10 अक्तूबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने विजयादशमी जुलूस के दौरान बंदूकों से कथित तौर पर हवाई फायर करने के मामले में बजरंग दल के करीब 150 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जुलूस की अनुमति भी नहीं ली थी। उधर, बजरंग दल ने धमकी दी कि वह पुलिस के खिलाफ आंदोलन करेगा।

दशहरा जुलूस में बंदूक से हवाई फायर करने का मामला

ग्वालियर पूर्व के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे ने गुरुवार को कहा, 'आठ अक्तूबर को दशहरे के दिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन किया और बंदूकों से हवा में फायर किए। सार्वजनिक रूप से बंदूक से फायर करना अपराध है। इसलिए ग्वालियर के झांसी रोड थाने में बजरंग दल के करीब 150 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भादंसं की धारा 336 के तहत मामला दर्ज किया गया है।' उन्होंने कहा, 'जल्दी ही इस मामले में जांच करके उचित कारवाई की जाएगी।' कार्यकर्ताओं पर मामला इसलिए दर्ज किया गया, क्योंकि इनके बंदूकों से फायर करने पर दूसरे लोगों के साथ स्वयं की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है।

बच्चों को मारकर की आत्महत्या, पति-ससुर गिरफ्तार

ठाणे, 10 अक्तूबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बच्चों की हत्या करने के बाद आत्महत्या करने वाली एक महिला के पति और ससुर को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गुजरात से पकड़ा गया।

गुमशुदा की तलाश

दीपाली

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम : **दीपाली** पुत्री : **श्री देवेन्द्र**, निवासी : **मकान नं. 27, गली नं. 31, क्रॉस रोड़, बत्तरा गली, ए-1 ब्लॉक, संत नगर, बुराड़ी, थाना वजीराबाद, दिल्ली**, उम्र : **22 साल**, लम्बाई : **5'6''**, रंग : **गोरा**, चेहरा : **अंडाकार**, शरीर : **पतला**, पहनावा : **गहरे नीले रंग का टॉप, काले रंग की लैगिंग, और पैरों में नीले रंग की बेली पहनी हैं**, जो **14.09.2019** से थाना वजीराबाद क्षेत्र से गुमशुदा /अपहृत है। इस सन्दर्भ में **DD No. 39-A dated 15.09.2019** पुलिस थाना, वजीराबाद, दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है। स्थानीय पुलिस द्वारा गंभीरता से इस गुमशुदा/अपहृत लड़की को तलाश करने की कोशिश की गई लेकिन अभी तक कुछ पता नही चल पाया है। अगर किसी को इस गुमशुदा /अपहृत लड़की के बारे में कोई जानकारी मिले तो निम्नलिखित को सुचित करें।

वेबसाइट: http://cbi.nic.in, मेल आईडी cic@cbi.gov.in,
फोन नं : 011-24368638, 24368641, फैक्स : 011-24368639

थानाध्यक्ष
थाना वजीराबाद, दिल्ली
DP/435/N/19. **फोन नं. 011-23810076, 23810073, 23810069**

भारतीय स्टेट बैंक

एमसीबी पूसा रोड शाखा 11/6-बी, शांति चैम्बर्स, मेट्रो पिलर नं. 133 के निकट, दिल्ली-110005, ई-मेल : sbi.32327@sbi.co.in

भौतिक कब्जा सूचना [नियम 8(1) के अंतर्गत अचल सम्पत्ति के लिये]

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने मांग सूचना नीचे प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे प्रत्येक खाता तथा राशि के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा। भौतिक कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार हैः

ऋणधारकों का नाम	गिरवी सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना में वर्णित	13(2) सूचना की तिथि
ऋणधारकोंः मै. मदर्स प्राइड डेयरी इंडिया प्रा.लि., श्री नवनीत जैन, श्री अनंत चौधरी, श्रीमती शालिनी चौधरी, श्रीमती सोनिया सिंह, श्री गुरविन्दर सिंह, श्रीमती सारिका जैन, श्री सुशील कुमार सिंह एवं श्री विकास यादव	श्री गुरविन्दर सिंह तथा श्रीमती सोनिया सिंह के नाम में फ्लैट नं. 6286, 2रा तल, पॉकेट 6 एवं 7, सेक्टर-सी, बसंत कुंज, दिल्ली तथा उसके साथ स्कूटर गैरेज	30.3.2019 को रु. 273794812.70/- तथा ब्याज एवं अन्य चार्जेज	01.4.2019 भौतिक कब्जा सूचना की तिथि 9.10.2019

तिथि : 11.10.2019 हस्ता./-
स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

वी2 रिटेल लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः खसरा नंः 928, एक्सटेंडेड लाल डोरा आबादी, विलेज कापसहेड़ा, तहसील, बसंत विहार, नई दिल्ली-110037
CIN- L74999DL2001PLC147724, फोनः 011-41771850
ईमेल आईडीः cs@vrl.net.in, वेबसाइटः www.v2retail.com

सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के नियमन 29 के अनुसार बोर्ड के बैठक की सूचना

सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनिम 2015 के नियमन 29 के अनुसार, 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और ग्रहण के उद्देश्य के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 25 अक्टूबर, 2019 को दोपहर 2:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

आगे, सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध) विनियम 2015, यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, विनियमन, निगरानी और इनसाइडरों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए कंपनी की आचार संहिता, कंपनी की प्रतिभूतियों में निपटने के लिए ट्रेडिंग विंडो, 02 अक्टूबर, 2019 से सभी अंदरूनी लोगों के लिए बंद कर दिया गया है और 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटे के अंत तक बंद रहेंगे।

उक्त सूचना को कंपनी की वेबसाइट यानि www.v2retail.com पर एक्सेस किया जा सकता है और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानि www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी एक्सेस किया जा सकता है।

कृते वी2 रिटेल लिमिटेड
हस्ता/-
(रामचंद्र अग्रवाल)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
DIN 00491885

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 10.10.2019

न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

सीआईएन : L72200DL1992PLC049074
पंजीकृत कार्यालयः ए-6, सतसंग विहार मार्ग, कुतुब इन्सटीटयुशनल एरिया, नई दिल्ली-110067, फोनः +91-11-40770100, 26963571, फैक्सः (+91)-11-26856936, वेबसाइटः https://newgensoft.com
ई-मेलः investors@newgensoft.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन, दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्कताओं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक, मंगलवार, 22 अक्टूबर 2019 को आयोजित की जानी निर्धारित हैं, जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त कंपनी के दूसरी तिमाही और छमाही के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार विमर्श और अनुमति प्रदान की जाएगी।

उपरोक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट https://newgensoft.com के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
ह./-
अमन मौर्या
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांकः 10.10.2019
स्थान : नई दिल्ली

शुद्धिपत्र (पूर्व में प्रकाशन की तिथि 4 अक्टूबर 2019)

अनुसूची-1
प्ररूप क
सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन)

साहिबगंगा ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड के पक्षकारों के ध्यानार्थ

1.	कार्पोरेट व्यक्ति का नाम	साहिबगंगा ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	11.02.2018
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट व्यक्ति निगमित है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा
4.	कार्पोरेट व्यक्ति की कार्पोरेट पहचान संख्या	U74999DL2018FTC329324
5.	कार्पोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	**एमसीए के अनुसार पंजीकृत कार्यालयः** सी-58, बेसमेंट कालकाजी, नई दिल्ली 110019
6.	कार्पोरेट व्यक्ति का समापन प्रारंभ होने की तिथि	30.09.2019
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या	**नामः** श्री राजेश कुमार पारख **पताः** 5/51, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली, 110005 **ईमेलः** parakh.rajesh@gmail.com **टेलीफोनः** +91 9811350848 **आईपी पंजीकरण सं**: IBBI/IPA-001/IP-P00272/2017-18/10516
8.	दावे जमा करने की अन्तिम तिथि	**29.10.2019**

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **साहिबगंगा ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड** ने **30 सितम्बर 2019** को स्वैच्छिक समापन आरम्भ किया है।

साहिबगंगा ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड के पक्षकारों को एतद्द्वारा मद 7 के सम्मुख उल्लिखित पते पर परिसमापक के पास **29 अक्टूबर 2019** को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे। अन्य सभी पक्षकार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रोनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
राजेश कुमार पारख
परिसमापक

दिनांक : 10.10.2019
स्थान : दिल्ली

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

एडवांस होम एंड पर्सनल केयर लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	एडवांस होम एंड पर्सनल केयर लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	2 जुलाई, 1985
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U24243DL1985PLC021386
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	511/2/1, ग्राम रजोकरी, दिल्ली- 110038
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	आईबीसी के अंतर्गत दिवाला आरंभ होने की तिथि 5 सितम्बर, 2019 है। आईआरपी को आदेश की सूचना की तिथि 9 अक्टूबर, 2019 है। दावे 5 सितम्बर, 2019 को जमा किये जायेंगे।
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	3 मार्च, 2020- माननीय एनसीएलटी दिल्ली पीठ द्वारा पारित आदेश तिथि 5 सितम्बर, 2019 की तिथि से 180 दिन
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है	नामः विवेक पारती, पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P00813/ 2017-18/11376
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेलः	विवेक पारती, ए-166, 2रा तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली- 110024, दिल्ली ई-मेलः v-parti@yahoo.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	ए-166, 2रा तल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली- 110024, दिल्ली, ई-मेलः v-parti@yahoo.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	23 अक्टूबर, 2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	वर्ग (गों) का नाम एन ए
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	1. 2. 3.

14. (क) संबंधित प्रपत्र

प्रमाण के साथ दावे भारत दिवाला एवं दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के शीर्षक IV के अनुसार जमा किये जा सकते हैं। दावे का प्रमाण अधोलिखित विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में जमा किया जा सकता हैः

प्रपत्र बीः ऑपरेशनल क्रेडीटर्स द्वारा दावे के लिये
प्रपत्र सीः बायर्स एवं सावधि जमा धारकों के अतिरिक्त वित्तीय क्रेडीटरों द्वारा दावे के लिये
प्रपत्र सीएः होम बायर्स तथा सावधि जमा धारकों द्वारा दावे के लिये
प्रपत्र डीः कर्मियों तथा कर्मचारियों द्वारा दावे के लिये

प्रपत्र की प्रति प्राप्त करने के लिये आप वेबसाइट www.ibbi.gov.in तथा भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियिमन, 2016 से ऊपर वर्णित प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं।

ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध हैः एन ए

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 5 सितम्बर, 2019 को एडवांस होम एंड पर्सनल केयर लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा एडवांस होम एंड पर्सनल केयर लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 23 अक्टूबर, 2019 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि [ ] के रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाणों को जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

हस्ता./-
विवेक पारती
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 9 अक्टूबर, 2019

आदित्य ओवरसीज

पंजी. कार्यालयः 2रा तल, 10, जमरुदपुर कम्युनिटी सेन्टर, कैलाश कॉलोनी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110048
ईमेलः admin.nd@aadya-group.com,
टेलीफोनः +91-011-46465216,
CIN: U74899DL1993PLC054872

केन्द्र सरकार के समक्ष
द्वारा क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
आदित्य ओवरसीज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय हैः 2रा तल, 10, जमरुदपुर कम्युनिटी सेन्टर, कैलाश कॉलोनी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110048 के मामले में - आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

पताः 2रा तल, 10, जमरुदपुर कम्युनिटी सेन्टर, कैलाश कॉलोनी एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110048

आदित्य ओवरसीज लिमिटेड के द्वारा
तथा उसकी ओर से
हस्ता./-
धीरज कुमार
निदेशक
DIN: 007718251

तिथिः 02 अक्टूबर, 2019
स्थानः नई दिल्ली

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III, DELHI
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001

Notice under Section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Banks & Financial Institutions Act. 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993)

In the matter of 393/2019/DRT-III
Union Bank of India ....Applicant
Versus
Shri Sandeep Sajan & Sons ...Defendants

To,
D-1 Shri Sandeep Sajan S/o Shri Harender Kumar Maharaj
D-2 Shri Harender Kumar Maharaj, S/o Late Adhyanand Maharaj
Both R/o B-1/123, DLF Colony, Bhopura, Paswada, Pasonda, Sahibabad, Ghaziabad, U.P.
Also at : Flat No. G-1, Ground Floor, H.No. B-1/20, DLF Dilshad Extension-II, Ghaziabad, U.P.
D-3 Shri Kailash, S/o Sh. Kishan Arya
R/o 53-54, Pocket-8, Sector-23, Rohini, Delhi

Whereas the above named applicant has instituted a case against you & whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal **07-11-2019 at 10.30 A.M.**

Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard & decided in your absence.

Given under my hand & seal of this Tribunal on this the **23-09-2019.**

Seal

BY ORDER OF THE TRIBUNAL
Assistant Registrar
DRT-III, New Delhi

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

मै. जैनसन्स रीअलटेक प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 66, न्यू आलोक, मेरठ रोड, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-245101, भारत के मामले में

---- आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि "उत्तर प्रदेश राज्य" से "दिल्ली राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कम्पनी के क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के पतेः ए-14, सेक्टर-1, पीडीआईएल भवन, नोएडा, उत्तर प्रदेश में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेंः

मै. जैनसन्स रीअलटेक प्राईवेट लिमिटेड
66, न्यू आलोक, मेरठ रोड, हापुड़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-245101, भारत
कृते एवं के लिये
मै. जैनसन्स रीअलटेक प्राईवेट लिमिटेड
मनोज छाबरा
निदेशक

तिथिः 10.10.2019
स्थानःगाजियाबाद

एचएफसीएल लिमिटेड

(भूतपूर्व हिमाचल फ्यूचुरिस्टिक कम्युनिकेशंस लि.)
CIN: L64200HP1987PLC007466
पंजी. कार्यालयः 8, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लैक्स, चंबाघाट, सोलन-173213 (हिमाचल प्रदेश)
Tel: 91-1792-230644,
Fax: 91-1792-231902,
Email: secretarial@hfcl.com
Website: www.hfcl.com

सूचना

सेबी सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 ("सूचीयन विनियमन") के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार 21 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली में तय की गई है जिसमें अन्य विषयों के साथ ही वित्त वर्ष 2019-20 के 30 सितम्बर 2019 को समाप्त दूसरी तिमाही तथा छमाही के लिए स्टैंड एलॉन तथा समेकित दोनों आधार पर कम्पनी के वार्षिक अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 तथा विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूतियों में कारोबार के विनियमन, निगरानी, रिपोर्टिंग के लिये कम्पनी की आंतरिक प्रक्रिया एवं आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार इन्सायडर्स सहित सभी विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिये कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो 01 अक्टूबर, 2019 से ही बंद है तथा वह 24 अक्टूबर, 2019 को फिर से खुलेगी।

उक्त सूचना कंपनी की वेबसाईट https://www.hfcl.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट बीएसई लिमिटेडः http://www.bseindia.com तथा द नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड http://www.nseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

एचएफसीएल लिमिटेड के लिये
(पूर्व में हिमाचल फ्यूचुरिस्टिक कम्युनिकेशंस लि.)
हस्ता./-
(मनोज बैद्य)
उपाध्यक्ष (कॉर्पोरेट) एवं कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 9.10.2019

प्रपत्र सं. आईएनसी-25ए

क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 41 के मामले में
तथा
ईमर्जिंग फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय हैः 35, एशियन गैम्स विलेज कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110049 के मामले में - आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी उपरोक्त नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास एक आवेदन करने के लिये इच्छुक है तथा ऐसे रूपांतरण को प्रभावी करने के लिये कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 16 सितम्बर, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी में रूपांतरित करने के लिए इच्छुक है।

कंपनी की स्थिति में इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेंः

ईमर्जिंग फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिये तथा उसकी ओर से
हस्ता./-
नरेश खन्ना
निदेशक
DIN: 00016294
पंजीकृत कार्यालयः 35, एशियन गैम्स विलेज कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110049

तिथिः 10 अक्टूबर, 2019
स्थानः नई दिल्ली

भारतीय स्टेट बैंक

आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी फरीदाबाद, एससीओ-98, 1ला एवं 2रा तल, सेक्टर-16 मार्केट, फरीदाबाद फोनः 0129-2289822, फैक्सः 0129-2290222

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 25.7.2019 जारी कर ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) श्री जरनैल सिंह तोमर, पुत्र एस मेनगा सिंह एवं शकुन्तला रानी तोमर, पत्नी श्री जरनैल सिंह, एच.नं. बी-90, सेक्टर-11, डीएलएफ, फरीदाबाद 121006 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 24.7.2019 को रु. 32,24,767.00 (रुपये बत्तीस लाख चौबीस हजार सात सौ सड़सठ मात्र)+27.7.2019 से ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

खाता सं. 65228160598, 65272903076, 65228442052 तथा 65124417443 के माध्यम से ऋणधारक/गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 25 सितम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 24.9.2019 को रु. 32,29,618.00 (रुपये बत्तीस लाख उन्नतीस हजार छः सौ अठारह मात्र) तथा 25.9.2019 से ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति मकान नं. 90-डीएलएफ, ब्लॉक-बी, सेक्टर-11, फरीदाबाद-121006

तिथिः 11.10.2019 प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः फरीदाबाद भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

दिल्ली अंचल कार्यालय 15, एनबीसीसी टावर्स, 3रा तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 फोन (011) 26164817/26197769, फैक्सः 011 (26171554)
ई-मेलः legal_del@mahabank.co.in

प्रधान कार्यालयः लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 की उप-धारा (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 16.1.2019 जारी कर ऋणधारकों मोह. कबीरुल इस्लाम, पुत्र मोह. नुरुल मंडल तथा श्रीमती रौसन आरा परवीन, पत्नी मोह. कबीरुल इस्लाम को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 16.1.2019 को रु. 14,74,090.00 (रुपये चौदह लाख चौहत्तर हजार नब्बे मात्र) तथा 16.1.2019 से आगे के ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, सह-ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 9 अक्टूबर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय यहाँ ऊपर वर्णित राशि के लिये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

बैंक के पास गिरवी रखी गई तथा बैंक द्वारा सांकेतिक कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार हैः सम्पत्ति फ्लैट नं. 202, प्रथम तल (फ्रान्ट से लेफ्ट तक), बिना छत/टैरेस अधिकार के, एरिया माप 50 वर्ग याईस अर्थात् 41.81 वर्ग मी. में, सम्पत्ति, प्लॉट नं. 42 एवं 42ए में, खसरा नं. 105/2, ग्राम पालम, विश्वास पार्क कॉलोनी, ब्लॉक-ई, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिये
सहा. महा प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
(सरफैसी अधिनियम, 2002)

तिथिः 9.10.2019
स्थानः नई दिल्ली

ITI Asset Management Limited
Investment Manager for ITI Mutual Fund
Registered Office: Naman Midtown, 'A' Wing 21st Floor, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi Mumbai - 400 013

Toll Free No: 1800 266 9603
B : 022 6621 4999 • F: 022 6621 4998
E : mfassist@itiorg.com
W : www.itimf.com
CIN: U67100MH2008PLC177677

ITI MUTUAL FUND
Long-term wealth creators

NOTICE No. 08/2019

Hosting of Half-yearly Portfolio Statement of the Scheme(s) of ITI Mutual Fund

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of the scheme(s) of ITI Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 59(A) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018, ITI Asset Management Limited ("the AMC") has hosted a soft copy of the Half Yearly Portfolio Statements of all the Schemes of ITI Mutual Fund for the period ended September 30, 2019 on its website viz www.itimf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com.

The Investors/Unitholders may accordingly view and download the Half Yearly Portfolio Statements from the website of the AMC and AMFI.

Unitholders can also submit a request for electronic or physical copy of the Half Yearly Portfolio Statement by writing to the AMC at the email address mfassist@itiorg.com or calling the AMC on the toll free number 18002669603 or submitting a written request at any of the official points of acceptance of ITI Mutual Fund.

For ITI Asset Management Limited
(Investment Manager for ITI Mutual Fund)
Sd/-
George Heber Joseph
Chief Executive Officer & Chief Investment Officer

Date : October 10, 2019
Place : Mumbai

Statutory Details: Constitution: ITI Mutual Fund has been set up as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882; Sponsors: The Investment Trust of India Limited and Fortune Credit Capital Limited; **Trustee:** ITI Mutual Fund Trustee Private Limited [Corporate Identity Number (CIN): U65999MH2016PTC287077], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability; **Investment Manager:** ITI Asset Management Limited [Corporate Identity Number (CIN): U67100MH2008PLC177677], a company incorporated under the Companies Act, 1956 with a limited liability.

Copy of all Scheme Related Documents can be obtained from any of our AMC offices/Customer Service Centres/distributors as well as from our website www.itimf.com.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

L&T Mutual Fund
6th Floor, Brindavan, Plot No. 177
C. S. T. Road, Kalina
Santacruz (East), Mumbai 400 098

call 1800 2000 400
email investor.line@lntmf.co.in
www.ltfs.com

L&T Financial Services
Mutual Fund

Notice

Notice is hereby given that in accordance with Regulation 59A of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018, the half-yearly statement of scheme portfolio of L&T Mutual Fund ("the Fund") for half year ended September 30, 2019 has been hosted on the website of the Fund viz. www.ltfs.com and on the website of AMFI viz. www.amfiindia.com.

Investors can request for physical/soft copy of statement of scheme portfolio through any of the following means:

a. SMS: - Send SMS to 567678 from investor's registered mobile number. SMS format "LTMFHPE <Space>Folio no. for soft copy and LTMFHPP <Space> Folio no. for physical copy.
b. Telephone: - Give a call at our toll-free no. at 1800 2000 400 & 1800 4190 200
c. E-mail: - Send an email to investor.line@lntmf.co.in
d. Letter: - Submit a letter at any of the AMC Offices or CAMS investor Service Centres, details available at www.ltfs.com.

Investors/Unit holders are requested to take note of the aforesaid.

For L&T Investment Management Limited
(Investment Manager to L&T Mutual Fund)
Kailash Kulkarni
Chief Executive Officer

Date : October 10, 2019
Place: Mumbai

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

एससी-47, सी ब्लॉक, शालीमार गार्डन एक्सटें-II, साहिबाबाद-201005
टेलीः 0120-6587971

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (2)/ 8 (6) के अंतर्गत बिक्री के विषय में सूचना देने के लिये ऋणधारकों के लिये सूचना (30 दिनों की सूचना)

शाखा, ऋणधारक (कों)/ मार्टगैजर (रों)/ गारन्टर (रों)/ सह आवेदक/ सह-देनदार का नाम/ पता	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य मांग सूचना तिथि	कब्जा सूचना की तिथि
ऋणधारकोंः श्री नितिन सक्सेना एवं श्री राकेश कुमार सक्सेना प्लॉट नं.-45, फ्लैट नं. 2, 2रा तल, राजिन्दर नगर, साहिबाबाद श्रीमती शिवानी सक्सेना प्लॉट नं. 45, फ्लैट नं. एसएम-2, मीनल अपार्टमेन्ट, राजिन्दर नगर सह-देनदार श्री सुशील कुमार भटनागर ए-224, गली नं. 7, ए ब्लॉक, महाबीर एन्क्लेव पार्ट-2, दिल्ली	अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः भूमि एवं भवन-आवासीय माप लगभग 450 वर्ग फीट जो प्लॉट नं. 40ए, खसरा नं. 525/2, साउथ ईस्ट पोर्शन, ग्राम छिपयाना बुजुर्ग, परगणा तहसील दादरी, जिला गौतमबुध नगर, उ.प्र. में स्थित है। चौहद्दीः पूर्वः खाली प्लॉट, पश्चिमः डा. ओपी मलिक का मकान, उत्तरः कच्चा रास्ता, दक्षिणः अन्य प्लॉट	रु. 1550000/- 4.4.2019	27.8.2019

जैसा कि उपरोक्त तिथि के अनुसार धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना द्वारा मेरे/बैंक द्वारा की गई मांग के बावजूद आप अपनी बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा कर लिया गया है। सम्पत्ति का कब्जा कर लेने के बावजूद आपने आन्ध्रा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। अतएव, इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के बाद ई-नीलामी आमंत्रित कर उपरोक्त सम्पत्ति का बिक्री करना आवश्यक हो गया है। नीलामी की तिथि एवं समय तथा सेवा प्रदाता का विवरण अलग से जारी की जाने वाली बिक्री सूचना के माध्यम से सूचित किया जायेगा तथा सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम मूल्य का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को की जायेगी। चूंकि सम्पत्ति की बिक्री हम दोनों को स्वीकार्य नियमों एवं शर्तों के अधीन निजी संधि द्वारा अथवा लोगों से कोटेशन प्राप्त कर भी की जा सकती है, यदि आपके पास निजी संधि अथवा लोगों से कोटेशन आमंत्रित कर सम्पत्ति की बिक्री करने का कोई प्रस्ताव हो तो आप इस पत्र/ सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर हमें उसकी सूचना दे सकते हैं अन्यथा यह माना जायेगा कि आपके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथा हम निविदा/ सार्वजनिक नीलामी/ ई-नीलामी/ निजी संधि आमंत्रित कर सम्पत्ति/मशीनरी की ब्रिकी की कार्रवाई शुरू करेंगे। पुनः यह ध्यान रहे कि यदि आप उपरोक्त बिक्री के लिये निर्धारित तिथि को या पूर्व इस तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई लागत, खर्चे के साथ उस पर परवर्ती ब्याज सहित मांग सूचना में निर्दिष्ट बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं तो अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री के लिये आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

स्थानः गाजियाबाद, तिथिः 10.10.2019 **मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक**

BOI AXA Mutual Fund
(Investment Manager: BOI AXA Investment Managers Private Limited)
Registered Office: B/204, Tower 1, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013
CIN: U65900MH2007FTC173079

BOI AXA Mutual Fund

NOTICE-CUM-ADDENDUM NO. 5/2019-20

NOTICE-CUM-ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION ("SAI") OF BOI AXA MUTUAL FUND ("THE FUND").

Resignation of Key Person :-

Mr. Sachin Parekh, Senior Manager & Dealer - Equity, will cease to be a Key Person with effect from close of Business hours on October 11, 2019.

Accordingly, details of Mr. Sachin Parekh shall stand deleted under section titled "Information of Key Personnel" in Section III (F) of the SAI of the Fund.

This Notice-Cum-Addendum forms an integral part of the SAI of the Fund. All other terms and conditions appearing in the SAI being modified through this Addendum remain unchanged.

NOTICE

DISCLOSURE WITH RESPECT TO HALF-YEARLY PORTFOLIO STATEMENT OF THE SCHEMES OF BOI AXA MUTUAL FUND

Notice is hereby given to the Investors/Unit holders of all the Schemes of the Fund that in accordance with Regulation 59A of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018, the Half - Yearly Portfolio Statement of Schemes of the Fund for half year ended September 30, 2019, has been hosted on the website of the Fund viz. www.boiaxamf.com and on the website of AMFI viz. www.amfiindia.com.

Investors can submit a request for physical or soft copy of Half - Yearly Portfolio Statements by giving a call to our Service Centre at 1800-103-2263 or sending an SMS to 9210012222 from investor's registered mobile number in the format HSTMTE<Space>Folio no. for soft copy and HSTMTP<Space>Folio no. for physical copy or sending an email to service@boiaxa-im.com or writing a letter to Head - Customer Services, BOI AXA Investment Managers Private Limited, B/204, Tower 1, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013.

For BOI AXA Investment Managers Private Limited
(Investment Manager for BOI AXA Mutual Fund)
Sd/-
Authorised Signatory

Place : Mumbai
Date : October 10, 2019

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ताइवान की शांति एवं स्थिरता के लिए खतरा है चीन : साई

ताइपे, 10 अक्तूबर (एपी)।

ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने 'नेशनल डे' पर गुरुवार को कहा कि चीन ताइवान को 'लगातार' धमका रहा है और वह क्षेत्र की शांति एवं स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

साई की यह टिप्पणी चीन द्वारा स्वशासित द्वीप के लोकतंत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने की नए सिरे से कोशिश करने के बीच आई है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है और उसे अलग-थलग करने के लिए उसके शेष बचे कूटनीतिक सहयोगियों को दूर करने की कोशिश कर रहा है।

साथ ही साई की यह टिप्पणी हांगकांग में पिछले कुछ महीनों से हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के मद्देनजर भी आई है।

साई ने राष्ट्रपति भवन में दिए अपने भाषण में कहा, 'चीन अपने 'एक देश, दो तंत्र' कार्यक्रम के इस्तेमाल के जरिए हमें लगातार धमका रहा है और सभी तरह के हमले करने के साथ ही क्षेत्र की शांति एवं स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।'

बेहद सार्थक रही फ्रांस की यात्रा: राजनाथ

पेरिस, 10 अक्तूबर (भाषा)।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि फ्रांस की उनकी यात्रा बेहद सार्थक रही। इससे भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय रक्षा संबंध और प्रगाढ़ होंगे। रक्षा मंत्री फ्रांस की तीन दिवसीय यात्रा समाप्त करके यहां से रवाना हो गए। रवाना होने के पहले उन्होंने फ्रांस की कंपनियों को रक्षा उपकरणों का निर्माण करने के लिए भारत को अपना ठिकाना बनाने का संदेश दिया।

सिंह ने रवाना होने से पहले ट्वीट किया, 'शुक्रिया फ्रांस! मेर्सी! यह यात्रा बेहद सार्थक रही।' उन्होंने कहा, 'इस यात्रा के नतीजे भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत करेंगे। राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों, रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली और फ्रांस सरकार के आतिथ्य के प्रति मेरा आभार।' बुधवार शाम को सिंह ने फ्रांस के प्रमुख रक्षा उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित किया और तकनीकों के मेल के जरिए भारत के बंदरगाहों और रक्षा मंचों को अधुनिक बनाने को कहा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, 'शुक्रिया फ्रांस! मेर्सी! यह यात्रा बेहद सार्थक रही।' उन्होंने कहा, 'इस यात्रा के नतीजे भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत करेंगे। राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों, रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली और फ्रांस सरकार के आतिथ्य के प्रति मेरा आभार।'

उन्होंने कहा, 'फ्रांस की कंपनियां रक्षा उपकरण निर्माण के लिए भारत को अपना ठिकाना बना सकती हैं। भारत के बड़े बाजार के लिए ही नहीं बल्कि अन्य देशों को निर्यात करने के लिए भी।' सिंह ने भारत भर में एक समान वस्तु और सेवा शुल्क लागू करने के महत्व को भी रेखांकित किया। स्वतंत्रता के बाद यह कर सुधार की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा, 'हमने हाल ही में अपने कॉर्पोरेट कर में भारी कटौती की है। रक्षा के क्षेत्र में यदि 'मेक इन इंडिया' के लिए कर को और सुसंगत करने की जरूरत पड़ी तो इसपर विचार किया जाएगा।' रक्षा मंत्री ने फ्रांस की कंपनियों की प्रति वर्ष भारत में डिफेंस एक्सपो में उत्साह के साथ भाग लेने की भी सराहना की।

सिंह ने फ्रांस की कंपनियों को अगले साल पांच से आठ फरवरी के बीच लखनऊ में आयोजित होने वाले डेफएक्सपो में भाग लेने के लिए औपचारिक निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा, 'लखनऊ समृद्ध संस्कृति और धरोहरों वाला शहर है और फ्रांस के लोग महान संस्कृतियों का आदर करने वाले माने जाते हैं।'

श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के सात मछुआरों को पकड़ा

रामेश्वरम, 10 अक्तूबर (भाषा)।

श्रीलंकाई नौसेना ने गुरुवार को तमिलनाडु के सात मछुआरों को श्रीलंका के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनकी नौकाएं भी जब्त कर लीं। मत्स्य पालन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मत्स्य पालन विभाग के सहायक निदेशक एस शिवकुमार ने बताया कि तंजावुर जिले के रहनेवाले मछुआरे नेदुनथीवु के पास मछली पकड़ रहे थे।

पाक ने एफएटीएफ बैठक के लिए अनुपालन रिपोर्ट तैयार की

इस्लामाबाद, 10 अक्तूबर (भाषा)।

पाकिस्तान ने धन शोधन रोधी निगरानी संस्था एफएटीएफ की पेरिस में होने वाली बैठक के लिए अनुपालन रिपोर्ट तैयार की है। यह बैठक 12 से 15 अक्तूबर के बीच पेरिस में होगी। इसी बैठक में यह संस्था पाकिस्तान के 'ग्रे लिस्ट' दर्जे के बारे में फैसला सुनाएगी।

पेरिस की इस संस्था ने पाकिस्तान को पिछले साल जून में ग्रे सूची में डाला था। साथ ही पाकिस्तान को कार्ययोजना दी थी जो उसे अक्तूबर 2019 तक पूरा करना था। ऐसा नहीं होने की स्थिति में पाकिस्तान का नाम काली सूची में डाला जाना था, जिसमें फिलहाल ईरान और उत्तर कोरिया हैं।

पाकिस्तान के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद यह फैसला होगा कि वह ग्रे लिस्ट में ही बना रहता है अथवा उसे काली सूची में डाला जाएगा या फिर उसे क्लीन चिट मिल जाएगी।

एशिया पेसिफिक समूह (एपीजी) की ओर से शनिवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि इस बात की संभावना अधिक है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा क्योंकि देश को उस सूची में डालते वक्त संस्था ने जो 40 अनुशंसाएं की थी उनमें से पाकिस्तान ने केवल एक का ही पालन किया है।

FATF

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाक में धनशोधन और आतंक के वित्तपोषण का बहुत जोखिम है और उसे अपनी समझ को बेहतर बनान होगा।

आर्थिक मामलों के प्रभाग के मंत्री हमाद अजहर के नेतृत्व में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंड फ्रांस के लिए 13 अक्तूबर को रवाना होगा। डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के मामले को 14 तथा 15 अक्तूबर को देखा जाएगा। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि बीते एक वर्ष में उन्होंने खासी प्रगति की है।

दैनिक के मुताबिक पाकिस्तान के प्रतिभूति एवं विनियम आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके मुताबिक आयोग द्वारा विकसित व्यापक दिशा-निर्देशों से वित्तीय संस्थानों को एक वर्ष के भीतर 219 संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट

बाइडेन ने पहली बार की ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग

वाशिंगटन, 10 अक्तूबर (भाषा)।

अमेरिका के पूर्व उप राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रमुख दावेदार जो बाइडेन ने पहली बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की और कहा कि ट्रंप अमेरिका के लोकतंत्र के लिए खतरा हैं, उन्होंने पद की शपथ का उल्लंघन किया है। उनकी पार्टी ने इस दावे पर महाभियोग जांच शुरू की है कि ट्रंप ने 25 जुलाई को टेलीफोन पर हुई बातचीत में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर उन भ्रष्ट व्यापारिक सौदे की जांच करने का दबाव बनाया, जिसमें बाइडेन कथित रूप से शामिल हैं।

डेमोक्रेट सदस्यों का कहना है कि ट्रंप ने यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता रोककर वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को जांच के लिए बाध्य किया । ट्रंप ने आरोप से इनकार किया है और जांच को दुर्भावना से प्रेरित बताया है।

न्यू हैंपशायर में एक चुनावी रैली में बाइडेन ने कहा, 'अमेरिका के इतिहास में कभी किसी राष्ट्रपति ने इस तरह का अकल्पनीय व्यवहार नहीं किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने शब्दों और अपनी गतिविधियों से खुद को आरोपित किया है। न्याय के रास्ते में बाधा खड़ी करके और कांग्रेस की जांच में सहयोग से इनकार करके उन्होंने खुद को दोषी साबित किया है।'

बाइडेन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट नेताओं का समर्थन करते हुए कहा, 'अमेरिकी जनता साफ देख सकती है कि ट्रंप ने पद की शपथ का उल्लंघन किया, राष्ट्र को धोखा दिया और महाभियोग लायक कृत्य किए। हमारे संविधान, लोकतंत्र, बुनियादी एकता की रक्षा के लिए उन पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए।' ट्रंप ने पलटवार करते हुए बाइडेन को भ्रष्टाचारी बताया।

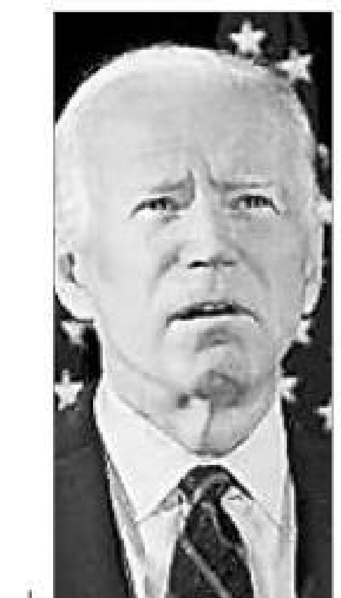

बाइडेन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट नेताओं का समर्थन करते हुए कहा, 'अमेरिकी जनता साफ देख सकती है कि ट्रंप ने पद की शपथ का उल्लंघन किया, राष्ट्र को धोखा दिया और महाभियोग लायक कृत्य किए।
हमारे संविधान, लोकतंत्र, बुनियादी एकता की रक्षा के लिए उन पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए।'

कुर्दों ने आइएस के खिलाफ जंग में अमेरिका की मदद नहीं की : ट्रंप

वाशिंगटन, 10 अक्तूबर (भाषा)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीरिया के कुर्दों ने आइएस के खिलाफ जंग में अमेरिका की कोई मदद नहीं की। इस बयान के जरिए उन्होंने अमेरिकी बलों को वापस बुलाने के अपने फैसले का बचाव किया है जिससे तुर्की को पूर्वोत्तर सीरिया पर हमला करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने का रास्ता मिल गया।

सीरियाई कुर्दों के बारे में माना जाता है कि वह क्षेत्र में अमेरिका का सहयोग करते हैं। हालांकि ट्रंप ने उनके सहयोग को मान्यता देने से इनकार कर दिया है।

ट्रंप ने वाइट हाउस में संवाददाताओं से बुधवार को कहा, 'कुर्द अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, आप इस बात को समझिए। जैसा कि किसी ने आज बहुत ही जबर्दस्त लेख में लिखा है कि उन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध में हमारी मदद नहीं की थी। उदाहरण के लिए उन्होंने नॉरमैंडी (फ्रांस) में हमारी मदद नहीं की थी। उन्होंने अलग-अलग युद्धों का नाम लिया है। लेकिन वे उनमें शामिल नहीं थे। लेकिन सीरिया में वे अपनी जमीन के लिए हमारी मदद कर रहे हैं और यह बिलकुल अलग बात है।' तुर्की ने पूर्वोत्तर सीरिया में कुर्दों के नियंत्रण वाले इलाकों में बुधवार को हवाई हमले किए जिससे अब जमीन पर भी संघर्ष होने के आसार बन रहे हैं।

ट्रंप ने वाइट हाउस में संवाददाताओं से बुधवार को कहा, 'कुर्द अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, आप इस बात को समझिए। जैसा कि किसी ने आज बहुत ही जबर्दस्त लेख में लिखा है कि उन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध में हमारी मदद नहीं की थी। उदाहरण के लिए उन्होंने नॉरमैंडी (फ्रांस) में हमारी मदद नहीं की थी।

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने हथियार, गोला-बारूद और वेतन के लिहाज से देखें तो कुर्दों की मदद पर अत्यधिक पैसा खर्च किया है। वहीं एक कुर्द पत्रकार रहीम राशिदी ट्रंप के इस बयान से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि एक साल पहले ही संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कुर्दों के सहयोग की जमकर तारीफ की थी।

इतना ही नहीं उन्होंने अमेरिकी सहयोगियों के लिए अत्यंत सम्मान प्रकट करते हुए राशिदी को 'मिस्टर कुर्द' का उपनाम भी दिया था। ट्रंप ने कुर्दों की रक्षा का वादा किया था।

उन्होंने न्यूयॉर्क में पत्रकारों के सामने कहा था, 'वे (कुर्द) हमारे साथ लड़े हैं, उन्होंने हमारे लिए जान दी है। हम यह बात भूले नहीं हैं।' लेकिन इनमें से कोई भी बात साबित होते नहीं दिख रही है। राशिदी ने कहा, 'यह हमला ट्रंप की आंखों के सामने हुआ। उन्होंने कुछ नहीं किया।'

लेबर नेता कॉर्बिन से मिले कांग्रेस नेता, कश्मीर पर की चर्चा

लंदन, 10 अक्तूबर (भाषा)।

ब्रिटेन में विपक्षी पार्टी के नेता जेर्मी कॉर्बिन ने यहां कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और इस दौरान दोनों पक्षों ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द किए जाने के बाद वहां मानवाधिकार की स्थिति पर चर्चा की। कॉर्बिन ने इस बातचीत को 'बेहद सार्थक' करार दिया।

लेबर पार्टी द्वारा भारत सरकार के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद से ही ब्रिटेन में भारतवंशी समूहों का कॉर्बिन पर काफी दबाव था। वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने लेबर पार्टी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय दखल के आह्वान को भारत विरोधी करार दिया था।

कॉर्बिन ने बुधवार को ट्विटर पर एक बयान में कहा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी के ब्रिटिश प्रतिनिधियों के साथ बेहद सार्थक मुलाकात हुई जहां हमने कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति पर चर्चा की। कांग्रेस पार्टी यूके के प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्होंने ट्विटर पर एक तस्वीर भी पोस्ट की और कहा कि तनाव कम होना चाहिए और हिंसा व खौफ का चक्र खत्म होना चाहिए जिसने लंबे समय से इस क्षेत्र को जकड़ रखा है। इस तस्वीर में लेबर पार्टी की शैडो विदेश मंत्री एमिली थॉर्नबैरी भी नजर आ रही हैं।

दिल्ली में भाजपा ने इस 'शर्मनाक धोखाधड़ी' के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए मुलाकात पर सफाई की मांग की।

चीनी समेत 500 से अधिक विदेशी कर्मचारी गिरफ्तार

मनीला, 10 अक्तूबर (एपी)।

फिलीपीन पुलिस और आव्रजन अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अवैध रूप से काम करने वाले 500 से अधिक विदेशियों को गिरफ्तार किया है। इनमें अधिकांश चीनी हैं, जो दूरसंचार और निवेश घोटालों में शामिल हैं। यह इस साल सामूहिक गिरफ्तारी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है।

आव्रजन आयुक्त जेम मोरेंटे और अन्य अधिकारियों का कहना है कि 542 विदेशी, जिन्हें बुधवार रात को महानगर मनीला में उनकी कंपनी के परिसर में एक छापे में गिरफ्तार किया गया, उनके पास कार्य परमिट नहीं थे। जो ज्यादातर चीनी लोगों को पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे या धोखा दे रहे थे।

मुशर्रफ के खिलाफ आतंकवाद के आरोप रद्द करने संबंधी याचिका खारिज

इस्लामाबाद, 10 अक्तूबर (भाषा)।

पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आतंकवाद के आरोपों को रद्द करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें उनके मामले को आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) से सत्र अदालत स्थानांतरित करने का भी अनुरोध किया गया था।

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने मुशर्रफ के वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई शुरू की। पूर्व सैन्य शासक अपने खिलाफ लगे आतंकवाद के आरोपों को हटवाना और मामले को सत्र अदालत स्थानांतरित करवाना चाहते थे। मुशर्रफ (75) ने याचिका में दलील दी थी कि 3 नवंबर 2007 को आपातकाल लगाए जाने के बाद हाई कोर्ट के 60 न्यायाधीशों को हिरासत में रखे जाने के सिलसिले में उनके खिलाफ शुरुआती एफआइआर पाकिस्तानी दंड संहिता के तहत दर्ज की गई थी।

हाई कोर्ट की एक सदस्यीय पीठ ने हालांकि 2013 में पुलिस को आदेश दिया था कि मुशर्रफ के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून की धाराएं लगाई जाएं क्योंकि न्यायाधीशों को हिरासत में लेना आतंकवाद का कृत्य है। खबर के मुताबिक एटीसी पहले ही मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित कर चुकी है। मुशर्रफ मार्च 2016 से ही देश से बाहर हैं।

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0) मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा संख्या:- 171/2019-20/RDD(RWA)/GUMLA दिनांक :- 10.10.2019
मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), झारखंड, रॉंची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की तिथि
1.	RDD(RWA)/ GUMLA/09/ 2019-20	बधिमा कस्तुरबा विद्यालय से छतरटांगर भाया अंबाटोली तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (लं- 4.000 कि0मी0)	1,36,70,500.00	एक करोड़ छत्तीस लाख सत्तर हजार पाँच सौ रू0 मात्र	09 माह

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:- 21.10.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- 31.10.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि:- 01.11.2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 04.11.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0 का0 मामले), झारखंड, रांची, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, रांची।
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0- 0651-2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0 का0 मामले), कार्य प्रमंडल, गुमला के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।
नोडल पदाधिकारी
ई-प्रोक्युर्मन्ट सेल
PR 219270 (Rural Work Department)19-20#D
बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0) मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई-अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा संख्या:- 70/RI/2019-20/RDD(RWA)/CKP दिनांक : 10.10.2019
मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), झारखंड, रॉंची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की तिथि	टेण्डर कॉल नं0
1.	RDD(RWA)/ CKP/06/2019-20	एन0एच0-75 से नवादा भाया हुरूंगदा तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (लं- 10.100 कि0मी0)	3,10,10,154.00	तीन करोड़ दस लाख दस हजार एक सौ चौवन रू0 मात्र	15 माह	द्वितीय

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:- 16.10.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- 25.10.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि:- 30.10.2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 31.10.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), झारखंड, रांची, 102 द्वितीय तल्ला अभियंत्रण भवन, रांची
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0:- 0651-2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), कार्य प्रमंडल, चक्रधरपुर के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।
नोडल पदाधिकारी
ई-प्रोक्युर्मन्ट सेल
PR 219286 (Rural Work Department)19-20#D
बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले)
मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा संख्या:- 172/2019-20/RDD(RWA)/DEOGHAR दिनांक- 10.10.2019
मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखंड, रॉंची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की तिथि
1.	RDD(RWA)/ DEOGHAR/12/ 2019-20	महलीबाद मंझरिला लोकपुर तक पथ निर्माण कार्य (लं- 2.600 कि0मी0)	1,78,96,900.00	एक करोड अठत्तर लाख छियानवे हजार नौ सौ रू0 मात्र	12 माह

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:- 21.10.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- 31.10.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि:- 01.11.2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 04.11.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले), झारखंड, रांची, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, रांची।
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0- 0651-2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले), कार्य प्रमंडल, देवघर के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।
नोडल पदाधिकारी
ई-प्रोक्युर्मन्ट सेल
PR 219274 Rural Work Department (19-20)_D

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0)
मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई-अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना
ई-निविदा संख्या:- 117/RI/2019-20/RDD(RWA)/PAKUR दिनांक :- 10.10.2019
मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), झारखंड, रॉंची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की तिथि	टेण्डर कॉल नं0
1.	RDD(RWA)/ PAKUR/08/ 2019-20	जगदीशपुर पी0डब्लू0डी0 रोड से सियालपहाडी भाया सिगना, बाबुदाहा तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई- 4.900 कि0मी0)	1,23,19,930.00	एक करोड़ तेईस लाख उन्नीस हजार एक सौ तीस रू0 मात्र	09 माह	द्वितीय

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:- 16.10.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- 25.10.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि:- 30.10.2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 31.10.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), झारखंड, रांची, 102 द्वितीय तल्ला अभियंत्रण भवन, रांची।
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0- 0651-2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), कार्य प्रमंडल, पाकुड़ के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।
बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे
नोडल पदाधिकारी
ई-प्रोक्युर्मन्ट सेल
PR 219288 (Rural Work Department)19-20*D

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
कम्पनी के पंजीकृत पते को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने के लिए समाचार-पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के सम्मुख
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के उपपद (अ) के मामले में
तथा
कॉम फर्स्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन : U74899DL1991PTC042962) जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता ए-29, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049 है, याचिकाकर्ता के मामले में
एतद्वारा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय को ''दिल्ली राज्य'' से ''हरियाणा राज्य'' में परिवर्तित करने में सक्षम होने के लिए 30 सितम्बर, 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के सन्दर्भ में कम्पनी की संस्था के बहिर्नियम के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्र सरकार (शक्तियाँ क्षेत्रीय निदेशक को प्रतिनिधानित) से आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने वाला कोई भी सम्भावित व्यक्ति अपने हित तथा विरोध की पृष्ठभूमि की प्रकृति बताते हुए एक शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियाँ या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर अथवा भेजे जाने के कारण द्वारा या पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरीय क्षेत्र बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 के पास तथा एक प्रति याचिकाकर्ता कम्पनी के पास इसके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है :
कॉम फर्स्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
ए-29, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049
कृते कॉम फर्स्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
ह./-
महेश कुमार उप्पल
निदेशक
डीआईएन : 01139637
तिथि : 07.10.2019
स्थान : दिल्ली

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
मै. टेक्प्रो इन्फ्रा-प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	मै. टेक्प्रो इन्फ्रा-प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	10.04.1981
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार,दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U74210DL1981PLC234183
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः 106, विश्वदीप टावर, प्लॉट नं. 4, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 कॉर्पो. कार्यालयः CRAN91, पोनेक्करा रोड, एडापल्ली कोचि-682024
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	27.09.2019 (आदेश की प्रकाशित प्रति 9.10.2019 को प्राप्त हुई)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	25.03.2020
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल के रूप में कार्यरत है	वी. सेन्थिल कुमार, M.Com, F.C.A., F.C.S., IBBI/IPA-01/IP-P01070/2017-18/11761
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल का पता एवं ईमेलः	एफ 2, रोहिणी ऐक्स, 171, 5वीं स्ट्रीट, मुरुगु नगर, वेलाचेरी, चेन्नई-600042 vsenthilkumar1993@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	वी. सेन्थिल कुमार, M.Com, F.C.A., F.C.S., एफ 2, रोहिणी ऐक्स, 171, 5वीं स्ट्रीट, मुरुगु नगर, वेलाचेरी, चेन्नई-600042 irp.tecproinfo@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	23.10.2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	वर्ग (गों) का नाम-------- निल
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफिशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	1. 2.निल 3.
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	वेबलिंकः https:www.ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पताः एनए

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, कोर्ट-V, नई दिल्ली ने 27.09.2019 को मै. टेक्प्रो इन्फ्रा-प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा मै. टेक्प्रो इन्फ्रा-प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं.10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफिशनल के पास 23.10.2019 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।
दावे का प्रमाण भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन 2016 के शीर्षक IV (विनियमन 7, 8 एवं 9) के अनुसार जमा किया जायेगा।
शपथ-पत्र के साथ दावे अधोलिखित विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में जमा किये जा सकते हैं: प्रपत्र बी- ऑपरेशनल क्रेडीटरों द्वारा दावे, प्रपत्र सी- वित्तीय क्रेडीटरों द्वारा दावे, प्रपत्र डी-कर्मियों अथवा कर्मचारियों द्वारा दावे, प्रपत्र ईः कर्मियों तथा कर्मचारियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दावे, प्रपत्र एफः वित्तीय तथा ऑपरेशनल क्रेडीटरों को छोड़कर अन्य क्रेडीटरों द्वारा दावे।
आप आईबीबीआई की वेबसाईट (https://www.ibbi.gov.in/home/downloads) से इन प्रपत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।
हस्ता/-
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम तथा हस्ताक्षरः
वी.सेन्थिल कुमार, M.Com, F.C.A, F.C.S.,
IBBI/IPA-001/IP-P01070/2017-18/11761
vsenthilkumar1993@gmail.com 9444043673
तिथिः 10.10.2019
स्थानः चेन्नई

ठाणे स्टेशन पर एक रुपए वाले क्लीनिक में हुआ महिला का प्रसव

ठाणे, 10 अक्तूबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को 29 वर्षीय एक महिला ने एक रुपए वाले क्लीनिक में बच्चे को जन्म दिया। अधिकारियों ने बताया कि सुभांती पात्रा रायगढ़ जिले के कर्जत से उपनगरीय रेलगाड़ी से मुंबई के परेल जा रही थी। तभी उन्हें प्रसव पीड़ा उठी। रेलवे अधिकारियों ने तत्काल ठाणे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर बने 'एक रुपए वाला क्लिनिक' में चिकित्सक को इसकी सूचना दी।

महिला को क्लीनिक में ले जाया गया जहां सुबह करीब साढ़े छह बजे उसने बालक को जन्म दिया। क्लीनिक का संचालन एक निजी संस्था करती है। इसके सीईओ डॉ. राहुल घुले ने बताया कि मां और बच्चा दोनों ठीक हैं और उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि क्लीनिक में अब तक 10 प्रसव करवाए जा चुके हैं।

सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत, 15 घायल

जयपुर, 10 अक्तूबर (भाषा)।

राजस्थान के सिरोही जिले में गुरुवार को एक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो बच्चे हैं। पुलिस के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ, जब अनादरा कस्बे में बस अड्डे पर ट्रक अनियंत्रित होकर वहां खड़े लोगों पर चढ़ गया।पुलिस के मुताबिक ट्रक ने अनियंत्रित होकर पहले दो वाहनों को टक्कर मारी और फिर वहां खड़े लोगों पर चढ़ गया। मृतकों की पहचान हेमा राम, दिनेश, धर्मशीला देवी, दलपत और संकली के रूप में हुई।

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATIONS 13(4) AND 15(2) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

HI-KLASS TRADING AND INVESTMENT LIMITED

(Registered Office: Office No. 15, 2nd Floor, Plot No. 24, Rehman Building, Veer Nariman Road, Hutatma Chowk, Fort, Mumbai - 400001, Maharashtra, India | Tel: +91 22 22874084/22874085 | Fax : NA Email: info@hiklass.co.in | Website: www.hiklass.co.in | CIN: U51900MH1992PLC066262)

OPEN OFFER ("OFFER") FOR ACQUISITION OF UP TO 8,07,612 (EIGHT LACS SEVEN THOUSAND SIX HUNDRED AND TWELVE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING UPTO 26% OF THE TOTAL VOTING SHARE CAPITAL OF HI-KLASS TRADING AND INVESTMENT LIMITED ("TARGET COMPANY" / "HKTIL") ON A FULLY DILUTED BASIS, AS OF THE TENTH WORKING DAY FROM THE CLOSURE OF THE TENDERING PERIOD OF THE OFFER ("TOTAL VOTING SHARE CAPITAL") (DEFINED BELOW), FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS (DEFINED BELOW) OF THE TARGET COMPANY FOR CASH AT OFFER PRICE (DEFINED BELOW) BY MR. SANJAY KUMAR JAIN ("ACQUIRER 1") AND MRS. SUMAN JAIN ("ACQUIRER 2") (ACQUIRER 1 AND ACQUIRER 2 HEREINAFTER COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "ACQUIRERS").

THIS DETAILED PUBLIC STATEMENT ("DPS") IS BEING ISSUED BY SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED, THE MANAGER TO THE OFFER ("MANAGER"), FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS IN COMPLIANCE WITH REGULATION 13(4) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO, ("TAKEOVER REGULATIONS"), PURSUANT TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT ("PA") FILED WITH BSE LIMITED ("BSE") ("STOCK EXCHANGE") ON OCTOBER 03, 2019, IN TERMS OF REGULATIONS 3(1) AND 4 OF THE TAKEOVER REGULATIONS. THE PA WAS FILED WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI") AND SENT TO THE TARGET COMPANY ON OCTOBER 04, 2019 BY WAY OF LETTERS DATED OCTOBER 03, 2019, IN TERMS OF REGULATION 14(2) OF THE TAKEOVER REGULATIONS.

For the purposes of this DPS, the following terms have the meanings assigned to them below :

a) "Equity Shares" shall mean the fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10 each of the Target Company.
b) "Total Voting Share Capital" means the total voting equity share capital of the Target Company on a fully diluted basis expected as of the 10th (Tenth) Working Day from the closure of the Tendering Period for this Offer.
c) "Identified Date" means the date falling on the 10th (Tenth) Working Day prior to the commencement of the Tendering Period, for the purpose of determining the Public Shareholders to whom the letter of offer in relation to this Offer ("Letter of Offer") shall be sent.
d) "Public Shareholders" mean all the equity shareholders of the Target Company excluding (i) the Acquirers; (ii) parties to the SPAs (defined hereinafter); and (iii) the persons deemed to be acting in concert with the persons set out in (i) and (ii).
e) "Sellers" shall mean, all the members of the promoter and promoter group of the Target Company, namely, Mr. Pravin Kesharchand Chopda, M/s. Suresh Tarachand Jain HUF, Mr. Vimal Shantilal Patangia and Mr. Suresh Tarachand Jain.
f) "Tendering Period" has the meaning ascribed to it under the Takeover Regulations.
g) "Working Day" means any working day of the Securities and Exchange Board of India.

I. ACQUIRERS, SELLERS, TARGET COMPANY AND OFFER

1. INFORMATION ABOUT THE ACQUIRERS

A. Mr. Sanjay Kumar Jain ("Acquirer 1")

(a) Sanjay Kumar Jain, aged 53 years, S/o Late Ratan Lal Jain, is residing at 2/1A, Justice Dwarka Nath Road, L R Sarani, Kolkata -700020, West Bengal, India; Tel: +91 9831021394; Email: skjain010@yahoo.com.
(b) Acquirer 1 has completed his Master of Business Administration (MBA) from Karpagam Academy of Higher Education (KARPAGAM) in the year 2012. He is an 'Authorized Person' as defined under SEBI Circular MIRSD/Dr-1/Cir-16/09 dated November 06, 2009 and operates through his proprietorship M/s Suman Securities which is currently affiliated with ISS Enterprise Limited. The Authorized Person registration number is AP0109180196982.
(c) Acquirer 1 doesn't belong to any group.
(d) Acquirer 1 is holding a Permanent Account Number- AEFPJ2439F.
(e) The details of the ventures promoted/controlled/managed by the Acquirer 1 is given hereunder:

Sr. No.	Name of the Entities	Nature of Interest	Percentage stake / holding
1	Hindusthan Club Limited	Director	Nil
2	ASZ Infratech LLP	Designated Partner	5%

(Source: www.mca.gov.in)

(f) Except as mentioned under point e above, Acquirer 1 confirms that he does not hold directorships in any company, including a listed company.
(g) Acquirer 1 hereby undertakes and confirms that the entities mentioned under point # e above are not participating or interested or acting in concert in this Open Offer.
(h) Acquirer 1 hereby undertakes and confirms that the entities mentioned in point# e above are not appearing in the willful defaulters list of Reserve Bank of India and are not debarred by SEBI from accessing capital markets as on date.
(i) The Networth of Acquirer 1 as on September 16, 2019 is ₹ **156.14** Lacs (Rupees One Crore Fifty Six Lacs and Fourteen Thousand only) and the same is certified by Mr. Arun Kumar Jain, Proprietor of Arun Jain & Associates, Chartered Accountant (Membership No. 053693; FRN No. 325867E having office at 2B, Grant Lane, 2nd Floor, Kolkata – 700 012; Email id: caarunkolkata@gmail.com, vide certificate dated September 20, 2019.
(j) Acquirer 1 confirms that he has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of the provisions of Section 11B of the SEBI Act, 1992, as amended (the "SEBI Act") or under any other Regulation made under the SEBI Act.
(k) Acquirer 1 undertakes not to sell the equity shares of the Target Company held by him during the "Offer Period" in terms of Regulation 25(4) of the Takeover Regulations.
(l) There are no Person Acting in Concert ("PAC") along with Acquirer 1 in relation to the Offer within the meaning of Regulation 2(1)(q)(1) of the Takeover Regulations.
(m) Acquirer 1 confirms that currently there are no pending litigations pertaining to securities market where he is made party to.
(n) Acquirer 1 confirms that he is not related to the Promoters, Directors or key employees of the Target Company in any manner.
(o) Acquirer 1 has confirmed that he is not categorized as a "willful defaulter" in terms of regulation 2(1) (ze) of the Takeover Regulations.
(p) Acquirer 1 holds 35,000 equity shares, representing 1.13% of the Total Voting Share Capital of the Target Company as on the date of this DPS.
(q) He along with Acquirer 2 has signed a Share Purchase Agreement dated October 03, 2019 with the Sellers to acquire 8,17,500 equity shares constituting 26.32% of the Total Voting Share Capital of the Target Company.
(r) Acquirer 1 has not entered into any non-compete arrangement and/or agreement with the Sellers.
(s) Acquirer 1 confirms that he has not been declared a fugitive economic offender under Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018.

B. Mrs. Suman Jain ("Acquirer 2")

(a) Suman Jain, aged 52 years, W/o Mr. Sanjay Kumar Jain, is residing at 2/1A, Justice Dwarka Nath Road, L R Sarani, Kolkata -700020, West Bengal, India; Tel: +91 9831210831; Email: sumanjain010@yahoo.com.
(b) Acquirer 2 has completed her Higher Secondary from West Bengal Council of Higher Secondary Education in the year 1987. She is an 'Authorized Person' as defined under SEBI Circular MIRSD/Dr-1/Cir-16/09 dated November 06, 2009 and works with Ashika Stock Broking Limited. The Authorized Person registration number is AP0109120169858.
(c) Acquirer 2 doesn't belong to any group.
(d) Acquirer 2 is holding a Permanent Account Number- ACQPJ1880K.
(e) The details of the ventures promoted/controlled/managed by the Acquirer 2 is given hereunder:

Sr. No.	Name of the Entities	Nature of Interest	Percentage stake / holding
1	Jain Vincom Private Limited	Director	Nil

(Source: www.mca.gov.in)

(f) Except as mentioned under point #e above, Acquirer 2 confirms that she does not hold directorships in any company, including a listed company.
(g) Acquirer 2 hereby undertakes and confirms that the companies mentioned under point #e above are not participating or interested or acting in concert in this Open Offer.
(h) Acquirer 2 hereby undertakes and confirms that the companies mentioned in point #e above are not appearing in the willful defaulters list of Reserve Bank of India and are not debarred by SEBI from accessing capital markets as on date.
(i) The Networth of Acquirer 2 as on September 13, 2019 is ₹ **146.13** Lacs (Rupees One Crore Forty Six Lacs and Thirteen Thousand only) and the same is certified by Mr. Arun Kumar Jain, Proprietor of Arun Jain & Associates, Chartered Accountant (Membership No. 053693; FRN No. 325867E having office at 2B, Grant Lane, 2nd Floor, Kolkata – 700 012; Email id: caarunkolkata@gmail.com, vide certificate dated September 20, 2019.
(j) Acquirer 2 confirms that she has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of the provisions of Section 11B of the SEBI Act, 1992, as amended (the "SEBI Act") or under any other Regulation made under the SEBI Act.
(k) Acquirer 2 undertakes not to sell the equity shares of the Target Company held by her during the "Offer Period" in terms of Regulation 25(4) of the Takeover Regulations.
(l) There are no Person Acting in Concert ("PAC") along with Acquirer 2 in relation to the Offer within the meaning of Regulation 2(1)(q)(1) of the Takeover Regulations.
(m) Acquirer 2 confirms that currently there are no pending litigations pertaining to securities market where she is made party to.
(n) Acquirer 2 confirms that she is not related to the Promoters, Directors or key employees of the Target Company in any manner.
(o) Acquirer 2 has confirmed that she is not categorised as a "willful defaulter" in terms of regulation 2(1) (ze) of the Takeover Regu-lations.
(p) Acquirer 2 holds 35,000 equity shares, representing 1.13% of the Voting Share Capital of the Target Company as on the date of this DPS.
(q) She along with Acquirer 1 has signed a Share Purchase Agreement dated October 03, 2019 with the Sellers to acquire 8,17,500 Equity Shares constituting 26.32% of the Total Voting Share Capital of the Target Company.
(r) Acquirer 2 has not entered into any non-compete arrangement and/or agreement with the Sellers.
(s) Acquirer 2 confirms that she has not been declared a fugitive economic offender under Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018.

C. Other Information:

i. Ms. Shiksha Jain and Ms. Sejal Jain daughters of the Acquirers hold 30,000 Equity Shares, representing 0.97% of the Total Voting Share Capital and 20,000 Equity Shares, representing 0.64% of the Total Voting Share Capital of the Target Company respectively. By virtue of the definition of PAC as per Regulation 2(1)(q) of the Takeover Regulations, both Ms. Shiksha Jain and Ms. Sejal Jain are deemed PACs of the Acquirers. Ms. Shiksha Jain and Ms. Sejal Jain vide letter dated October 03, 2019 have confirmed that they don't intend to participate in this Offer, directly or indirectly.
ii. Ms. Renu Jain, Sister of the Acquirer 1 also holds 20,000 Equity Shares, representing 0.64% of the Total Voting Share Capital of the Target Company. By virtue of the definition of PAC as per Regulation 2(1)(q) of the Takeover Regulations, Ms. Renu Jain is a deemed PAC of Acquirer 1. Ms. Renu Jain vide letter dated October 03, 2019 has confirmed that she doesn't intend to participate in this Offer, directly or indirectly.
iii. Mr. Dinesh Gangwal, Brother of Acquirer 2 also holds 25,000 Equity Shares, representing 0.80% of the Total Voting Share Capital of the Target Company. By virtue of the definition of PAC as per Regulation 2(1)(q) of the Takeover Regulations, Mr. Dinesh Gangwal is a deemed PAC of Acquirer 2. Mr. Dinesh Gangwal vide letter dated October 03, 2019 has confirmed that he doesn't intend to participate in this Offer, directly or indirectly.
iv. The Acquirers collectively with the PACs hold 1,65,000 Equity Shares constituting 5.31% of the Total Voting Share capital of the Target Company.

2. INFORMATION ABOUT THE SELLERS

Sr. No.	Name, PAN and Address of the Sellers	Whether part of Promoter and Promoter Group	Details of shares/voting rights held by the Sellers: Pre Transaction Number	Pre Transaction %	Post Transaction Number	Post Transaction %
Seller 1	Mr. Pravin Kesharchand Chopda **PAN:** AABPC1906G **Address:** Flat No. 303, B wing, Tarangan Apartment, Near Mahavir College, Kolhapur – 416001, Maharashtra, India	Yes	5,51,100	17.74	NIL	NIL
Seller 2	M/s Suresh Tarachand Jain HUF **PAN:** AAHHS2367H **Address:** 402 Bhima Sir Pochkhanwala Road, Worli, Mumbai – 400030, Maharashtra, India		2,21,300	7.12		
Seller 3	Mr. Vimal Shantilal Patangia **PAN:** AADPP4489R **Address:** A 403, Goregaon Link Palace Chs Ltd, Sai Baba Complex, Goregaon East, Mumbai - 400063, Maharashtra, India		20,000	0.64		
Seller 4	Mr. Suresh Tarachand Jain **PAN:** AACPJ9857E **Address:** 402 Bhima Sir Pochkhanwala Road, Worli, Mumbai – 400030, Maharashtra, India		25,100	0.81		
Total			**8,17,500**	**26.32**		

a) Accordingly, upon the completion of the sale and purchase of the Sale Shares (as defined below) under the SPA (as defined below), Sellers will not hold any Equity Shares in the Target Company and shall cease to be the Promoters of Target Company and relinquish the management control of the Target Company in favour of the Acquirers. The Acquirers will acquire control of the Target Company, and be classified as new promoters in accordance with the provisions of Regulation 31A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("SEBI LODR Regulations").

b) Sellers confirm that they have not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under Section 11B of the SEBI Act, 1992, as amended or under any other regulation made under the SEBI Act, 1992

3. INFORMATION ABOUT THE TARGET COMPANY
Hi-Klass Trading and Investment Limited ("Target Company")

3.1 The Company was originally incorporated on April 08, 1992, as "Hi-Klass Trading and Investment Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai. Subsequently, the name of the Company was changed to "Hi-Klass Trading and Investment Limited" vide a name change certificate dated February 22, 1996 issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai.
3.2 The registered office of the Target Company is situated at Office No. 15, 2nd Floor, Plot No. 24, Rehman Building, Veer Nariman Road, Hutatma Chowk, Fort, Mumbai - 400001, Maharashtra, India; Tel: +91 22 22874084/85; Email: info@hiklass.co.in; Website: www.hiklass.co.in.
3.3 Corporate Identification Number of the Target Company is U51900MH1992PLC066262*. *(Source: www.mca.gov.in).*
**Target Company has submitted letter dated February 14, 2019 to Ministry of Corporate Affairs for change in listing status of the Company, and is currently pending.*
3.4 Target Company made its maiden public issue pursuant to which its Equity Shares were listed on Ahmadabad Stock Exchange Limited ("ASE") wef May 14, 1997 and Pune Stock Exchange Limited ("PSE") wef May 14, 1997. Upon exit of ASE and PSE as stock exchanges, Equity Shares of the Target Company were shifted to the dissemination board of National Stock Exchange of India Limited wef November 02, 2016 and April 20, 2015 respectively. Subsequently, the Target Company made an application to BSE for listing of its Equity Shares and BSE issued its In - Principle Approval for the same on December 07, 2018. Equity Shares of the Target Company have been listed on BSE and were admitted for trading wef January 31, 2019.
3.5 The Equity Shares of Target Company are currently listed only on BSE since January 31, 2019, and having Scrip Code 542332. The ISIN of Equity Shares of Target Company is INE302R01016. *(Source: www.bseindia.com)*
3.6 The main objects of the Target Company as per its Memorandum of Association include:-
a) To carry on the business of exporting, importing, storing, supplying, purchasing, selling, bartering, exchanging, distributing and otherwise dealing in all kinds of goods, commodities, merchandise produce, things and shares on ready or forward basis on its own account or otherwise.
b) To carry on business of investment company and to invest in and to hold, purchase, sell and deal with the stocks, shares, bonds, debenture-stock, mortgage and obligations.
3.7 The Target Company is a Non-Banking Financial Company (Non Deposit Accepting or Holding) registered with Reserve Bank of India bearing registration no. 13.00134. It is engaged in trading and investments in shares, stocks, securities and properties and extends short term loans to corporate and firms/high networth individuals. *(Source website of the Target Company, www.hiklass.co.in)*
3.8 The total authorized share capital of the Target Company is ₹ 6,50,00,000 comprising of 65,00,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 each. The issued and subscribed capital of the Target Company is ₹ 6,13,21,000 comprising of 61,32,100 Equity Shares of face value of ₹ 10 each. The paid-up share capital of the Target Company is ₹ 3,10,62,000 comprising of 31,06,200 Equity Shares of face value of ₹ 10 each.
3.9 As on the date of this DPS, there are no outstanding partly paid up shares of the Target Company.
3.10 The Equity Shares of the Target Company are infrequently traded on BSE. *(Source: www.bseindia.com).*
3.11 The Target Company has paid listing fees to BSE for the financial year 2019-20.
3.12 Target Company confirms that the trading in the Equity Shares of the Target Company was never suspended on BSE.
3.13 There has been no change in the name of the Target Company during the last three years.
3.14 As on the date of the DPS, the board of directors of the Target Company consists of Mr. Suresh Tarachand Jain, (DIN: 01142300), Mr. Vimal Shantilal Patangia, (DIN: 00166331), Mrs. Anupama Nathalal Shah, (DIN: 07225051), Mr. Prakash Shree Gupta, (DIN: 07225056), and Mr. Pravin Prakash Rane, (DIN: 07225060).
3.15 The brief audited financial information of the Target Company for the financial years ended March 2017, 2018, 2019 and unaudited financials for the three months period ended June 30, 2019 are as under:

(₹ in Lacs, except Earnings Per Share)

Particulars	For the period ended June 30, 2019	For the year ended March 31, 2019	2018	2017
Total Revenue (Revenue from Operations + Other Income)	0.35	92.30	17.03	77.50
Profit / (Loss) After Tax	(4.23)	(22.81)	3.12	15.70
Earnings Per Share (₹)	(0.14)	(0.73)	0.10	0.78
Shareholders Fund / Networth	494.71	498.94	521.74	386.63

3.16 None of the directors of the Target Company represent the Acquirers as on the date of this DPS.

4. DETAILS OF THE OFFER

4.1 Acquirers are making this Offer to all the Public Shareholders of the Target Company to acquire up to 8,07,612 Equity Shares of face value ₹ 10/- (Rupees Ten only) each, representing 26% of the Total Voting Share Capital of the Target Company.
4.2 This Offer is being made at a price of ₹ **16.10/-** (Rupees Sixteen and Ten Paise only) (the **"Offer Price"**) per fully paid up equity share of face value ₹ 10/- (Rupees ten only) each of the Target Company, payable in cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the Takeover Regulations.
4.3 This Offer is not conditional on any minimum level of acceptance and is not a competing offer in terms of Regulations 19 and 20 respectively of the Takeover Regulations.
4.4 The Equity Shares of the Target Company will be acquired by the Acquirers as fully paid up, free from all liens, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof.
4.5 The consummation of the sale and purchase of the Sale Shares (as defined below) by the Acquirers, as envisaged under the share purchase agreement (as defined below), is subject to the terms and conditions mentioned therein.
4.6 The Manager to the Offer does not hold any Equity Shares in the Target Company as on the date of DPS. The Manger to the Offer further declares and undertakes that it shall not deal in the Equity Shares of the Target Company during the period commencing from the date of its appointment as Manager to the Offer till the expiry of 15 days from the date of closure of this Open Offer.
4.7 The Acquirers do not have any plans to alienate any significant assets of the Target Company whether by way of sale, lease, encumbrance or otherwise for a period of two years except in the ordinary course of business. The Target Company's future policy for disposal of its assets, if any, within two years from the completion of Offer will be decided by its Board of Directors, subject to the applicable provisions of the law and subject to the approval of the shareholders through Special Resolution passed by way of postal ballot in terms of Regulation 25 (2) of Takeover Regulations.
4.8 The acquisition of 26% of the Total Voting Share Capital under this Offer will not result in the public shareholding in the Target Company falling below the level required for continuous listing. To the extent the post-Offer holding of the Acquirers in the Target Company exceeds the maximum permissible non-public shareholding under Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, and subsequent amendments thereto (the "SCRR"), the Acquirers undertake to reduce their shareholding to the level stipulated in the SCRR within the time and in the manner specified in the SCRR and the SEBI LODR Regulations.

II. BACKGROUND TO THE OFFER

1. On October 03, 2019, the Acquirers entered into Share Purchase Agreement (**"SPA"**) with the Sellers for purchase of up to 8,17,500 Equity Shares (**"Sale Shares"**) representing **26.32%** of the Total Voting Share Capital at a price of ₹ **6**/- (Rupees Six Only) per Sale Share payable in cash aggregating upto ₹ **49,05,000** (Rupees Forty Nine Lacs Five Thousand only). The purchase of the Sale Shares under the SPA is referred to as the **"Transaction"**.
2. Upon completion of Transaction under the SPA and relinquishment of control by the Promoter and Promoter Group of the Target Company, the Acquirers will acquire management control of the Target Company.
3. The *important clauses including some of the conditions precedent to consummating the underlying Transaction, as mentioned* in the SPA are as follows:
*a) The Acquirers intends to buy from the Sellers and the Sellers intends to sell to the Acquirers 8,17,500 (Eight Lacs Seventeen Thousand Five Hundred Only) fully paid-up Equity Shares constituting 26.32% of the total Voting Share Capital of the Target Company for an aggregate sale consideration of ₹ 49,05,000 (Rupees Forty Nine Lacs Five Thousand only) ("**SPA Consideration**") through an off market transaction;*
b) The Acquirers shall pay the SPA Consideration to the Sellers by Demand draft or in such other manner as may be specified by the Sellers;
c) The Sellers confirm that the Sale Shares are fully paid up and the said shares are free from all liens, charges, encumbrances and the Sellers shall hand over the said confirmation letter to the Acquirers along with the letter received from the Target Company;
d) The Acquirers are fully aware that the Sale Shares are under lock-in and lock-in on these shares shall continue till the completion of the lock in period.
e) From the date of entering into the SPA till the date of the Closure, the Sellers shall not, except with the prior consent of the Acquirers, sell, transfer, gift, exchange or dispose of or any way deal in the equity shares of the Target Company or create any right, interest or encumbrance over the Sale Shares;
f) On Closing (as defined in SPA), the Parties shall take all steps necessary for fulfilling their respective obligations under the SPA and for Closing of the transaction envisaged in the SPA.
4. There are no partly paid up equity shares in the Target Company.
5. The Acquirers believe that the acquisition of the Target Company presents significant potential to them.
6. The object of the acquisition is substantial acquisition of Equity Shares/voting Rights accompanied by control over the Management of the Target Company.
7. At present, the Acquirers do not have any plans to make major changes to the existing line of business of the Target Company except in the ordinary course of business. The Acquirers may continue to support the existing business of the Target Company. However, in case the Acquirers intend to build new business it shall be subject to the prior approval of the Shareholders. Upon completion of the Offer, the Acquirers may reorganize the present Capital structure of the Company and also further strengthen the Board.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

The current and proposed equity shareholding of the Acquirers in the Target Company and the details of the acquisition are as follows:

Details	Acquirers: Number of Equity Shares	Acquirers: % to the Total Voting Share Capital
Shareholding as on the PA date: Acquirer 1 Acquirer 2	 35,000 35,000	 1.13 1.13
Equity Shares acquired through Share Purchase Agreement requiring an open offer to be made in accordance with **SEBI (SAST)** Regulations	8,17,500	26.32
Equity Shares acquired between the Public Announcement date and the DPS date	NIL	
Equity Shares proposed to be acquired in the Offer (assuming full acceptance)	8,07,612	26.00
Post Offer Shareholding on diluted basis on 10th working day after closing of Tendering Period	**16,95,112**	**54.57**

IV. OFFER PRICE

1. The Equity Shares of the Target Company are listed on BSE only.
2. The annualized trading turnover in the Equity Shares of the Target Company on BSE based on trading volume during the twelve calendar months prior to the month of PA (October 01, 2018 to September 30, 2019) is as given below:

Stock Exchange	Total no. of equity shares traded during the twelve calendar months prior to the month of PA	Total no. of listed equity shares	Annualized trading
BSE	50	31,06,200	Negligible

(Source: www.bseindia.com)

3. Based on the information provided in point above, the equity shares of the Target Company are **infrequently traded** on the BSE in terms of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
4. The Offer Price of ₹ **16.10/-** (Rupees Sixteen and Ten Paise only) is justified in terms of regulation 8 of the Takeover Regulations, **being the highest of the following :**

a)	Highest negotiated price per share for acquisition under the agreement attracting the obligations to make a public announcement for the offer;	₹ 6/-
b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition(s), whether by the Acquirers or by any person(s) acting in concert, during the fifty two weeks immediately preceding the date of public announcement;	Not Applicable
c)	The highest price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirers or by any person(s) acting in concert, during the twenty six weeks immediately preceding the date of the Public Announcement	Not Applicable
d)	The volume-weighted average market price of shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the public announcement as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the target company are recorded during such period	Not Applicable
e)	Where the shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirers and the Manager to the Open Offer taking into account valuation parameters per Share including, book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares	***₹ 16.06**
	Other Financial Parameters as at March 31, 2019	
	Return on Networth (%)	(4.57)
	Book Value per share (₹)	16.06
	Earnings per share- Diluted (₹)	(0.73)

**Mr. Sanjay Jhajharia, Registered Valuer (Registration No. IBBI/RV/06/2019/11595) having office at 405, Bentinck Chambers, 4th Floor, 37A, Bentinck Street, Kolkata – 700 069, India; Email id: s.jhajharia@hotmail.com, vide certificate dated August 31, 2019, has certified that he has in terms of Supreme Court decision in the case of Hindustan Lever Employee Union V/s. Hindustan Lever Limited (1995) (83 Companies Cases 30), considered the Net Assets Value ("NAV") for the purpose of arriving at the fair value for the Equity Shares of the Target Company. As per the certification given, the Fair Value has been arrived at ₹ 16.06/- per Equity Share.*

5. In view of the above parameters considered and in the opinion of the Acquirers and Manager to the Offer, the Offer Price of ₹ **16.10/-** per equity share is justified in terms of regulation 8 of the SEBI (SAST) Regulations.
6. There have been no corporate actions undertaken by the Target Company warranting adjustment of any of the relevant price parameters.
7. There has been no revision in the Offer Price or to the size of this Offer as on the date of this DPS.
8. An upward revision in the Offer Price or to the size of this Offer, if any, on account of competing offers or otherwise, will be done at any time prior to the commencement of the last one working day before the commencement of the tendering period of this Offer in accordance with Regulation 18(4) of the Takeover Regulations. In the event of such revision, the Acquirers shall (i) make corresponding increases to the escrow amounts, as more particularly set out in paragraph V of the DPS; (ii) make a public announcement in the same newspapers in which the DPS has been published; and (iii) simultaneously with the issue of such announcement, inform SEBI, BSE and the Target Company at its registered office of such revision

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. Assuming full acceptances in the Offer, the total funds required to meet this Offer is ₹ **1,30,02,553.20** (Rupees One Crore Thirty Lac Two Thousand Five Hundred Fifty Three and Twenty Paise only).
2. The Networth of Acquirer 1 as on September 16, 2019 is ₹ 156.14 Lacs (Rupees One Crore Fifty Six Lac and Fourteen Thousand only) and the same is certified by Mr. Arun Kumar Jain, Proprietor of Arun Jain & Associates, Chartered Accountant (Membership No.053693; FRN No. 325867E having office at 2B, Grant Lane, 2nd Floor, Kolkata – 700 012; Email id: caarunkolkata@gmail.com, vide certificate dated September 20, 2019, bearing Unique Document Identification Number (UDIN) 19053693AAAABY5245.
3. The Networth of Acquirer 2 as on September 13, 2019 is ₹ 146.13 Lacs (Rupees One Crore Forty Six Lac and Thirteen Thou-sand only) and the same is certified by Mr. Arun Kumar Jain, Proprietor of Arun Jain & Associates, Chartered Accountant (Member-ship No. 053693; FRN No. 325867E having office at 2B, Grant Lane, 2nd Floor, Kolkata – 700 012; Email id: caarunkolkata@gmail.com, vide certificate dated September 20, 2019, bearing Unique Document Identification Number (UDIN) 19053693AAAABX3474.
4. Acquirers have adequate resources to meet their financial obligations for the Offer. No funds are borrowed from banks or financial institution for the purpose of this Offer by the Acquirers. Mr. Arun Kumar Jain, Proprietor of Arun Jain & Associates, Chartered Accountant (Membership No. 053693; FRN No. 325867E having office at 2B, Grant Lane, 2nd Floor, Kolkata – 700 012; Email id: caarunkolkata@gmail.com, vide certificate dated September 20, 2019, has confirmed that sufficient resources are available with the Acquirers for fulfilling the obligations under this 'Offer' in full.
5. In accordance with Regulation 17(1) of the Takeover Regulations, the Acquirers have opened an escrow account (**"Escrow Cash Account"**) in the name and style of **"HI - KLASS OPEN OFFER - ESCROW ACCOUNT"** with ICICI Bank Limited (**"Escrow Bank"**), a banking company duly incorporated under the Companies Act, 1956 and registered as a banking company within the meaning of the Banking Regulation Act, 1949 acting through its branch situated at Capital Markets Division, 1st Floor, 122, Mistry Bhavan, Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai – 400020 and have made a cash deposit of ₹ 1,50,00,00 (Rupees One Lac and Fifty Thousand only) (**"Escrow Deposit Amount"**) being **more than 1%** of the Maximum Consideration payable under the Offer. Escrow Bank vide email dated September 23, 2019 has confirmed the credit of Escrow Deposit Amount. Further, the Acquirers have also furnished a Bank Guarantee dated September 21, 2019 (**"Bank Guarantee"**) of an amount of ₹ 1,28,72,528 (Rupees One Crore Twenty Eight Lacs Seventy Two Thousand and Five Hundred Twenty Eight Only) (**"Bank Guarantee Amount"**) issued by the Escrow Bank in favor of the Manger to the Offer. Bank Guarantee is valid upto March 14, 2020. Escrow Deposit Amount and Bank Guarantee Amount, collectively constitute **more than 100%** of the Maximum Consideration payable by the Acquirers under the Offer. The Acquirers have empowered the Manager to the Offer to operate and to realize the value of the Escrow Cash Account and Bank Guarantee in terms of the Takeover Regulations.
6. In case of any upward revision in the Offer Price or the size of this Offer, the value in cash of the Escrow Amount shall be computed on the revised consideration calculated at such revised offer price or offer size and any additional amounts required will be funded by the Acquirers, prior to effecting such revision, in terms of Regulation 17(2) of the Takeover Regulations.
7. The funds required in relation to the Offer have been met from funds from the own funds of the Acquirers.
8. Based on the above, Saffron Capital Advisors Private Limited, Manager to the Offer is satisfied that firm arrangements have been put in place by the Acquirers to implement the offer in full accordance with the Takeover Regulations.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1. As on the date of this DPS, to the best of the knowledge of the Acquirers, there are no regulatory or statutory approvals required other than the prior approval from the Reserve Bank of India (**"RBI"**) in accordance with Notification No. DBNR(PD)CC.No.065.03.10.001/2015-16 issued by RBI dated July 09, 2015 (**"RBI Circular"**) as amended from time to time, for change in management and transfer of management control of Non- Banking Finance Company. Target Company being a NBFC registered with RBI, the aforesaid RBI Circular is applicable and binding. The Target Company / Acquirers are in process of making application with Reserve Bank of India, Mumbai branch for the change in management and transfer of management control of the Target Company. The approval is currently awaited.
Except aforesaid, to the best of the knowledge of the Acquirers, there are no other statutory approvals required by the Acquirers to complete this Offer. However, in case of any such statutory approvals are required by the Acquirers at a later date before the expiry of the Tendering Period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirers shall make the necessary applications for such statutory approvals.
2. If any of the Public Shareholders of the Target Company that are not resident in India (such NRIs, OCBs and FIIs) require any approvals interalia from RBI, the Foreign Investment Promotion Board or any regulatory body for the transfer any Equity Shares to the Acquirers, they shall be required to submit such approval along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. If such approval is not submitted, the Acquirers reserves the right to reject the Equity Shares tendered by such Public Shareholders that are not resident in India. Subject to the receipt of statutory and other approvals, if any, the Acquirers shall complete all procedures relating to payment of consideration under this Offer within 10 working days from the date of expiry of the Tendering Period to those equity shareholders who have validly tendered Equity Shares in the Offer and are accepted for acquisition by the Acquirers.
3. In terms of Regulation 18(11) of the Takeover Regulations, the Acquirers shall be responsible to pursue all statutory approvals required by the Acquirers in order to complete the Open Offer without any default, neglect or delay. In case of delay in receipt of any statutory approval, the SEBI may, if satisfied that delayed receipt of the requisite approvals was not due to any willful default or neglect of the Acquirers or the failure of the Acquirers to diligently pursue the application for the approval, grant extension of time for the purpose, subject to the Acquirers agreeing to pay interest to the shareholders as directed by the SEBI, in terms of regulation 18(11) of the Takeover Regulations. Further, if delay occurs on account of willful default by the Acquirers in obtaining the requisite approvals, regulation 17(9) of the Takeover Regulations will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable for forfeiture.
4. In terms of Regulation 23(1) of the Takeover Regulations, if the approvals mentioned in paragraph VI are not satisfactorily com-plied with or any of the statutory approvals are refused, the Acquirers have a right to withdraw the Offer. In the event of withdrawal, a public announcement will be made within two (2) working days of such withdrawal, in the same newspapers in which the DPS has been published and such public announcement will also be filed with SEBI, BSE and the registered office of the Target Company.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

Activity	Day and Date
Public Announcement (PA)	Thursday, October 03, 2019
Publication of DPS in the newspapers	Friday, October 11, 2019
Filing of the draft letter of offer with SEBI	Friday, October 18, 2019
Last date for a competitive bid	Monday, November 04, 2019
Last date for SEBI observations on draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer)	Monday, November 11, 2019
Identified Date*	Thursday, November 14, 2019
Letter of Offer to be dispatched to shareholders	Thursday, November 21, 2019
Last date for revising the Offer price/ number of shares	Wednesday, November 27, 2019
Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation	Tuesday, November 26, 2019
Date of publication of Offer Opening Public Announcement	Wednesday, November 27, 2019
Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Thursday, November 28, 2019
Date of Expiry of Tendering Period (Offer Closing Date)	Wednesday, December 11, 2019
Last Date for completion of all requirements including payment of consideration	Thursday, December 26, 2019

**The Identified Date is only for the purpose of determining the Equity Shareholders as on such date to whom the letter of offer ("Letter of Offer") would be mailed. It is clarified that all the equity shareholders of the Target Company (registered or unregistered) of the equity shares of the Target Company (except the Acquirers, Seller and promoter group shareholders of the Target Company) are eligible to participate in this Offer at any time prior to the closure of this Offer.*

VIII. ELIGIBILITY TO PARTICIPATE IN THE OFFER AND PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON RECEIPT OF LETTER OF OFFER

1. All Public Shareholders holding the shares in dematerialized form are eligible to participate in this Open Offer at any time during the period from Offer Opening Date till the Offer Closing Date (**"Tendering Period"**) for this Open Offer. Please refer to section titled "Procedure to be followed by shareholders who are holding equity shares in physical form" below of this part, for details in relation to tendering of Offer Shares held in physical form.
2. Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.
3. The Open Offer shall be implemented by the Target Company through Stock Exchange Mechanism made available by BSE in the form of separate window (**"Acquisition Window"**) as provided under the Takeover Regulations and SEBI Circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 issued by SEBI.
4. For implementation of the Open Offer, the Acquirers have appointed Choice Equity Broking Private Limited as the Buying Broker (the **"Buying Broker"**) through whom the purchases and settlements on account of the Open Offer would be made by the Acquirers. The contact details of the Buying Broker are as follows:
Name: Choice Equity Broking Private Limited
Address: Shree Shakambhari Corporate Park, Plot No. 156-158, J B Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400099
Contact Person: Mr. Sheetal Murarka | **Tel.:** 022 - 67079857
E-mail ID: sheetal.murarka@choiceindia.com; compliance@choiceindia.com
5. All the Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Open Offer would have to intimate their respective stock broker (**"Selling Broker"**) during the normal trading hours of the secondary market during tendering period.
6. The Acquisition Window provided by BSE shall facilitate placing of sell orders. The Selling Brokers can enter orders only for demat equity shares.
7. The cumulative quantity tendered shall be displayed on the BSE website throughout the trading session at specific intervals by BSE during Tendering Period.
8. Public Shareholders can tender their Equity Shares only through a broker with whom they are registered as client (KYC Compliant).
9. In the event Seller Broker of any Public Shareholder is not registered with BSE then that Public Shareholder can approach the Buying Broker as defined in the Point # 4 above and tender the Equity Shares through the Buying Broker after submitting the details as may be required by the Buying Broker to be in compliance with the SEBI regulations.
10. **Procedure to be followed by the Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form:**
a) As per the proviso to Regulation 40(1) of the SEBI (LODR) Regulations (as amended by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018), effective from April 01, 2019, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository.
b) In this Open Offer, considering the timelines of activities prescribed under the Takeover Regulations, the acceptance of tendered shares will be undertaken after April 01, 2019. Accordingly, the Public Shareholders who are holding Equity Shares in physical form and are desirous of tendering their Equity Shares in the Open Offer can do so only after the Equity Shares are dematerialized. Such Public Shareholders are advised to approach any depository participant to have their Equity Shares dematerialized.

IX. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THIS OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER.

X. OTHER INFORMATION

1. Acquirers accept the full and final responsibility for the information contained in the DPS and for the obligations of the Acquirers laid down in the Takeover Regulations.
2. The Public Announcement, the DPS and the Letter of Offer shall also be available on the SEBI website: www.sebi.gov.in

MANAGER TO THE OFFER	REGISTRAR TO THE OFFER
SAFFRON • • • • • energising ideas **SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED** 605, Sixth Floor, Centre Point, J.B. Nagar, Andheri (E), Mumbai - 400 059, India **Tel No:** +91 22 4082 0914 / 915 **Fax No:** +91 22 4082 0999 **Email:** openoffers@saffronadvisor.com **Website:** : www.saffronadvisor.com **Investor Grievance:** investorgrievance@saffronadvisor.com **SEBI Registration Number:** INM000011211 **Validity:** Permanent **Contact Person:** Amit Wagle/ Gaurav Khandelwal	**PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED** Unit No. 9, Shiv Shakti Ind. Estate, J.R. Boricha Marg, Opp. Kasturba Hospital Lane, Lower Parel (E), Mumbai - 400 011, India **Tel. No.:** +91 22-2301 2518 / 2301 6761 **E-mail:** support@purvashare.com **Website:** www.purvashare.com **SEBI Registration Number:** INR000001112 **Validity:** Permanent **Contact Person:** Deepali Dhuri

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRERS

ACQUIRER

SANJAY KUMAR JAIN (ACQUIRER 1)	SUMAN JAIN (ACQUIRER 2)
Sd/-	Sd/-

Both acquirers residing at 2/1A, Justice Dwarka Nath Road, L R Sarani, Kolkata -700020, West Bengal, India;
Email: skjain010@yahoo.com / sumanjain010@yahoo.com;

Place: Kolkata **Date:** October 10, 2019

Raka

शेयर बाजार में गिरावट जारी

मुंबई,10 अक्तूबर (भाषा)।

कंपनियों के तिमाही परिणाम के नरम परिदृश्य के बीच बैंकिंग, वाहन और धातु कंपनियों की शेयर कीमतों में तेज गिरावट से गुरुवार को देश का प्रमुख शेयर सूचकांक सूचकांक करीब 300 अंक लुढ़क गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सूचकांक कारोबार के दौरान एक समय 375 अंक तक नीचे चला गया था। अंत में यह 297.55 अंक यानी 0.78 फीसद की गिरावट के साथ 37,880.40 अंक पर बंद हुआ।

एनएसई का निफ्टी भी 78.75 अंक यानी 0.70 फीसद गिरकर 11,234.55 अंक पर बंद हुआ। कारोबारियों ने कहा कि कंपनियों के तिमाही परिणाम के कमजोर परिदृश्य के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।

मूडीज द्वारा जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान घटाने से भी निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा। सूचकांक की कंपनियों में इंडसइंड बैंक, येस बैंक, टाटा मोटर्स, वेदांता, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और टाटा स्टील के शेयर 6.15 फीसद तक गिर गए इसके विपरीत भारती एअरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, एचसीएल टेक, पावरग्रिड, सन फार्मा, एशियन पेंट्स और बजाज ऑटो जैसे कुछ शेयरों में 5.05 फीसद तक सुधार हुआ।

जियोजीत फाइनेंशियल सिंवसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा- दूसरी तिमाही के परिणामों की घोषणा की शुरुआत के साथ बाजार पिछले दिन की तेजी को आगे बढ़ाने में असफल रहा। निकट भविष्य में निफ्टी के 11,300 अंक से 11,100 अंक के दायरे में रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा- परिणाम खराब रहने के अनुमान तथा क्षेत्र में जारी संकट के कारण बैंकों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस महीने के दौरान बाजार के प्रदर्शन पर कंपनियों के तिमाही परिणाम का असर रहेगा। बीएसई के समूहों में बैंकिंग, रियल्टी, वित्त, धातु और वाहन के सूचकांक 2.61 फीसद तक गिर गए।

विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिए विशेष उपाय कर रही है सरकार: सीतारमण

मुंबई,10 अक्तूबर (भाषा)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि आर्थिक नरमी को दूर करने के लिए सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग विशेष उपाय कर रही है। हालांकि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या सरकार भी देश में आर्थिक नरमी की बात स्वीकार करती है।

देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर जून तिमाही में कम होकर छह साल के निचले स्तर पांच फीसद पर आ गई है। इसके बाद रिजर्व बैंक ने हालिया मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में 2019-20 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.90 फीसद से घटाकर 6.10 फीसद कर दिया। सरकार ने आर्थिक वृद्धि दर को गति देने के लिये कॉरपोरेट कर में भारी-भरकम कटौती करने समेत कई उपाय किए हैं।

सीतारमण ने निर्यात बेहतर करने, ऋण उपलब्धता आसान बनाने, वेंडरों को जल्दी पुनर्भुगतान कर अधिक धन उपलब्ध कराने और बैंकों में पूंजी डालने समेत अन्य उपायों का संकेत देते हुए कहा कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिये विशिष्ट उपायों पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा- हम हर उस क्षेत्र को मदद दे रहे हैं, जिन्हें इसकी जरूरत है।

सरकार ने जीएसटी राजस्व बेहतर बनाने के सुझावों के लिए गठित की समिति

नई दिल्ली,10 अक्तूबर (भाषा)।

सरकार ने माल व सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह और इसके प्रशासन को दुरुस्त करने के उपायों का सुझाव देने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया- समिति विस्तृत सुधारों पर विचार करेगी ताकि सुझावों की व्यापक सूची उभर कर आ सके। समिति के गठन की शर्तों में दुरुपयोग रोकने के उपायों और स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के कदमों समेत जीएसटी में संरचनात्मक बदलावों के बारे में सुझाव देना है। समिति को कर आधार बढ़ाने के उपायों के बारे में भी सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई है। आदेश में कहा गया कि कानून में नीतिगत उपायों तथा संबंधित बदलावों की जरूरत है। आंकड़ों के बेहतर विश्लेषण तथा बेहतर प्रशासनिक समन्वय के जरिए अनुपालन की बेहतर निगरानी और अपवंचना रोधी उपायों का सुझाव देना भी गठन की शर्तों में शामिल है।

अप्रैल-अगस्त में रत्न व आभूषण निर्यात सात फीसद घटा

नई दिल्ली,10 अक्तूबर (भाषा)।

देश का रत्न और आभूषणों का निर्यात चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से अगस्त की पांच माह की अवधि में सात फीसद घटकर 12.4 अरब डॉलर रह गया है। प्रमुख विकसित बाजारों में मांग घटने से रत्न और आभूषणों का निर्यात नीचे आया है। रत्न व आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

ईईएसएल, एनआइआइएफ देशभर में लगाएंगी बिजली के स्मार्ट मीटर

नई दिल्ली,10 अक्तूबर (भाषा)।

देशभर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआइआइएफ) ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ गठजोड़ किया है। बिजली वितरण कंपनियों के स्मार्ट मीटर लगाने के कार्यक्रम के लिए कोष और ईईएसएल वित्तपोषण के साथ-साथ इन्हें लगाने और परिचालन का भी काम करेंगे।

एनआइआइएफ और ईईएसएल ने गुरुवार को स्मार्ट मीटर कार्यक्रम के लिए नया संयुक्त उपक्रम इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (इंटेलीस्मार्ट) बनाने की घोषणा की। यह सरकार की आने वाले कुछ सालों में 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को पूरा करने का काम करेगी। एनआइआइएफ और ईईएसएल ने एक संयुक्त बयान में कहा- स्मार्ट मीटर, स्मार्ट ग्रिड बनाने की नींव रखेंगे। यह सरकार के हर भारतीय को चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पाने और ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को मिलाने में आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे। बयान के अनुसार पारंपरिक 25 करोड़ बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदले जाने से बिजली का बिल बनाने की क्षमता 80 से 100 फीसद तक बेहतर होगी। इससे बिजली वितरण कंपनियों का राजस्व 1,104 अरब रुपए बढ़ने की संभावना है।

ईईएसएल के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम सरकार की मौजूदा उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) और राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन के लक्ष्यों को पाने में मदद करेगा।

झारखण्ड सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चास

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

ई-अल्पकालीन निविदा सं०-RWSS/CHAS-16/2019-20 दिनांक 04/10/2019 Drinking Water and Sanitation Division Chas 2019-20

1	कार्य का नाम-Renovation of Chandankyari Rural Water Supply Scheme, Intake Well ,Raw water aeration tank, Flocculator tank, Filter Bed, Cleaning of Clear Water sump and ESR, Repair of Sluice Valve, Electrical work, Repair of Rising, Delivery Pipeline and Painting Work under Drinking Water and Sanitation Division Chas for the year 2019-20on turnkey basis."	
2	प्राक्कलित राशि	2734981.00रूपय
3	अग्रधन की राशि	55000.00रूपय
4	कार्य पूर्ण करने की अवधि	45 दिन
5	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि एवं समय	10.10.2019को 5.00 बजे अपराह्न
6	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 25.10.19 को अपराह्न 3.00 बजे तक।
7	पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चास के बैंक गारन्टी एवं परिमाण विपत्र की मूल्य जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 26.10.19को अपराह्न 12.00 बजे।
8	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 26.10.19को अपराह्न 4.30 बजे।
9	निविदा आमंत्रित करनेवाले पदाधिकारी एव कार्यालय का पता	कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चास।
10	प्रोक्योरमेंट कार्यालय का संपर्क नं0	8114550869
11	ई-प्राक्यूरमेन्ट सेल का हेल्पलाईन नं0	0651-2480345

(1) संवेदक अग्रधन की राशि, छैब्ए ज्त् ैं ठवदा बैंक गारन्टी द्वारा जो कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चास के पदनाम से प्रतिज्ञित होगा तथा रेड बीड के साथ रहेगा।
(2) परिमाण विपत्र का मूल्य बैंक ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से निर्गत होगा जो चास कोर्ट एरिया पर भुगतेय होगा।
(3) निविदा के नियम शर्तें कार्यालय के सूचना पट पर देखा जा सकता है।
(4) प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है इसकी सूचना कार्यालय से ली जा सकती है।
(5) निविदा, राशि की स्वीकृति के पश्चात् हीं खुलेगी।

बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

P.R.219078 Drinking Water and Sanitation(19-20)-D

कार्यपालक अभियंता
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चास

PUBLIC NOTICE

Mr. SATWANT SINGH GROVER a member of the Sheetal Co-op Group housing Society and holding Flat No. A-21 in the building of the Society, has reported to the Society that the Original Share Certificate for 5 (Five) Shares has been lost/misplaced and an application has been made for the duplicate Share Certificate.

The Society hereby invites claims and objections from claimants/objector or objectors for issuance of duplicate Share Certificate within the period of 14(fourteen) days from the publication of this notice, with copies of such documents and other proofs in support of his/her/their claims/objections for issuance of duplicate Share Certificate to the Secretary of Sheetal Co-op Group housing Society, and if no claims/objections are received within the period prescribed above, the Society shall be free to the issue duplicate Share Certificate in such manner as is provided under the bye-laws of the Society. The claims/objections, if any, received by the Society shall be dealt with in the manner provided under the bye-laws of the Society. A copy of the registered bye-laws of the Society is available for inspection by the claimants/objectors, with the Secretary of the Society between 10.00 AM to 4.00 PM on working days from the date of the publication of the notice till the date of expiry of its period.

For and on behalf of Sheetal Co-op Group housing society.,
Date: 11/10/2019
Place: Delhi

Sd/
(Secretary)

Arcil

एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लि. (आर्सिल)
मैसर्स ऑरोप्रोब लैबोरेटरीज से सम्बद्ध वित्तीय आस्तियों के परिप्रेक्ष्य में न्यास(सों) के न्यासी के रूप में अपनी क्षमता से कार्यरत
आर्सिल कार्यालय : द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुम्बई-400 028
वेबसाइट : www.arcil.co.in

विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना की तिथि का विस्तार

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना जिसे 24 सितम्बर, 2019 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस एवं जनसत्ता, दिल्ली संस्करण में प्रकाशित किया गया था, एतद्वारा उसे 10 अक्टूबर, 2019 से विस्तारित करके 18 अक्टूबर, 2019 कर दिया गया है। संविदाएँ/प्रलेखनों के जमा करने की अन्तिम तिथि 18 अक्टूबर, 2019 को 12 बजे अपराह्न तक बढ़ा दी गयी है। नीलामी 18 अक्टूबर, 2019 को 3.00 बजे अपराह्न आयोजित की जायेगी। उपर्युक्त सूचना के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

स्थान : मुम्बई
तिथि : 10 अक्टूबर, 2019

अधिकृत प्राधिकारी
एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लि.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public that Sale Deed dated 20/03/1972 executed by Mrs. Sham Devi in favour of Mrs. Amrit Kaur Chawla in respect of Southern Half portion of Plot No. 37, area measuring 100 Sq. Yds. Carved out of Khasra No. 183, 185, 207/184, 208/184 has been lost/misplaced somewhere. Clix Housing Finance Private Limited is going to create mortgage over the said property. Mr. Ishwar Chand has lodged Lost Report No. LR No. 1700793/2019 to Delhi Police in this regard on 09/10/2019. In case if any person / Financial Institute / Bank / Authority / Board or any other entity having objection/contingent or vested interest over the same may contact our advocate Mr. Avnish Shukla within 7 days of this publication either through his Mobile No.9871603366 or visit his office at Lawyers Chamber No. E-419, Karkarduma Court, Delhi-110032.It may be further noted that after lapse of aforesaid period no claim in any manner shall be entertained and same will be considered as waived or abandoned.

AVNISH SHUKLA (Advocate)
Ch. No. E-419, Karkardooma Court, Delhi-110032. 9871603366, 9717476101.

ई-प्रोक्योरमेंट सेल
भवन निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची

अति अल्पकालीन ई-प्रोक्योरमेंट नोटिस

ई-टेन्डर रेफरेन्स नं0-BCD/Saraikela/320/2019-20 दिनांक-10-10-2019

1	कार्य का नाम	Construction of SDO Office Building and Campus, Saraikela.
2	प्राक्कलित राशि (रू0)	रू० 9,04,68,160/- (नौ करोड चार लाख अड़सठ हजार एक सौ साठ रूपये) मात्र।
3	कार्य पूर्ण करने की अवधि	18 (अठारह) महीने
4	वेबसाइट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	17-10-2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न से
5	बिड प्राप्ति के लिए अन्तिम तिथि/समय	28-10-2019 के 5.00 बजे अपराह्न तक
6	बिड सिक्यूरिटी मनी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	31-10-2019 को पूर्वाह्न 11.30 बजे तक
7	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	31-10-2019 को मध्याह्न 12.00 बजे
8	निविदा प्रकाशित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता	ई-प्रोक्योरमेंट सेल, भवन निर्माण विभाग, प्रोजेक्ट भवन, तृतीय तल, कमरा संख्या-326, झारखण्ड, राँची।
9	प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी का सम्पर्क संख्या	0651-2446166
10	ई-प्रोक्योरमेंट सेल का हेल्पलाईन संख्या	0651-2446166

- किसी भी प्रकार का बदलाव http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।
  Any Change can be seen on http://jharkhandtenders.gov.in
- अन्य किसी भी प्रकार की सूचना http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।
  Any other information can be seen on http://jharkhandtenders.gov.in

बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

PR 219189 (Building)19-20#D

नोडल पदाधिकारी
ई-प्रोक्योरमेंट सेल
भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, राँची

अतिअल्पकालीन ई-प्रोक्योरमेंट सूचना
(द्वितीय निविदा)
(प्रथम निविदा का PR No.-214611Road(19-20)D

टेन्डर रेफरेन्स नं0-प0नि0वि0/राँची-35/2019-20 दिनांक :-09.10.2019

1.	कार्य का नाम	फन कैसल (NH-75 पर) से भगवान चौक (काठीटांड-ठाकुरगांव पथ पर) भाया रातू एतवारी बाजार (कुल लम्बाई-1.55 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2019-20.
2.	प्रावकलि राशि (रू0 लाख में)	रू0 280.755 लाख(रूपये दो करोड़ आरसी लाख पचहतर हजार पांच सौ) मात्र।
3.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	04 (चार) माह
4.	वेबसाईड पर निविदा प्रकाशन की तिथि	10.10.2019 11.30 बजे पूर्वाह्न
5.	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/ समय	17.10.2019 12.00 बजे दोपहर तक
6.	निविदा खोलने तिथि/समय	18.10.2019 12.30 बजे
7.	निविदा प्रकाशित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल राँची, मोहराबादी, राँची-834008
8.	प्रोक्योरमेंट पदाधिकारी का सम्पर्क संख्या	0651-2361018
9.	ई-प्रोक्योरमेंट सेल का हेल्पलाईन संख्या	0651-2401010

- पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार में निबंधित संवेदकों के लिए *UCAN* निबंधन आवश्यक है।
- नियम एवं शर्तें के लिए वेबसाईट *http://jharkhandtenders.gov.in* पर देखें।

बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

P.R.219137 Road(19-20):D

कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग,पथ प्रमंडल, राँची।

एम एस टी सी लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) MSTC LIMITED (A GOVT OF INDIA ENTERPRISE)
जीवन विकास भवन, 30/31A, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
दूरभाष : 23214201, 23213945, फैक्स : 23216713

पुराने अधिशेष मशीनों की ई-नीलामी

बी.एच.ई.एल हरिद्वार की पुराने व उपयोग की गई अधिशेष मशीनों की बिक्री के लिए एमएसटीसी 1 से 6 नवंबर 2019 तक ई-नीलामी आयोजित करेगा।
जानकारी हेतु www.mstcecommerce.com पर जाएं।

शुद्धिपत्र

फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जनसत्ता (हिंदी) समाचार पत्रों में दिनांक 27.09.2019 को प्रकाशित स्वैच्छिक परिसमापन के अंतर्गत एम. पी. डिजाइन्स प्राईवेट लिमिटेड के फॉर्म ए को देखें। क्रम. सं. 7 पर दिए गए पते को नीचे दिए अनुसार पढ़ा जाए: फ्लैट नं. 2, आकृति अपार्ट., 62 आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, पूर्वी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110092

राधे श्याम यादव,
IBBI/IPA-001/IP-P01496/2018-2019/12255
एम. पी. डिजाइन्स प्राईवेट लिमिटेड का परिसमापक

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालयः मुख्य जल विश्लेषक (डब्ल्यू एंड एस)-I
वाटर वर्क्स वजीराबाद, दिल्ली-110054
प्रैस एनआईटी सं.-08 (2019-20)/सीडब्ल्यूए (डब्ल्यू एंड एस)-I

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि (रु.)	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	अद्यतन संशोधन, यदि कोई हो, के साथ बीआईएस विनिर्देशन-646-1986 के अनुरूप तरल क्लोरीन (900 कि.ग्रा. सिलिण्डरों में) की आपूर्ति।	वस्तु दर	544000/-	निविदा आईडीः 2019_DJB_181863_1 प्रकाशन तिथि 9 अक्टू. 2019, 05.15 अप.	25 अक्टू., 2019 के 12.15 अप. तक

इस संदर्भ में सभी नियमों एवं शर्तों सहित एनआईटी के अधिक विवरण वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी
विज्ञापन सं. जे.एस.वी. 434/2019-20

हस्ता/-
मुख्य जल विश्लेषक
(डब्ल्यू एंड एस)-I

शुद्धिपत्र

फाइनेंशियल एक्सप्रेस और जनसत्ता (हिंदी) समाचार पत्रो मे दिनांक 27.09.2019 को प्रकाशित स्वैच्छिक परिसमापन के अंतर्गत ऋषभ हैंडीक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के फॉर्म ए को देखें। क्रम. सं. 7 पर दिए गए पते को नीचे दिए अनुसार पढ़ा जाए: 243, प्रथम तल, एजीसीआर एंक्लेव, नई दिल्ली-110092

राजीव लोचन,
(IP, FCS, LL.B, M.COM)
IBBI/IPA-002/IP-N00606/2018-2019/11885
ऋषभ हैंडीक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का परिसमापक

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 एवं 13 के तहत नोटिस

ओ.ए सं. 621/2019/डीआरटी-III के मामले में
भारतीय स्टेट बैंक — आवेदक
बनाम
श्री रवि कश्यप एवं अन्य — प्रतिवादी

सेवा में,
डी-1 श्री रवि कश्यप पुत्र श्री विजय कुमार कश्यप, पार्टनर : मैसर्स एसआरबी कार डील्स, दुकान नं. 1, ओल्ड दिल्ली रोड, गुड़गांव, हरियाणा-122001 के सामने
डी-2 श्रीमती आशिमा गुप्ता कश्यप पत्नी श्री रवि कश्यप, पार्टनर : - दुकान नं. 1, ओल्ड दिल्ली रोड, एयर फोर्स मेस के विपरीत, गुड़गांव, हरियाणा-122001
दोनों प्रतिवादी नं. 1 और 2 औरः 973/3, राजीव नगर, नरेश आटाचक्की, गुड़गांव, हरियाणा -122017 औरः निवासी : मकान नं. 905, पॉकेट-सी, सैक्टर-12ए, गुड़गांव, हरियाणा -122001

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरुद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस नोटिस के माध्यम से आपको दिनांक **19-11-2019** को पूर्वाह्न 10.30 बजे इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 30 सितम्बर, 2019 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेशानुसार
सहायक रजिस्ट्रार डीआरटी-III, नई दिल्ली

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
दिल्ली सरकार
कार्यालय अधिशासी अभियंता
सिविल-7
राणा प्रताप बाग दिल्ली-110007

निविदा आमंत्रण सूचना

अधिशासी अभियंता, सी-7 डीयूएसआईबी, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-110007 द्वारा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के लिए प्रतिशत दर बोली (ऑनलाइन) दो लिफाफा प्रणाली में निम्नलिखित कार्यों के लिए पुनः आमंत्रित की जाती है।

एनआईटी नं.: 67/ ईईसी-7/ डीयूएसआईबी/ 2019-20
कार्य का नामः निर्मित सुविधाएं प्रदान करना
उप शीर्षकः मुकेम पुरा, मलका गंज में सामुदायिक हॉल का उन्नयन। (पीआईडी नं. 12002)
अनुमानित लागतः रु. 30,48,588.00
धरोहर राशिः रु. 61,000.00
निविदा मूल्यः रु. 500.00
समयावधिः 90 दिन
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समयः 17.10.2019 को अप. 15.00 बजे तक
खोलने की तिथिः 17.10.2019 को 15.30 बजे के बाद
निविदा प्रपत्र एवं विवरण वेबसाइट **http://govtprocurement.delhi.gov.in** से प्राप्त किए जा सकते हैं।

हस्ता./-
राजेन्द्र बंसल
कार्यपालक अभियन्ता/सी-7
डीयूएसआईबी

DIP/Shabdarth/0819/19-20

केनरा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Canara Bank (A Govt. of India Undertaking)
प्लॉट नं. 40, वार्ड नं. 4, पटौदी रेलवे स्टेशन रोड, हेली मंडी-123504

मांग सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

जैसा कि यहां नीचे वर्णित ऋणधारक/ को तथा गारन्टरों को सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत केनरा बैंक, शाखा प्लॉट नं. 40, वार्ड नं. 4, पटौदी रेलवे स्टेशन रोड, हैली मंडी-123504 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी की। डाक द्वारा प्रेषित प्रति सूचना के प्रेषण तथा ऋणधारक/ तथा गारन्टरों के पते से अन्डेलिवर्ड उसके वापस लौट आने के उपरांत इस प्रकाशन के माध्यम से उन्हें निर्देशदिया जाता है कि उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाये राशि का भुगतान करें जिसमें विफल रहने पर प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बैंक चल एवं अचल सम्पत्तियों का कब्जा करेगा तथा प्रक्रिया के अनुसार उसकी बिक्री करेगा।

विशेष रूप से ऋणधारक/ कों तथा गारंटरों को तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि चल एवं अचल सम्पत्तियों का व्यवसाय न करें तथा नीचे वर्णित चल एवं अचल सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय बकाया राशि तथा उस पर ब्याज एवं चार्जेज के लिये केनरा बैंक, शाखाः प्लॉट नं. 40, वार्ड नं. 4, पटौदी रेलवे स्टेशन रोड, हैली मंडी-123504 के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/ गारन्टर का नाम एवं पता	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का संक्षिप्त विवरण	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि
ऋणधारकः मै. टीएमएस एण्टरप्राईजेज बीपीओ लोहरी, तहसील झज्जर, जिला झज्जर, हरियाणा गारन्टरोंः 1) श्रीमती पुष्पा, पत्नी वेदपाल सिंह बीपीओ लोहरी, तहसील झज्जर, जिला झज्जर, हरियाणा 2) श्री कपिल, पुत्र गंगा सिंह, तहसील झज्जर, जिला झज्जर, हरियाणा	चलः 1) मै. टीएमएस एण्टरप्राईजेज से संबंधित स्टॉक एवं बुक डेब्ट्स टाइटल धारक का नाम टीएमएस एण्टरप्राईजेज 2) मै. टीएमएस एण्टरप्राईजेज, वीपीओ लोहरी, तहसील झज्जर, जिला झज्जर, हरियाणा में पड़ी प्लान्ट एवं मशीनरी, टाइटल धारक का नामः टीएमएस एण्टरप्राईजेज अचलः 2. फर्द जमाबंदी वर्ष 2010-11 के माध्यम से ग्राम जटौली, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव की राजस्व सम्पदा में स्थित खेवत नं. 1957/2063, खतौनी नं. 2063, रेक्ट नं. 77, किल्ला नं. 12/2/5 (0-16), टोटल फिल्ड 01 माप 00 कनाल 16 मरला, उसका 7/32 शेयर अर्थात् 00 कनाल 3 तथा 1/2 मरला तथा खेवत नं. 1961/1834, खतोनी नं. 2067, रेक्ट नं. 77, किल्ला नं. 19/1 (1-16), कुल फिल्ड्स 01, माप 01 कनाल 16 मरला, उसका 1/6 शेयर अर्थात् कुल भूमि 0 कनाल 9 तथा 1/2 मरला, टाइटल, धारक का नाम : श्रीमती पुष्पा पत्नी वेदपाल सिंह।	11.09.2019 को रु. 2862877.00 (रुपये अटठाईस लाख बासठ हजार आठ सौ सतहत्तर मात्र)+ ब्याज तथा अन्य चार्जेज	11.09.2019

तिथिः 11.10.2019 स्थानः हैलीमंडी

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशासी अभियन्ता सिविल डिवीजन-3, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग, दिल्ली द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिये ऑनलाइन निविदा आमंत्रित है:-

1. एनआईटीः ई/सीडी03/एनआईटी 20/2019-20 हैडः 4711 छठ घाट का विकास। कार्य का नामः हिंडन कट नहर के दोनों बैंक के तरफ छठ घाट के विभिन्न स्थानों पर छठ पूजा उत्सव के लिए व्यवस्था करना (2019)। अनुमानित लागत 28,33,152.00 रु. धरोहर राशिः 56,663.00 रु. कार्य पूर्ण करने की अवधिः 15 दिन, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समयः 16.10.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक (निविदा आईडी 2019_IFC_181608_1) 2. एनआईटीः ई/सीडी03/एनआईटी 21/2019-20 हैडः 4711 छठ घाट का विकास। कार्य का नामः हाथी घाट आई.टी.ओ, सराई काले खा घाट और कुम्हार घाट (सराई काले खा) पर दाहिना बैंक यमुना नदी में छठ पूजा उत्सव के लिए व्यवस्था करना (2019)। अनुमानित लागत 10,98,208.00 रु. धरोहर राशिः 21,964.00 रु. कार्य पूर्ण करने की अवधिः 15 दिन, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समयः 16.10.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक (निविदा आईडी 2019_IFC_181609_1) 3. एनआईटीः ई/सीडी03/एनआईटी 22/2019-20 हैडः 4711 छठ घाट का विकास। कार्य का नामः यमुना नदी के बाए बैंक डाउन स्ट्रीम ओल्ड रेलवे ब्रिज, डाउन स्ट्रीम गीता कॉलोनी, अप स्ट्रीम गीता कॉलोनी स्पर नंबर 12 पर छठ पूजा उत्सव की व्यवस्था करना (2019)। अनुमानित लागत 17,12,834.00 रु. धरोहर राशिः 34,257.00 रु. कार्य पूर्ण करने की अवधिः 15 दिन, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समयः 16.10.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक (निविदा आईडी 2019_IFC_181610_1) 4. एनआईटीः ई/सीडी03/एनआईटी 23/2019-20 हैडः 4711 छठ घाट का विकास। कार्य का नामः मयूर विहार एक्सटेंशन के निकट डीएनडी रोड, भैरन मार्ग भैरो मार्ग घाट और पूर्वी घाट यमुना नदी के बाएं बैंक में छठ पूजा उत्सव के लिए व्यवस्था करना (2019)। अनुमानित लागत 16,08,885.00 रु. धरोहर राशिः 32,178.00 रु. कार्य पूर्ण करने की अवधिः 15 दिन, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समयः 16.10.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक (निविदा आईडी 2019_IFC_181611_1) निविदा प्रपत्र व अन्य विवरण वेबसाइट https://govtprocurement.delhi.gov.in से प्राप्त किये जा सकते हैं। **अधिशासी अभियन्ता सिविल डिवीजन-3**

DIP/Shabdarth/0814/19-20

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
India's International Bank
देना बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा
बी-09, सैक्टर-18, नोएडा

परिशिष्ट IV नियम-8 (1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन देना बैंक अब **बैंक ऑफ बड़ौदा**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **मैसर्स एच वी मेटल आर्क प्रा. लि. को मांग सूचना दिनांक 20.05.2017 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 11,54,79,574.60 (रू. ग्यारह करोड चौवन लाख उनासी हजार पाँच सौ चौहत्तर और पैसे साठ मात्र) + बीजी ब्याज** इत्यादि सहित, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमो के नियम 9 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **09.10.2019** को लिया है।

विशेष रूप से ऋण धारक तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन विजया बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) **हौज़ खास शाखा, नई दिल्ली के प्रभार वास्ते रू 11,54,79,574.60 (रू. ग्यारह करोड चौवन लाख उनासी हजार पाँच सौ चौहत्तर और पैसे साठ मात्र) + बीजी ब्याज और भविष्य का ब्याज एवं अन्य लीगल खर्चे** इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि वाईड नं. पी-1/पी-2, साईट-V, सूरजपुर, औद्योगिक क्षेत्रफल, कासना, ग्रेटर नोएडा, यू.पी में स्थित, क्षेत्रफल 1512.00 वर्ग मी. और सम्पत्ति नं. 037, क्षेत्रफल 112.50 वर्ग मी., ब्लॉक ए, सैक्टर-15, नोएडा में स्थित

दिनांक : 09.10.2019, स्थान : नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

दिल्ली कृषि विपणन परिषद्
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)
9 इंस्टीट्यूशनल एरिया, पंखा रोड जनकपुरी, नई दिल्ली-110058
फोनः- 28522085, 28525232 फैक्स- 011-28522085, ई-मेलः- ambdl@nic.in, वेबसाइटः- www.delagrimarket.nic.in

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

सचिव, ए पी ऍम सी केशोपुर की ओर से ई-निविदा के माध्यम से निम्नलिखित मद दर ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैः-

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	पूरा करने की अवधि	ई-प्रोक्योरमेंट समाधान के माध्यम से निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा आई.डी. संख्या/ एन.आई.टी
1.	फल व सब्जी मंडी केशोपुर में स्वर्गीय चौधरी चेत राम की प्रतिमा पर कैनोपी का निर्माण	रु. 8,45,357/-	रु. 17,000/-	3 महीने	18/10/2019 को 14.30 बजे तक	2019_डी.ए.एम.बी. 1817241 /डी.ए.एम.बी/ इंजी/2019

निविदाएं अधिशासी अभियंता, डी.ए.एम.बी के कार्यालय में ऑनलाइन खोली जायेंगीः- (i) तकनीकी बोली दिनांक 18.10.2019 को 15:00 बजे खोली जाएगी।
नियम व शर्तें एवं अन्य विवरण वेबसाइटः- **https:/govtprocurement.delhi.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

हस्ता./-
अधिशासी अभियंता-I
DAMB

DIP/Shabdarth/0806/19-20

IS 15700:2005
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
निर्माण खण्ड-35, आफिस काम्पलेक्स, चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, (मेंहदौरी), तेलियरगंज, प्रयागराज-211004
Email: upavpcd35@gmail.com

आवश्यक सूचना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-35, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, तेलियरगंज (मेंहदौरी), प्रयागराज के पत्रांक 1752/लेखा-2/31 दिनांक 05.10.2019 द्वारा अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसे परिषद की वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन की वेबसाइट **http://etender.up.nic.in** पर देखे जा सकते हैं।

अधिशासी अभियन्ता

कॉनकॉर CONCOR
भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
Container Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)
आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली-110020

निविदा सूचना (केवल ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा)

कॉनकॉर द्वारा "उत्तरी क्षेत्र में जोन-2 (अर्थात् आईसीडी/जयपुर, एमएमएलपी/कठूवास, आईसीडी/जोधपुर, आईसीडी/रेवाड़ी एवं डीसीटी/खेमली) में सिविल कार्यों की दैनिक मरम्मत एवं रख-रखाव" कार्य के लिए केवल ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से एकल निविदा प्रणाली में ऑनलाइन खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दस्तावेज रु. 1000.00 का भुगतान करने के बाद केवल वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) से ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं।

निविदा सं.	कॉन/उ.क्षे./अभि./Zone-2/2019
अनुमानित लागत	रु. 95.86 लाख (सभी मिलाकर)
पूर्णता अवधि	स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि के बाद 15वें दिन से 12 माह
धरोहर जमा राशि*	रु. 1,91,720/- ई-भुगतान के माध्यम से
दस्तावेज की कीमत*	रु. 1,000/- सभी कर एवं प्रभारों सहित ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रक्रिया शुल्क*	रु. 5,310/- सभी कर एवं प्रभारों (अ-प्रतिदेय) सहित ई-भुगतान के माध्यम से
बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	11.10.2019 (11:00 बजे) से 31.10.2019 (17.00 बजे तक)
जमा करने की तिथि एवं समय	01.11.2019 को 15:00 बजे तक
खुलने की तिथि एवं समय	05.11.2019 को 15:30 बजे

*ई-भुगतान के माध्यम से
कॉनकॉर बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार रखता है। पूर्ण विवरणों के लिए www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें।

कार्यकारी निदेशक/उत्तरी क्षेत्र

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष
कम्पनी याचिका (सीएए) नं. 28/सीएचओ/एचआरवाई ऑफ 2019
सम्बद्ध
कम्पनी स्कीम आवेदन सं. 23 ऑफ 2018
कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में
और
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के मामले में
और निम्नलिखित के बीच समामेलन की योजना के मामले में एचएंडएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड और हैंडरिक एंड स्ट्रग्लस (इंडिया) प्रा. लि. एवं उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के बीच समामेलन की योजना के मामले में;

एचएंडएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
(कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 10वां तल, बिल्डिंग नं. 9बी, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-3, गुड़गांव-122 002, हरियाणा में है.)
......**याचिकाकर्ता-1/हस्तांतरणकर्ता कम्पनी**

हैंडरिक एंड स्ट्रग्लस (इंडिया) प्रा. लि.
(कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 10वां तल, बिल्डिंग नं. 9बी, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-3, गुड़गांव-122 002, हरियाणा में है.)
......**याचिकाकर्ता-2/हस्तांतरिती कम्पनी**

याचिका की सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अंतर्गत एचएंडएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड और हैंडरिक एंड स्ट्रग्लस (इंडिया) प्रा. लि. द्वारा संयुक्त रूप से समामेलन की योजना के अनुमोदन हेतु 07 अगस्त, 2019 को एक याचिका प्रस्तुत की गई थी और राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष कथित याचिका पर सुनवाई की तिथि 3 दिसम्बर, 2019 निर्धारित की गई है।

यदि किसी व्यक्ति को कथित याचिका पर समर्थन या आपत्ति है तो वह अपने आशय की सूचना, अपने नाम एवं पते के साथ स्वयं या अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर करके याचिकाकर्ता कम्पनी के अधिवक्ता के पास सुनवाई की तिथि से दो कार्यदिवस पूर्व तक भेज सकता है। जहां पर उसे याचिका में आपत्ति है अपने आपत्ति का कारण बताते हुए पृष्ठभूमि या शपथपत्र की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ संलग्न की जानी चाहिए। याचिका की प्रति चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

हस्ता./-
अधिवक्ता, रवि शर्मा
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता
11/403, ऑरेंज कन्ट्री, अहिंसा खंड-1
इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201 014 (यू.पी.)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 अक्टूबर, 2019

बिजनौर के लोग सबसे अधिक दृष्टिहीनता के शिकार

सुशील राघव
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

देश के 31 जिलों में किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक 50 साल से अधिक आयु के सबसे ज्यादा दृष्टिहीन और दृष्टिक्षीण लोग उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हैं।

सर्वेक्षण में शामिल बिजनौर के 3.67 फीसद लोगों दृष्टिहीनता के शिकार पाए गए जबकि सभी 31 जिलों का औसत 1.99 फीसद रहा। पश्चिमी दिल्ली में यह आंकड़ा 1.87 फीसद रहा। केरल के त्रिचुर जिले में सबसे कम 1.08 फीसद दृष्टिहीन हैं। भारतीय राष्ट्रीय दृष्टिहीनता व दृष्टिक्षीणता सर्वेक्षण 2015-2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी किया। यह सर्वेक्षण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र की ओर से आयोजित किया गया था। देश में कुल जनसंख्या का 0.36 फीसद यानी करीब 47 लाख लोग दृष्टिहीन है। सर्वेक्षण के मुताबिक बिजनौर के 50 साल से अधिक आयु के 21.82 फीसद लोगों में दृष्टिक्षीणता की शिकायत पाई गई है जबकि 31 जिलों में दृष्टिक्षीणता का औसत 13.76 फीसद रहा। पश्चिमी दिल्ली जिले में 11.65 फीसद लोगों को दृष्टिक्षीणता की समस्या पाई गई। सबसे कम दृष्टिक्षीणता की समस्या मणिपुर के थौबल के 7.30 फीसद लोगों को थी। सर्वेक्षण में 93,108 लोगों का शामिल किया गया। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में दृष्टिहीनता अधिक पाई गई।

सर्वेक्षण में शामिल जहां 1.67 फीसद पुरुष इस समस्या से जूझ रहे थे, वहीं इससे प्रभावित महिलाओं की संख्या 2.31 फीसद थी। 80 साल से अधिक आयु के 11.6 फीसद लोग दृष्टिहीन थे जबकि 70–79 साल आयु के बीच 4.1 फीसद, 60 से 69 साल आयु के बीच 1.6 फीसद और 50 से 59 साल आयु के बीच 0.5 फीसद लोगों को दृष्टिहीनता की समस्या है।

देश में 47 लाख दृष्टिहीन

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी किया सर्वे
- देश के 31 जिलों में किया गया सर्वेक्षण, 93108 लोगों ने लिया भाग
- केरल के त्रिचुर जिले में सबसे कम 1.08 फीसद दृष्टिहीन
- पश्चिमी दिल्ली जिले में यह आंकड़ा 1.87 फीसद रहा

दृष्टिहीनता में आई 47 फीसद कमी

भारत में अंधेपन के प्रसार में 2007 से अब तक 47 फीसद की कमी आई है। देश में 2006-07 में दृष्टिहीन लोगों की संख्या 1.20 करोड़ थी जो 2017 में घटकर 48 लाख रह गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दृष्टिहीनता को 2020 तक कुल जनसंख्या का 0.3 फीसद तक कम करने का लक्ष्य रखा है। सर्वेक्षण में संकेत दिया गया है कि भारत लक्ष्य को हासिल करने के करीब है।

दृष्टिहीनता व दृष्टिक्षीणता का प्रमुख कारण मोतियाबिंद

सर्वेक्षण के मुताबिक दृष्टिहीनता और दृष्टिक्षीणता का प्रमुख कारण मोतियाबिंद रहा। मोतियाबिंद के कारण ही 66.20 फीसद लोगों की दृष्टि पूरी खत्म हुई। इसी तरह 80.70 फीसद लोगों को इसकी वजह से ही देखने में समस्या पैदा हुई। इसके अलावा अस्पष्टता (7.40 फीसद), मोतियाबिंद का गलत इलाज (7.20 फीसद) और ग्लुकोमा (5.50 फीसद) भी दृष्टिहीनता की वजह रहे।

50 साल आयु से कम के लोगों में समस्या कम

देश के छह जिलों में 50 साल से कम के 15000 से अधिक लोगों पर एक अलग सर्वेक्षण किया गया। इसके मुताबिक इस आयु वर्ग के लोगों में दृष्टिहीनता की दर 0.52 प्रति हजार रही। वहीं, दृष्टिक्षीणता 4.43 प्रति हजार रही। 80 साल से अधिक आयु के 11.6 फीसद लोग दृष्टिहीन थे जबकि 70-79 साल आयु के बीच 4.1 फीसद लोगों को दृष्टिहीनता की समस्या है।

युवक ने लड़की को जिंदा जलाया, दोनों की मौत

कोच्चि, 10 अक्तूबर (भाषा)।

गुरुवार तड़के एक व्यक्ति के 17 वर्षीय लड़की को उसके घर पर कथित तौर पर पेट्रोल से जिंदा जला कर मारने का मामला सामने आया है।

पुलिस ने बताया कि उत्तरी परवु निवासी मिथुन के बारहवीं की छात्रा देविका पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगने से लड़की और आरोपी दोनों की मौत हो गई। यह घटना इंफो पार्क पुलिस थाने के अंतर्गत कक्कानाड के अथानी में घटी। पुलिस को शक है कि युवक ने लड़की को आग लगाने के बाद खुद को मारने के लिए लड़की को गले लगा लिया।आरोपी से अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में लड़की के पिता आग में झुलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी मिथुन रात में सवा बारह बजे लड़की के घर पहुंचा। जब लड़की के पिता ने दरवाजा खोला तो उसने लड़की से मिलने की मांग की।

विसर्जन के बाद कोलकाता में दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के बाद गुरुवार को हुगली नदी तट के किनारे सफाई करते कर्मचारी।

'करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन की तारीख तय नहीं'

इस्लामाबाद, 10 अक्तूबर (भाषा)।

पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि बहुप्रतीक्षित करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। साथ ही उसने आश्वासन दिया कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर इसे अगले महीने 'समय पर' शुरू कर दिया जाएगा।

एक महीने पहले कॉरिडोर परियोजना के प्रमुख एक वरिष्ठ अधिकारी ने घोषणा की थी कि करतारपुर साहिब के लिए पाकिस्तान नौ नवंबर से भारतीय सिख श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति देगा।

विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'प्रधानमंत्री (इमरान खान) के वादे के मुताबिक करतारपुर कॉरिडोर पर काम समय पर पूरा हो जाएगा। इसका उद्घाटन समय पर होगा लेकिन इसके शुरू होने के लिए मैं कोई तिथि नहीं दे सकता क्योंकि अभी तक इसकी तिथि तय नहीं की गई है।' उन्होंने आश्वासन दिया कि कॉरिडोर को सिखों के संस्थापक गुरुनानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर 12 नवंबर को खोल दिया जाएगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इसका उद्घाटन समय पर होगा लेकिन अभी तारीख तय नहीं

प्रस्तावित कॉरिडोर करतारपुर में दरबार साहिब को पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक के साथ जोड़ेगा और भारतीय श्रद्धालु वीजा मुक्त यात्रा कर सकेंगे। उन्हें करतारपुर साहिब जाने के लिए केवल परमिट हासिल करना होगा। करतारपुर साहिब की स्थापना 1522 में गुरु नानक देव ने की थी।

लाहौर से करीब 125 किलोमीटर दूर नारोवाल में प्रस्तावित करतारपुर कॉरिडोर की 16 सितंबर को पाकिस्तानी और विदेशी पत्रकारों की यात्रा में परियोजना निदेशक आतिफ माजिद ने कहा कि कॉरिडोर का 86 फीसद काम पूरा हो गया है और नौ नवंबर को इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा।

ईडी ने चिदंबरम, कार्ति की अग्रिम जमानत को दी चुनौती

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एअरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करते हुए गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

ईडी की अर्जी पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत के पांच सितंबर के आदेश को चुनौती दी है जिसमें 74 वर्षीय चिदंबरम और उनके बेटे को अग्रिम जमानत दे दी गई थी। सीबीआइ ने आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में 21 अगस्त को चिदंबरम को गिरफ्तार किया था और तब से वे जेल में हैं। निचली अदालत ने सीबीआइ द्वारा दायर एअरसेल-मैक्सिस मामले में भी पिता-पुत्र को अग्रिम जमानत दे दी थी।

एअरसेल-मैक्सिस मामले में चिदंबरम और उनके बेटे को आरोपी बनाने से पहले एक विशेष अदालत ने दो फरवरी 2017 को डीएमके नेता एवं पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य को सीबीआइ तथा ईडी द्वारा दायर मामलों में आरोपमुक्त कर दिया था। बाद में, दोनों एजंसियों ने घोटाले में चिदंबरम पिता-पुत्र का नाम लेते हुए पूरक आरोपपत्र दायर किया था। मामले चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान 3,500 करोड़ रुपए के एअरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी में कथित अनियमितता से जुड़े हैं।सीबीआइ इस बारे में जांच कर रही है कि 2006 में वित्त मंत्री रहने के दौरान चिदंबरम ने एक विदेशी कंपनी को एफआइपीबी मंजूरी कैसे प्रदान करा दी, जबकि यह कार्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ही कर सकती थी।

स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी नहीं करने पर 50 हजार जुर्माना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने नौवीं कक्षा की एक छात्रा को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के लिए हिमाचल प्रदेश के दून वैली इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की खिंचाई की। इतना ही नहीं, स्कूल पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के कारण छात्रा का एक वर्ष बर्बाद हो गया।

पीठासीन सदस्य एसएम कातिकर की अध्यक्षता वाले शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले को बरकरार रखा। जिसने स्कूल पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। नौवीं कक्षा की छात्रा रवलीन कौर ने स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए 2005 में स्कूल से संपर्क किया था। जो उसे समय पर नहीं दिया गया और स्कूल ने कहा कि वह पढ़ाई में खराब है।

आयोग ने कहा कि कौर के शैक्षणिक प्रदर्शन का स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने से कोई लेनादेना नहीं है और स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उसे अच्छी छात्रा बताने का कोई मामला नहीं बनता है। इसने कहा कि स्कूल जवाबदेही के साथ काम कर सकता था, लेकिन इसने अनावश्यक और अवांछनीय तरीके से काम किया। जिसके कारण कौर का एक बहुमूल्य शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो गया।

उपभोक्ता आयोग ने कहा कि स्कूल अधिकारी तथ्यात्मक रूप से सही स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने में मनमाने या ढीले-ढाले तरीके से काम नहीं कर सकते। इस तरह के प्रमाण पत्र छात्र के भविष्य से जुड़े होते हैं और इसे पूरी जवाबदेही के साथ और यथाशीघ्र जारी किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखते हुए स्कूल से कानूनी खर्च के साथ ही 50 हजार रुपए का भुगतान करने के लिए कहा और स्कूल की सेवाओं में खामी के लिए कड़ी टिप्पणियां कीं।

जिला उपभोक्ता मंच ने 2008 में इस छात्रा की अपील खारिज कर दी थी। लेकिन राज्य आयोग ने पांच मई, 2010 को उसकी अपील मंजूर कर ली थी। उसके खिलाफ स्कूल की तरफ से राष्ट्रीय आयोग में अपील की गई थी। पर यहां स्कूल को मुंह की खानी पड़ी।

साढ़े तीन साल की सजा के दौरान ढाई साल अस्पताल में गुजारे : प्रदीप शर्मा

मुंबई, 10 अक्तूबर (भाषा)।

शिवसेना के टिकट पर मुंबई के नालासोपारा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे पूर्व पुलिस अधिकारी एवं 'मुठभेड़ विशेषज्ञ' प्रदीप शर्मा ने कहा कि लखन भैया कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में साढ़े तीन साल जेल की सजा के दौरान उन्होंने ढाई साल अस्पताल में बिताए।

शर्मा ने इस सप्ताह की शुरुआत में पालघर जिले के निकट नालासोपारा इलाके में एक रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही। उनके भाषण का कथित वीडियो सोशल मीडिया में घूम रहा है। वीडियो में शर्मा कथित रूप से कहते दिख रहे हैं कि भाजपा नीत मौजूदा राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उस मुश्किल समय में उनकी मदद की।

शर्मा ने कहा, 'मेरे जीवन के मुश्किल दौर में शिंदे साहेब ने मेरी बहुत मदद की। मेरी साढ़े तीन साल जेल की सजा के दौरान मैंने ढाई साल अस्पताल में गुजारे। ऐसा उनकी मदद से हुआ।' हालांकि, जब शर्मा से उनकी वीडियो को लेकर टिप्पणी के लिये संपर्क किया गया तो उनके प्रवक्ता ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रचारित वीडियो 'संदर्भ से परे' है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि शर्मा पुलिस के सेवारत अधिकारी (मामले के समय) थे। मंत्री ने पत्रकारों से कहा, 'पुलिस की मदद करना अपराध नहीं है।' पूर्व पुलिस अधिकारी शर्मा मुठभेड़ विशेषज्ञ हैं। वह मुठभेड़ के 100 से अधिक मामलों में शामिल रह हैं। शर्मा को 2006 में छोटा राजन गैंग के एक सदस्य रामनारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया गया था।

दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प, 14 घायल

जहानाबाद,10 अक्तूबर (भाषा)।

बिहार के जहानाबाद में गुरुवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच झड़प में कम 14 लोग घायल हो गए। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकाले जा रहे जुलूस पर किसी ने एक पत्थर फेंक दिया, जिसके बाद दो पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई।

घटना अरवाल मोरे क्षेत्र में सुबह हुई और जुलूस में शामिल हुए लोगों ने पत्थर फेंकने के लिए किनारे खड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया जो अन्य समुदाय से थे। पुलिस ने बताया कि दोनों ओर से भारी पथराव हुआ जिससे एक स्थानीय पत्रकार सहित कम से कम 14 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक मनीष ने घटनास्थल पर पहुंच कर स्थिति को काबू किया।

सीरिया में तुर्की की सैन्य कार्रवाई की आलोचना की भारत ने

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर (भाषा)।

भारत ने गुरुवार को कहा कि वह उत्तर पूर्व सीरिया में तुर्की की 'एकतरफा सैन्य कार्रवाई' से काफी चिंतित है।

साथ ही भारत ने जोर दिया कि ऐसी कार्रवाई क्षेत्र की स्थिरता एवं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमतर करती है। बुधवार को तुर्की के लड़ाकू विमानों एवं तोपखाने ने सीरिया में कुर्दों के नियंत्रण वाले इलाके को निशाना बनाया था जिससे हजारों की संख्या में लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा था। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि हम उत्तर पूर्व सीरिया में तुर्की की एकतरफा सैन्य कार्रवाई से काफी चिंतित हैं। तुर्की की कार्रवाई क्षेत्र की स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमतर कर सकती है।

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस कार्रवाई से मानवीय एवं नागरिक संकट की स्थिति पैदा हो सकती है।

मंत्रालय ने कहा कि हम तुर्की से संयम बरतने तथा सीरिया की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का आग्रह करते हैं। हम सभी मुद्दों का बातचीत एवं चर्चा से समाधान निकालने का आग्रह करते हैं।

विख्यात हस्तियों पर राजद्रोह मामला बंद करने के खिलाफ विरोध पत्र दायर

मुजफ्फरपुर, 10 अक्तूबर (भाषा)।

'मॉब लिंचिंग' (भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या) की बढ़ती घटनाओं में हस्तक्षेप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वाली 49 जानी-मानी हस्तियों के खिलाफ बिहार पुलिस द्वारा दर्ज राजद्रोह के एक मामले को बंद करने के खिलाफ शिकायतकर्ता ने गुरुवार को स्थानीय अदालत में एक विरोध पत्र दायर किया।

मुजफ्फरपुर के स्थानीय अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा गत जुलाई महीने में दायर एक याचिका पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सूर्यकांत तिवारी के आदेश पर पिछले हफ्ते सदर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बुधवार को साक्ष्य नहीं होने के मद्देनजर बंद करने का आदेश दिया था।

इसके बाद ही उन्होंने दुर्भावना से ग्रस्त होकर झूठा मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर ओझा के खिलाफ भादसं की धारा 182 और 211 के तहत मामला दर्ज किए जाने का निर्देश दिया था।

ओझा ने पुलिस द्वारा इस मामले को बंद किए जाने के खिलाफ गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक विरोध पत्र दायर कर अदालत से अपने स्तर या फिर सीबीआइ से मामले की जांच का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 नवंबर तय की है।

श्री हेमकुंड साहिब, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट बंद

गोपेश्वर, 10 अक्तूबर (भाषा)।

उत्तराखंड में चमोली जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित दुनिया के सबसे उंचे सिख गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट गुरुवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। गुरुद्वारे के पास स्थित लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए।

चौदह हजार दो सौ दो फुट की उंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के मौके पर ठंड के बावजूद 3000 से अधिक सिख श्रद्धालु मौजूद थे। तीर्थयात्रियों ने गुरुद्वारे के कपाट बंद होने से पहले वहां मत्था टेका। कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो गई थी।

सीबीआइ ने मुंबई की अदालत से कहा : चोकसी को भगोड़ा घोषित किया जाए

मुंबई, 10 अक्तूबर (भाषा)।

सीबीआइ ने गुरुवार को यहां की एक अदालत से आग्रह किया कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को भगोड़ा घोषित किया जाए। एजंसी ने कहा कि वह गैर जमानती वारंट का जवाब देने में विफल रहा है। सीबीआइ मामलों के विशेष न्यायाधीश वीसी बारदे के समक्ष आवेदन देकर एजंसी ने कहा कि मामले में पहली प्राथमिकी दर्ज होने से पहले ही बचने के लिए चोकसी देश छोड़कर भाग गया। एजंसी ने कहा कि चोकसी ने एंटीगा की नागरिकता ले रखी है ताकि अदालत की तरफ से जारी वारंट से बच सके। सीबीआइ ने गैर जमानती वारंट रद्द करने की चोकसी की याचिका का भी विरोध किया।

सीबीआइ के वकील ए लिमोसिन ने कहा, 'आरोपी फरार है... उससे पूछताछ करना हमारा अधिकार है।' अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 अक्तूबर तक टाल दी। सीबीआइ ने अदालत से आग्रह किया कि चोकसी को भगोड़ा घोषित किया जाए और सीआरपीसी के तहत उसकी संपत्ति जब्त की जाए। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर फर्जी तरीके से सहमति पत्र हासिल कर पीएनबी से 13 हजार करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने का आरोप है।

केंद्रीय विद्यालयों में 15 भवनों का आज उद्घाटन करेंगे निशंक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 11 अक्तूबर को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय विद्यालयों के 15 नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन करेंगे। मंत्री इसके साथ 6 नए भवनों का शिलान्यास भी करेंगे।

ये सभी 21 केंद्रीय विद्यालय देश के 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है, जबकि एचआरडी मंत्री इतनी बड़ी संख्या में नए भवनों का उद्घाटन व शिलान्यास करने जा रहे हैं। लगभग 398 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इन सभी परियोजनाओं से 22 हजार से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे।

असम, मध्य प्रदेश के तीन-तीन, गुजरात के दो, बिहार, लद्दाख, कर्नाटक, ओड़ीशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के एक-एक केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। वहीं, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, ओड़ीशा और तेलंगाना के एक-एक केंद्रीय विद्यालय के भवन का शिलान्यास किया जाएगा।

मुर्शिदाबाद हत्याकांड : राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर (भाषा)।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज में मंगलवार को 35 वर्षीय स्कूल शिक्षक बंधु गोपाल पाल, उनकी गर्भवती पत्नी ब्यूटी और आठ वर्षीय पुत्र आंगन की नृशंस हत्या पर शोक जताते हुए कहा कि घटना राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाती है। राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार से हत्या की घटना पर अविलंब रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं कानून प्रवर्तन एजंसियों से दोषियों का पता लगाने और उन्हें न्याय के कठघरे में लाने का आह्वान करता हूं। राज्यपाल के बयान पर राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनका बयान उनके संवैधानिक पद के अनुरूप नहीं है। पार्टी ने कहा कि राज्यपाल तब बयान क्यों नहीं देते जब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे जाते हैं।

भाजपा और संघ ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बंधु गोपाल पाल उनके सक्रिय सदस्य भले नहीं थे, लेकिन वे कभी-कभी संघ के साप्ताहिक मिलन कार्यक्रमों में भाग लेते थे। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, 'इससे ज्यादा जघन्य क्या हो सकता है? किसी राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को अच्छा कैसे माना जा सकता है जब आम आदमी की जान सुरक्षित नहीं है? दीदी आपके शासन में क्या हो रहा है?' विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के पार्टी मामलों के प्रभारी भी हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया क्योंकि मामले में जांच चल रही है। विजयवर्गीय ने हत्या में तृणमूल कार्यकर्ताओं के शामिल होने का आरोप लगाया था।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करके घर का वीडियो साझा किया जिसमें फर्श पर खून के धब्बे देखे जा सकते हैं। पात्रा ने ट्वीट किया, 'चेतावनी : नृशंस वीडियो। इसने मेरी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में संघ कार्यकर्ता बंधु प्रकाश पाल, उनकी आठ माह की गर्भवती पत्नी और बच्चे की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। उदारवादियों की तरफ से एक भी शब्द नहीं आया। 59 उदारवादियों ने ममता को एक भी पत्र नहीं लिखा।'

खबर कोना

चेन्नई में गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान विश्व विजेता पीवी सिंधु।

भारतीय टीम छेत्री पर निर्भर : भूटिया

कोलकाता, 10 अक्तूबर (भाषा)।

पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया ने गुरुवार को कहा कि भारतीय फुटबॉल टीम की अग्रिम पंक्ति काफी हद तक सुनील छेत्री के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि गोल करने के मौके बनाने के लिए दूसरे खिलाड़ियों को भी खेल के स्तर को ऊंचा करना होगा। भूटिया ने कहा कि टीम की रक्षा पंक्ति ने विश्व कप क्वालीफायर के पिछले दो मुकाबलों में अच्छा खेल दिखाया और 15 अक्तूबर को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मुकाबले में अग्रिम पंक्ति पर मैच जीतने की जिम्मेदारी होगी। भूटिया ने कहा कि हमारी मुख्य चिंता रक्षा पंक्ति रही है और अगर टीम अपने प्रदर्शन को बनाए रखती है तो अच्छा होगा।

तोक्यो में बनेगा भारत का आतिथ्य गृह

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर (भाषा)।

तोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए पहली बार भारत का ओलंपिक आतिथ्य गृह बनेगा। भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) और जेएसडब्लू समूह ने गुरुवार को इस सुविधा को बनाने के लिए साझेदारी की। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले कई देश खेलों के दौरान अपना आतिथ्य गृह बनाते हैं लेकिन भारत के लिए यह पहली बार होगा। इसमें भारतीय संस्कृति और विरासत को दिखाया जाएगा। खेल मंत्री ने भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा और महासचिव राजीव मेहता की मौजूदगी में इंडिया हाउस के लोगो का अनावरण किया। इंडिया हाउस अगले साल जुलाई में खुल जाएगा और इसका निर्माण खेल गांव स्थित खेल परिसर के पास 2,200 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में होगा। यह भारतीय एथलीटों के लिए घर जैसा माहौल उपलब्ध कराएगा जहां उनके लिए चिकित्सा सुविधा के साथ भोजन भी उपलब्ध रहेगा।

पाकिस्तानी क्रिकेट के ढांचे में गड़बड़ी : मिसबाह

कराची, 10 अक्तूबर (भाषा)।

पाकिस्तान के मुख्य कोच मिसबाह उल हक ने कहा कि श्रीलंका की दूसरे दर्जे की टीम के हाथों टी-20 श्रृंखला में 0-3 से मिली हार ने उनकी आंखें खोलकर साबित कर दिया है कि देश की क्रिकेट व्यवस्था में कुछ गड़बड़ है। मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता दोनों पदों पर काबिज मिसबाह ने कहा कि घरेलू स्तर पर प्रतिभाओं की भी अभाव है। उन्होंने कहा कि इस श्रृंखला से मेरी आंखें खुल गईं। ये ही खिलाड़ी काफी समय से खेल रहे हैं और इसी टीम ने हमें नंबर एक बनाया। ये लोग तीन चार साल से साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम ऐसी टीम से हार सकते हैं जिसमें उसके मुख्य खिलाड़ी ही नहीं हैं तो हम खुद को नंबर एक कहने के हकदार नहीं हैं। मिसबाह ने कहा कि मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। यह काफी निराशाजनक है और हम बहुत खराब खेले। लेकिन इसी टीम ने हमें बुलंदियों तक पहुंचाया था। यदि आप मुझे दोषी मानते हैं तो मैं दस दिन पहले ही आया हूं।

विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप : आठवां पदक पक्का किया मैरी कॉम ने

उलान उदे, 10 अक्तूबर (भाषा)।

छह बार की चैंपियन एमसी मैरी कॉम (51 किलो) महिला विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे सफल मुक्केबाज बन गई हैं। उन्होंने सेमी फाइनल में पहुंचकर आठवां पदक पक्का कर लिया। पहली बार खेल रही मंजू रानी (48 किलो) और जमुना बोरो (54 किलो) भी सेमी फाइनल में पहुंच गई। तीसरी वरीयता प्राप्त मैरी कॉम ने कोलंबिया की वालेंशिया विक्टोरिया को 5-0 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। तीसरी वरीयता प्राप्त लवलीना बोरगोहेन (69 किलो) भी सेमी फाइनल में पहुंच गई हैं।

हरियाणा की रानी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त और पिछले बार की कांस्य पदक विजेता दक्षिण कोरिया की किम हयांग मि को 4-1 से मात दी। वहीं असम राइफल्स की बोरो ने जर्मनी की उर्सुला गोटलोब को इसी अंतर से हराया।

जीत के बाद उन्होंने कहा कि पदक सुरक्षित करके मैं बहुत खुश हूं लेकिन फाइनल में पहुंचने से और खुशी होगी। उन्होंने कहा कि यह

विश्व चैंपियनशिप में कोलंबिया की वालेंशिया विक्टोरिया को हराने के बाद मैरी कॉम (लाल जर्सी में)।

मेरे लिए अच्छा मुकाबला था और अब मैं सेमी फाइनल में बेहतर प्रदर्शन करना चाहूंगी। सेमी फाइनल में शनिवार को उनका सामना दूसरी वरीयता प्राप्त तुर्की की बुसेनाज साकिरोग्लू से होगा जो यूरोपीय चैंपियनशिप और यूरोपीय खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्होंने चीन की केई जॉन्ग को क्वार्टर फाइनल में हराया।

दो बार की कांस्य पदक विजेता कविता चहल (प्लस 81 किलो) हालांकि बेलारूस की कैटसियारिना कावालेवा से 0-5 से हार गईं। मैरी कॉम ने संयम के साथ खेलते हुए अपने मौकों का इंतजार किया। उनका अनुभव उनकी सफलता की कुंजी साबित हुआ। उनके सीधे पंच काफी प्रभावी थे और उन्होंने विक्टोरिया के डिफेंस को भेद दिया। इस जीत के साथ मैरी कॉम ने टूर्नामेंट की सफलतम मुक्केबाज होने का अपना ही रेकार्ड तोड़ा। पदकों की संख्या के आधार पर वह पुरुष और महिला दोनों में सबसे सफल हैं। पुरुष वर्ग में क्यूबा के फेलिक्स सावोन ने सर्वाधिक सात पदक जीते हैं। मैरी कॉम के नाम अभी तक छह स्वर्ण और एक रजत पदक है लेकिन वह 51 किलोवर्ग में पहली बार पदक जीतेंगी। पिछली बार वह क्वार्टर फाइनल में हार गई थीं।

मैरी कॉम ने ओलंपिक कांस्य पदक (2012), पांच एशियाई खिताब, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण भी जीता है। इस साल उन्होंने गुवाहाटी में इंडिया ओपन और इंडोनेशिया में प्रेसिडेंट ओपन में स्वर्ण पदक जीता। वह राज्यसभा सदस्य भी हैं। तीन बार की एशियाई पदक विजेता चहल का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उनके समूह में कम प्रतियोगी होने के कारण उन्हें सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश मिला था।

मंजू रानी (48 किलो), जमुना बोरो (54 किलो) और लवलीना बोरगोहेन (69 किलो) भी अंतिम चार में पहुंचीं

> “प्री क्वार्टर फाइनल की तुलना में यह आसान था। मैंने शुरू में ही उस पर दबाव बना दिया। वह आक्रामक होने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैंने अपने मौकों का इंतजार किया। प्री क्वार्टर फाइनल में मिली जीत कठिन थी। यह बुसेनाज काकिरोग्लू से मेरा पहला मुकाबला है लेकिन पिछले दो प्रतिद्वंद्वियों से भी यह पहला मुकाबला था। मैं इसकी परवाह नहीं करती। मैं हमेशा से कहती आई हूं कि मैं अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ कोशिश करूंगी लेकिन नतीजे मेरे हाथ में नहीं हैं।”

मयंक ने घरेलू क्रिकेट से सीखा बड़ी पारियां खेलने का हुनर : पुजारा

पुणे, 10 अक्तूबर (भाषा)।

भारत के अनुभवी टैस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि घरेलू क्रिकेट में 2017 में एक ही सत्र में 1000 रन पूरे करने वाले मयंक अग्रवाल ने बड़ी पारियां खेलने का हुनर घरेलू क्रिकेट से सीखा है। टैस्ट क्रिकेट में नए अग्रवाल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टैस्ट में दोहरा शतक जमाने के बाद दूसरे टैस्ट के पहले दिन शतक जड़ा।

पुजारा ने कहा कि अग्रवाल अनुभवी खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी में काफी रन बनाए हैं। इससे उन्हें काफी मदद मिली। नब्बे के पास पहुंचने पर नर्वस होने की बात है तो वह इस मामले में निर्भीक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि पचासे को बड़ी पारियों में कैसे बदलना है। शतक पूरा करने पर वह बड़ी पारी खेलने में भी माहिर हैं।

स्वयं बड़ी पारियां खेलने में पारंगत पुजारा ने क्या साझेदारी के दौरान अग्रवाल को टिप्स दिए, यह पूछने पर उन्होंने कहा कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट से बड़े स्कोर बनाने की आदत डल जाती है। मुझे उन्हें ज्यादा कुछ बताना नहीं पड़ा। हम उनकी रणनीति पर ही बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी बल्लेबाजी में खामी होने पर मैं सिर्फ इतना कहता था कि शरीर के पास खेलो। वह खुद इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे कि ज्यादा मार्गदर्शन देने की जरूरत ही नहीं पड़ी।

तेज गेंदबाजों ने भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदला : कपिल

मुंबई, 10 अक्तूबर (भाषा)।

महान क्रिकेटर कपिल देव ने मौजूदा तेज आक्रमण की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले चार-पांच साल में इन गेंदबाजों ने भारतीय क्रिकेट के चेहरा बदल दिया। कपिल से जब पूछा गया कि क्या मौजूदा भारतीय तेज आक्रमण सर्वश्रेष्ठ है तो उन्होंने कहा, 'क्या मुझे यह कहने की जरूरत है?'

विश्व विजेता पूर्व कप्तान ने कहा कि ऐसे तेज गेंदबाजों का आक्रमण हमने देखा नहीं था, सोचा भी नहीं था। इसलिए किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है और हां, बिना किसी संदेह के पिछले चार-पांच वर्षों में तेज गेंदबाजों ने भारतीय क्रिकेट के रुख को बदल कर रख दिया। मौजूदा भारतीय तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, दीपक चाहर और नवदीप सैनी शामिल हैं।

स्ट्रैस फ्रैक्चर के कारण बुमराह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टैस्ट श्रृंखला की टीम में नहीं हैं। लेकिन मोहम्मद शमी ने विशाखापत्तनम में पहले टैस्ट में शानदार गेंदबाजी कर उनकी कमी को महसूस नहीं होने दी। कपिल ने कहा कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वह रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल नहीं हैं।

भारत की शानदार शुरुआत

अग्रवाल के शतक से भारत ने बनाए 273 रन

मयंक अग्रवाल

195 गेंद में 108 रन बनाए मयंक अग्रवाल ने

215 रन बनाए थे अग्रवाल ने विशाखापत्तनम में पहले टैस्ट मैच के दौरान

पुणे, 10 अक्तूबर (भाषा)।

शानदार फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल के शतक की मदद से भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टैस्ट के पहले दिन तीन विकेट पर 273 रन बना लिए। खराब रोशनी के कारण खेल 86वें ओवर में ही रोक दिया गया। अग्रवाल ने 195 गेंद में 108 रन बनाए। इससे पहले विशाखापत्तनम में पहले टैस्ट में उन्होंने 215 रन बनाए थे। अग्रवाल ने चेतेश्वर पुजारा (58) के साथ दूसरे विकेट के लिए 138 रन की साझेदारी की। भारत ने रोहित शर्मा (14) का विकेट पहले ही घंटे में गंवा दिया था।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टैस्ट

आखिरी सत्र में कप्तान विराट कोहली जबर्दस्त फॉर्म में थे जिन्होंने 105 गेंद में नाबाद 63 रन बनाए। उन्होंने अजिंक्य रहाणे के साथ चौथे विकेट की अटूट साझेदारी में 75 रन जोड़ लिए हैं। रहाणे 70 गेंद में 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। कोहली ने आखिरी घंटे में कुछ बेहतरीन शॉट लगाए और अपनी पारी में दस चौके जड़े।

अग्रवाल ने स्पिनरों और तेज गेंदबाजों को आसानी से खेला। उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज को लगातार दो छक्के और वेर्नोन फिलैंडर को चौका लगाकर अपना दूसरा टैस्ट शतक पूरा किया। अग्रवाल ने 18 गेंद में 74 रन चौकों छक्कों की मदद से और बाकी 34 रन 177 गेंद में पूरे किए। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबादा ने 18.1 ओवर में 48 रन देकर तीन विकेट लिए।

दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने शुरुआती सत्र में बेहतर लय के साथ गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। खासकर रबादा ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया। उन्होंने पहले टैस्ट के नायक रोहित (14) को सस्ते में आउट किया। पुजारा भी उनकी गेंद पर पवेलियन लौट जाते लेकिन तेंबा बावुमा कैच नहीं लपक सके। उन्होंने चाय के विश्राम से पहले टैस्ट में अपना 22वां अर्धशतक लगाने वाले पुजारा को चलता किया जो पहले स्लिप में लपके गए।

बल्लेबाजी करते रोहित शर्मा।

स्कोर बोर्ड

भारत पहली पारी : मयंक अग्रवाल का डुप्लेसी बो रबादा 108, रोहित शर्मा का डिकाक बो रबादा 14, चेतेश्वर पुजारा का डुप्लेसी बो रबादा 58, विराट कोहली नाबाद 63, अजिंक्य रहाणे नाबाद 18, **गेंदबाजी** : फिलैंडर 17-5-37-0, रबादा 18.1-2-48-3, नोर्जे 13-3-60-0, महाराज 29-8 -89-0, मुथुस्वामी 6-1-22-0, एल्गर 2-0-11-0

भारत खेल महाशक्ति बनने की ओर : रिजीजू

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर (भाषा)।

किरन रिजीजू ने गुरुवार को कहा कि भारत अगर 2028 ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष दस में नहीं आता तो वह खेलमंत्री के रूप में नाकाम रहेंगे। रिजीजू ने कहा कि भारत कुछ साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और खेलों में भी वह पीछे नहीं रह सकता।

उन्होंने कहा कि हमारा देश 2022 या 2024 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हम अगले चार-पांच साल में कई क्षेत्रों में शीर्ष तीन में रहेंगे। ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने तोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडिया हाउस के लोगो के

'खेल प्रबंधन में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें निकट भविष्य में खेल की महाशक्ति बनना है तो यह बहुत जरूरी है।'

अनावरण के मौके पर कहा कि 2020 ओलंपिक करीब है लेकिन 2024 या 2028 तक भारत पदक तालिका में शीर्ष 10 में पहुंच जाएगा। भारत अगर ऐसा नहीं कर सका तो मेरे खेलमंत्री रहने का कोई फायदा नहीं। खेलमंत्री ने आइओए से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राष्ट्रीय खेल महासंघों में प्रशासन का स्तर आला रहे। उन्होंने यह भी ताकीद की कि किसी अधिकारी या कोच के कारण किसी खिलाड़ी का करिअर बर्बाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल प्रबंधन में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हमें निकट भविष्य में खेल की महाशक्ति बनना है तो यह बहुत जरूरी है। आइओए और एनएसएफ को प्रशासन का स्तर ऊंचा रखना होगा। मैं आइओए की कार्यप्रणाली से खुश हूं। उन्होंने कहा कि यदि किसी खिलाड़ी का करिअर प्रबंधन में किसी व्यक्ति के अहंकार के कारण बर्बाद होता है तो सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।

विजय हजारे : दुबे के शतक के बावजूद कर्नाटक से हारा मुंबई

बंगलुरु, 10 अक्तूबर (भाषा)।

हरफनमौला शिवम दुबे के शतक के बावजूद गत चैंपियन मुंबई को विजय हजारे ट्रॉफी एलीट ग्रुप ए के मैच में कर्नाटक ने नौ रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी के लिए भेजी गई कर्नाटक की टीम ने सात विकेट पर 312 रन बनाए। इसके बाद मुंबई की टीम 48.1 ओवर में 303 रन पर आउट हो गई। तेज गेंदबाज अभिमन्यु मिथुन और स्पिनर के गौतम ने तीन-तीन विकेट लिए।

कर्नाटक के लिए सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडीक्कल ने 85 गेंद में 79 रन बनाए जिसमें 10 चौके और एक छक्का शामिल था। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 58 रन की पारी खेली। दोनों ने पहले विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी की।

मुंबई ने तीन विकेट जल्दी निकाल लिए थे जब कर्नाटक का स्कोर 146 रन था। इसके बाद कप्तान मनीष पांडे (62) और रोहन कदम (32) ने चौथे विकेट के लिए 69 रन जोड़े। बीआर शरत ने 28 और के गौतम ने 13 गेंद में नाबाद 22 रन बनाए।

मुंबई में 23 अक्तूबर को होगी वार्षिक आम बैठक | बीसीसीआइ | निर्वाचन अधिकारी ने जारी की अंतिम मतदाता सूची

आठ संघों के एजीएम में भाग लेने पर लगी रोक

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर (भाषा)।

बीसीसीआइ की 38 में से आठ राज्य इकाइयों के वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने पर गुरुवार को रोक लगा दी गई। ये बैठक मुंबई में 23 अक्तूबर को होने वाली है। बीसीसीआइ के निर्वाचन अधिकारी एन गोपालस्वामी द्वारा अंतिम मतदाता सूची जारी करने के बाद एजीएम में भाग लेने वालों पर स्थिति स्पष्ट हो गई। एजीएम के दौरान अगर पदाधिकारियों के लिए चुनाव होता है तो मणिपुर, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, रेलवे, सेना और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के पास मतदान का अधिकार नहीं होगा।

तीन सरकारी संस्थानों को इस लिए प्रतिबंधित किया गया क्योंकि वह खिलाड़ियों का संघ बनाने में नाकाम रहे। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली एजीएम में बंगाल क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि होंगे जिसके वह अध्यक्ष हैं। भारत के एक अन्य पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व करेंगे। रजत शर्मा (दिल्ली), जय शाह (सौराष्ट्र), अरुण सिंह धूमल (हिमाचल प्रदेश) और बृजेश पटेल कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करेंगे।

एजीएम में भाग लेने से रोके जाने वाले ज्यादातर राज्यों के द्वारा इस फैसले को अदालत में चुनौती देने की संभावना है, जिससे एजीएम अधर में पड़ सकता है। इससे पहले बुधवार को प्रशासकों की समिति ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए), महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (एमसीए) और हरियाणा क्रिकेट संघ (एचसीए) को एजीएम में भाग लेने से रोक दिया था।

सीओए का फैसला मनमाना : बनर्जी

कोलकाता, 10 अक्तूबर (भाषा)।

बीसीसीआइ के पूर्व प्रमुख कानूनी सलाहकार उषा नाथ बनर्जी ने तीन राज्य संघों को बोर्ड की सालाना आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने से रोकने के प्रशासकों की समिति (सीओए) के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे पूरी तरह मनमाना और गलत करार दिया। बनर्जी ने कहा कि अगर किसी राज्य ने बदलावों का अनुपालन नहीं किया है तो उसे पहले साल के लिए वित्तीय अनुदान और अन्य लाभों से वंचित किया जा सकता है। लेकिन, एजीएम में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक बार जब राज्य संघ पूर्ण सदस्य के तौर पर मान्यता प्राप्त कर लेता है तब एजीएम में भाग लेना और मतदान करना उसका कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। उसके इस अधिकार को व्यक्तियों का समूह तब तक वापस नहीं ले सकता जब तक वह मनमाना और गैर कानूनी हो। बीसीसीआइ की आम सभा भी उसे नहीं रोक सकती।

बीसीसीआइ की शीर्ष परिषद का हिस्सा होंगी रंगास्वामी : भारत की पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी बीसीसीआइ की शक्तिशाली शीर्ष परिषद का हिस्सा होंगी। इनका इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन (आइसीए) में निर्विरोध चुना जाना तय है। नामित उम्मीदवारों की अंतिम सूची में रंगास्वामी आइसीए की प्रतिनिधि होने के नाते बीसीसीआइ की नौ सदस्यीय शीर्ष परिषद के लिए एकमात्र उम्मीदवार हैं।

वियतनाम के खिलाफ दो दोस्ताना मैच खेलेगी भारतीय महिला टीम

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय महिला फुटबॉल टीम अगले महीने हनोइ में अपने से ऊंची रैंकिंग वाली वियतनाम टीम के खिलाफ दो अंतरराष्ट्रीय दोस्ताना मैच खेलेगी। स्पेन और उजबेकिस्तान में प्रभावी प्रदर्शन के बाद भारतीय सीनियर महिला टीम तीन और छह नवंबर को वियतनाम से दो मैच खेलेगी। भारत के मुख्य कोच मयमोल रॉकी का मानना है कि यह चुनौती काफी कठिन होगी। वियतनाम रैंकिंग में 34वें और भारत 58वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि वियतनाम काफी कठिन टीम है। हाल ही में उसने विश्व कप खेलने वाली टीम थाईलैंड को हराया है जिससे पता चलता है कि वह कितनी अच्छी टीम है। भारतीय टीम का शिविर यहां 25 से 30 अक्तूबर को लगेगा और 31 अक्तूबर को टीम रवाना होगी।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 327, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

epaper.jansatta.com